भय से मुक्ति

कलीसिया के लिये कानूनी पुस्तिका

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

मसीही सेवकों तथा विश्वासियों के लिये जानने योग्य
भारतीय संविधान तथा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

बृजेश चोरोटिया

बी.एससी, एम.टेक, एल.एल.बी

(विधि विशेषज्ञ एवं कानूनी सलाहकार)

भय से मुक्ति – कलीसिया के लिये कानूनी पुस्तिका
मसीही सेवकों तथा विश्वासियों के लिये जानने योग्य भारतीय संविधान तथा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

लेखक – बृजेश चोरोटिया, बी.एससी, एम.टेक, एल.एल.बी
(विधि विशेषज्ञ एवं कानूनी सलाहकार)
advchorotia@gmail.com
कॉपीराइट © बृजेश चोरोटिया, संपादित 2019,
प्रथम संस्करण 2021

इस पुस्तक में लिखे सभी बाइबल वचन, बाइबल सोसायटी ऑफ़ इंडिया द्वारा हिन्दी में प्रकाशित 'पवित्र बाइबल' (The Holy Bible, Hindi O.V. Re-edited, ISBN 81-221-2141-1) से लिये गये हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित
इस पुस्तक का कोई भी भाग तथ्यों को बदलकर किसी भी रूप में लेखक की लिखित अनुमति के बिना नहीं संचारित किया जा सकता है। तथ्यों को बदले बिना प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से इस क़िताब की फोटोकॉपी करने की अनुमति लेखक की ओर से इसी अधिकार सूचना में दी जाती है।

मूल्य: 100 रुपये

प्रकाशक: आत्मिक संदेश मसीही सत्संग
www.aatmik-sandesh.com

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

समर्पित

यह पुस्तक उन सभी भाई-बहनों को समर्पित है जिन्होंने सच्चाई के पथ पर चलने के कारण बहुत दुख उठाया है। बहुत बार सच और ईमानदारी के लिये बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिये अनेक प्रकार के सताव को आनंद समझकर सह लिया।

बहुत बार कानूनी की जानकारी के अभाव में बरती गई असावधानियों के कारण अनेक मसीही सेवक दुख उठाते हैं जो ज्ञान के अभाव से पैदा होती हैं। प्रभु का वचन भी कहता है कि ज्ञान के न होने के कारण प्रजा नाश होती है। यह पुस्तक भारतीय संविधान तथा कानून के उन विशेष प्रावधानों के बारे में प्रारंभिक ज्ञान देने का प्रयास है जिसके जानने से अनावश्यक सताव को टाला जा सकता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान व कानून के कुछ अंशों की जानकारी देकर डर से निजात दिलाना है।

यह पुस्तक परमेश्वर के हरेक उस दास को समर्पित है जो आज के प्रतिकूल सामाजिक व राजनैतिक वातावरण में अपनी आस्था का खुलकर आचरण करने, उसका प्रचार करने व परमेश्वर के महान आदेश का पालन कर हरेक जाति समाज के लोगों को पवित्रता व उद्धार का मार्ग के लिये प्रयासरत हैं।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ALWIN MASIH CHORO

अस्वीकरण

इस पुस्तक में लिखी बातें भारतीय कानून के सिर्फ कुछ अंशों की व्याख्या भर हैं। संपूर्ण भारतीय कानून को समझा पाना एक छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय संविधान तथा कानून के कुछ विशेष संदर्भों से पाठक को अवगत कराना है। यह पुस्तक किसी भी प्रकार से विधिक सहायता का विकल्प नहीं है। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार से इस पुस्तक के आधार पर की गई कानूनी कार्यवाही या उससे होने वाले किसी नुकसान के लिये उत्तरदाई नहीं होंगे। इस पुस्तक के लेखक या प्रकाशक का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं है परंतु भारतीय संविधान व कानून-व्यवस्था के प्रति अल्पसंख्यकों को जागृत करना व उनके विश्वास को मजबूत करना है।

Disclaimer: This book is for general information about the constitution and laws of India. It is NOT to be substituted for legal advice or taken as legal advice. The author or publisher of the book shall not be liable for any act or omission based on this book. The author or publisher of this book does not intend to offend religious feelings of any group, whatsoever but to strengthen the faith of minority Indians in the constitution and legal system of India.

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV. RIJESH GIORGI

प्रस्तावना

कुछ साल पहले कि बात है जब मैं दिल्ली में रहा करता था। मेरे एक समाजसेवी मित्र जो परमेश्वर की सेवा में भी संलग्न हैं, मुझे उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि हमारे मसीही सत्संग में आने वाले एक भाई के नाम सम्मन (कानूनी नोटिस) आया था जिसमें उसे पुलिस के सामने बुलाया गया था परंतु उन्होंने तामील (आदेश को ग्रहण कर उसकी पालन करना) नहीं की थी और अब उनके खिलाफ वॉरंट जारी हो गया है। उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया हुआ था और उनको राजस्थान में एक पुलिस थाने में जाना था। उस भाई की पत्नी तीन साल से उनके साथ नहीं रहती थी।

वह भाई डरा हुआ था इसलिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। उस भाई को यह डर था कि पुलिस वाले शायद उसे गिरफ्तार कर लेंगे। कानून तथा अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी के अभाव में पुलिस तथा कोर्ट-कचहरी का डर सामान्यतया सभी आम जन के मन में रहता है।

बड़ी मुश्किल से समझा-बुझा कर हम उसे अपनी गाड़ी में लेकर दिल्ली से राजस्थान के उस पुलिस थाने पहुँचे जहाँ उस भाई को तामील करनी थी। मैं और मेरे समाजसेवी भाई कुर्सी पर थानेदार साहब के सामने बैठे हुये थे और वह भाई अपराधी के समान खड़ा हुआ था।

हमारे आने का प्रयोजन जानने के बाद थानेदार साहब ने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं एक वकील हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं वकील नहीं हूँ लेकिन हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं और मैं उसका अध्यक्ष हूँ तथा मेरे साथ आये भाई मुख्य सचिव और हम उस भाई के परिवार का मेलमिलाप कराने के उद्देश्य से उस भाई को लेकर आये थे। मेरे इतना बताने के तुरंत बाद थानेदार साहब ने एक पुलिस कर्मचारी को बुलाकर उस भाई को सलाखों के पीछे बिठाने को कहा, जिसके नाम वॉरंट था।

हम अपनी ज़िम्मेदारी पर लड़की के परिवार के साथ काउंसलिंग (मेलमिलाप) कराने के उद्देश्य से उसे लाये थे परंतु मेरे कई बार विनती करने के बावजूद भी पुलिस ने लड़की तथा उनके परिवार को नहीं बुलाया। थानेदार साहब ने बोला कि लड़की के बयान हो चुके थे और यह भी कि हमारे साथ आया वह भाई थाने में बंद होगा तथा अब उसे कोर्ट से ही छुड़ाना पड़ेगा। थानेदार साहब हमारी बात नहीं सुन रहे थे और हमारी विनती को टालकर अपने

अधिकारी से मिलने जाने की बात करने लगे। मैं उनको बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जब वो गाड़ी में बैठकर जाने ही लगे तो मैंने उनकी बाँह पकड़ ली। इस पर वह एक दम आगबबूला हो गये और मुझे भी थाने में बंद करने की धमकी देने लगे।

बात इतनी बढ़ जाने पर मैंने फोन निकाला और अपने एक मित्र को जो राजस्थान पुलिस में उच्च पद पर कार्यरत थे, उनको फोन किया। मैंने उन्हें बताया कि हम उस भाई को अपनी जिम्मेदारी पर पति-पत्नी के बीच समझौता करवाने के उद्देश्य से लाये थे ताकि एक परिवार टूटने से बच जाये। तब अपने उच्चाधिकारी के कहने पर थानेदार साहब ने उस भाई का एक महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में लड़की तथा उनके परिवार से मिलने का प्रबंध किया और हमने पति-पत्नी के बीच में मेल-मिलाप कराया।

उच्च अधिकारी से अपनी जानकारी के कारण हमने इस समस्या का हल तो कर लिया लेकिन फिर मैंने विचार किया कि मेरे वकील न होने की जानकारी होते ही थानेदार साहब का बात करने का लहजा बदल गया था। तथा उच्चाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने हमारे भले काम में हमारा सहयोग किया। मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत से मसीही सेवकों को अपने सेवाकार्य के दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि परमेश्वर के बहुत से सेवक गलत तरीके से केस में फँसा दिये जाते हैं। उनके पास न कोई वकील होता है और ना ही स्वयं उन्हें कानून की जानकारी होती है।

ऐसे गलत तरीके से कानूनी दाँव-पेंच में फँसे भाई-बहनों तथा मसीही सेवकों तक विधिक सहायता पहुँचाने के लिये एलएलबी (वकालत) की डिग्री लेने का मैंने निर्णय किया और परमेश्वर ने इस काम में मेरी सहायता की।

कानून की पढ़ाई समाप्त हो जाने और कोर्ट में प्रेक्टिस कर अनुभव प्राप्त करने के दौरान परमेश्वर ने यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी ताकि आम मसीही विश्वासी व सेवकों को भारतीय कानून की कुछ जानकारी दी जा सके। प्रभु के लोगों की सहायता करना तथा उनको कानूनी सलाह देना मेरी नयी सेवा है जो प्रभु ने मुझे दी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है लेकिन संविधान तथा कानून की जानकारी न होने के कारण हमारे अंदर निर्दोष होते हुए भी कानून और कोर्ट-कचहरी का डर आ ही जाता है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य मसीही विश्वासियों तथा सेवकों को कानून की ज़रूरी बातों की जानकारी देना, उनके डर को खत्म करना और अपने अधिकारों के प्रति उनको जागृत करना है।

पुस्तक में संविधान की प्रस्तावना से मैंने यह बताया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें हरेक धर्म के मानने वालों को बराबर का अधिकार व सुरक्षा प्राप्त है।

जहाँ उत्तरी कोरिया, चीन आदि अनेक देशों का संविधान पढ़ने से पता चलता है कि सभी देशों में सब प्रकार की समानता व स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के पास नहीं है। साम्यवादी देशों में तथा मुस्लिम देशों में सब धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है परंतु भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, समता का अधिकार आदि मौलिक अधिकार के रूप में सभी नागरिकों को समान रूप से दिये गये हैं। भारत देश का हर नागरिक बिना डर के रह सकता है।

संविधान के कुछ खास हिस्सों व भारतीय दंड संहिता की कुछ चुनी हुई धाराओं को समझाने का प्रयास भी मैंने आगे के अध्यायों में किया है ताकि अपने देश के कानून में हमारा विश्वास मज़बूत हो और हम यह जान लें कि भारतीय संविधान हरेक की सुरक्षा व समानता को सुनिश्चित करता है।

अंत में कुछ व्यवहारिक बातें व सामान्य प्रश्नों के जवाब दिये गये हैं।

ज्यादातर लोगों को पुलिस में शिकायत लिखवाना नहीं आता इसलिये उसका एक प्रारूप पुस्तक के अंत में दी है, जिससे ऐसी मुश्किल के समय में सटीक शिकायत दर्ज कराने में आपको मदद मिले। मेरा मानना है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप प्रभु यीशु के मार्ग पर सुगमता से चल सकेंगे व निर्भय होकर अपनी सेवकाई को पूरा कर सकेंगे।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION ADV. BRIJESH CHOPRA

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

सूची

परिचय 11

1. डर पर विजय 15

2. बाइबल, धर्म परिवर्तन तथा भारतीय संविधान 19

3. धर्म-परिवर्तन व भारतीय इतिहास 25

4. धर्म-परिवर्तन संबंधित कानूनों का इतिहास 31

5. धर्म-परिवर्तन संबंधी कानूनों के तीन मुख्य कारक 35

6. मसीही विश्वासियों को संवैधानिक सुरक्षा 49

7. भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद 53

8. भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारायें 63

9. कलीसिया के लिये महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातें 75

निष्कर्ष 83

प्रश्न तथा भ्रांतियाँ 87

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION! - ADV. BRIJESH CHHOTIA

NT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

परिचय

मसीही जीवन में दुख का बड़ा महत्व है। एक विद्वान बाइबल शिक्षक अपने व्याख्यान के दौरान साथी सेवकों को सिखा रहे थे और मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अगला वक्ता मैं ही था। प्रचारक महोदय ने बड़े सरल शब्दों में सबका उत्साहवर्धन इसी बात से किया कि प्रभु यीशु की पहचान उनका क्रूस व उनके घाव थे।

मैंने भी इस बात पर विचार किया कि इब्रानियों 5:8 के अनुसार प्रभु यीशु ने दुख उठा-उठाकर आज्ञा मानना सीखा और हमारे सामने एक उत्तम उदाहरण पेश किया है। एक मसीही सेवक को अपने स्वामी के जैसा होना चाहिये और हमारे मसीही जीवन में मिले घाव हमारे प्रभु से हमारी समानता के प्रतीक हैं।

गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने गये। प्रभु यीशु का महिमा में प्रवेश करने का समय आ पहुँचा था और अब इस संसार में रहते हुए उनको अपने पिता की आखिरी आज्ञा का पालन करना था। मनुष्य जाति के पापों की कीमत चुकाने के लिये भारी शारीरिक यातना के द्वारा उनको असहनीय पीड़ा का सामना करना था और जगत का पाप अपने ऊपर लेकर अपने पिता से वियोग का अकल्पनीय आत्मिक दुख भी उनको सहना था। प्रभु यीशु दैनिक रूप से प्रार्थना करते थे और इस प्रकार अपने शारीरिक जीवन में पवित्रता तथा आज्ञाकारिता की सामर्थ प्राप्त करते थे। अपनी निरंतर प्रार्थनाओं के फलस्वरूप यीशु मसीह आत्मिक रूप से इस आज्ञापालन के लिये तैयार थे।

यीशु ने अपने चेलों से भी इस बात को कहा था कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो – मत्ती 26:41, इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परीक्षा से बच जायेंगे बल्कि यह था कि वे परीक्षा के समय में अपने विश्वास में अडिग रह सकेंगे।

एक बार जयपुर में, मैं एक पास्टर साहब से मिला जिनके घर में घुसकर कुछ धर्मांध लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। उनका यह पूरा वाकया मैंने टीवी के न्यूज़ चैनल में देखा था। जब उनसे मिलने का मौका मुझे मिला तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने टीवी में देखा था कि जब वे सब लोग मिलकर बड़ी निर्दयता से उनके साथ मारपीट कर रहे थे तब भी वह उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे और कोई प्रतिकार या गुस्सा नहीं कर रहे थे। मैंने बड़ी जिज्ञासा

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

के साथ उनसे पूछा कि बिना गलती जब उनको मार-मारकर लहूलुहान कर दिया गया था तब भी वह क्षमा करके उन लोगों को प्रेम के साथ सुसमाचार प्रचार कैसे कर पा रहे थे।

तब पास्टर साहब ने मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था – भाई, मैं बहुत साल से इस विषय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, जब कभी ऐसे सताव का मौका आये तो मुझे क्षमा और प्रेम करने की सामर्थ देना। उन्होंने बताया कि बाइबल की इस बात पर उन्होंने विश्वास किया है कि सताव को आनंद की बात समझना है। साथ ही, उन्होंने बताया कि इस सताव के भागी होकर उन्होंने प्रभु यीशु के साथ सहभागिता की है।

उनकी यह बात मुझे उस दिन याद आई जब वह प्रभु के दास यीशु मसीह के घावों को प्रभु यीशु की पहचान बता रहे थे और इस बात से वह अपने साथी सेवकों को उत्साहित कर रहे थे। मैंने भी इस बात पर मनन किया और बाद में सेवकों के एक अलग समूह के बीच इस विषय पर प्रचार भी किया कि एक धोती बांधा हुए अर्धनग्न व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। सिर्फ धोती पहनना तो मसीह की पहचान नहीं थी लेकिन क्रूस उठाया हुआ वह लहुलुहान व्यक्ति जो सिर पर काँटों का ताज पहने हुए है, यीशु मसीह की स्पष्ट पहचान ज़रूर है।

उसी प्रकार एक विश्वासी तथा सेवक को परिपक्वता तक पहुँचने में कई घावों से होकर गुजरना पड़ता है। ये घाव मानसिक व भावनात्मक हो सकते हैं और शारीरिक भी, परंतु इनके बिना प्रभु यीशु के साथ एकसार नहीं हुआ जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी (चेला) होने की शर्त यह बताई थी कि अपना क्रूस उठाकर प्रभु की आज्ञाओं में चलना (लूका 9:23) है। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों को अपने घाव दिखाये ताकि वे उन्हें पहचान लें (यूहन्ना 20:20)।

प्रभु ने बताया था कि जब स्वामी को इस संसार के लोग दुख पहुँचाते हैं तो उसके चेलों के साथ ऐसा क्यों नहीं करेंगे। संसार सत्य से और सच्चे प्रभु के लोगों से घृणा करेगा, यह पूर्वसूचना यीशु ने अपने वचन में दे दी थी इसलिये हर विश्वासी और सेवक को भी सताव के लिये तैयार रहना चाहिये।

इस किताब को पढ़ और समझ लेने के बावजूद ऐसे कठिन समय आपके विश्वासी और सेवकाई के जीवन में आयेंगे जब आप सतायें जायेंगे। प्रभु ने बताया था कि आपके घर के लोग ही आपके बैरी होंगे और इसलिये आपको अपनों के भी तिरस्कार के घाव सहने होंगे। अपने परिवार, मित्र या अपनी ही कलीसिया के लोगों से हमें भावनात्मक घाव मिल सकते हैं। हमारा बैरी शैतान हमारे विरोधियों के मन में ऐसा विचार डाल सकता है जिसके कारण वो हमारा विरोध करें। वे हमारे साथ मारपीट करें या झूठे आरोप लगाकर हमें जेलों में डलवायें। यह सब तो होगा क्योंकि प्रभु यीशु ने अलग-अलग वचनों में (मत्ती 10:34, यूहन्ना 16:2, लूका 21:12) इस बात की पुष्टि कर दी थी परंतु साथ ही बता दिया था कि जगत में संकट

और सताव तो आयेगा परंतु हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर ने जगत को जीत लिया है – यूहन्ना 16:33 और जगत के अंत तक वो हमारे साथ है – मत्ती 28:19

प्रेरितों के काम 9:4-5 पढ़ने पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को जब सताया जाता है तो प्रभु यीशु इसे स्वयं पर किया गया सताव का दर्ज़ा देते हैं और पौलुस से सवाल करते हैं कि तू 'मुझे' क्यों सताता है। ध्यान दें कि प्रभु यीशु ने मृतकों में से जी उठने के बावजूद अपने सताने वालों से किसी प्रकार का बदला नहीं लिया परंतु दमिश्क के रास्ते में यीशु ने पौलुस को दर्शन देकर उससे अपने विश्वासियों पर हो रहे सताव का हिसाब इन शब्दों में माँगा कि 'मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है'। यीशु मसीह के चेले होने के कारण जो सताव आप पर हो रहा है उसे परमेश्वर जानते हैं और उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देंगे।

पौलुस के शब्दों में इस बात को ऐसे समझें – "क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है" - 2 कुरिन्थियों 4:17, और स्वयं प्रभु यीशु के शब्दों में हम उस बात को भी हमेशा याद रखें – "मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परन्तु संसार आनन्द करेगा; तुम्हें शोक होगा, परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दु:ख की घड़ी आ पहुँची है, परन्तु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनन्द से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुम से फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन आनन्द से भर जाएँगे; और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से छीन न लेगा" - यूहन्ना 16:20-22

भाई शिष्य थॉमसन का एक कथन मुझे याद है। वो हमेशा कहा करते हैं – "प्रभु यीशु मौत से कम का सौदा नहीं करता"। यदि हम इस बात को समझ गये तो डर पर जय पाना आसान हो जायेगा।

साथ ही, इस पुस्तक में विस्तार से बताये गये कानूनी पहलुओं को पढ़ने पर आप जान जायेंगे कि भारती संविधान सभी जाति व धर्म के लोगों को समान रूप से देखता है व समान अधिकार देता है। ऐसे संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन होने पर उनको बहाल करवाने का अधिकार भी सबको समान रूप से देता है।

जब हम अपने देश के संविधान को समझने लगेंगे तो कानून का अनावश्यक डर भी स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। आप अपने आपको भारत देश में आज़ाद समझकर प्रभु यीशु मसीह की भक्ति व उसका प्रचार स्वतंत्रता के साथ कर सकेंगे।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

NT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

1

डर पर विजय

डर, विश्वास का विपरीत स्वभाव रखता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर नहीं होता। जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले मसीही विश्वासी भूत-प्रेतों से नहीं डरते बल्कि यीशु नाम की सामर्थ से दुष्ट-आत्माओं को निकाल देते हैं।

असल में, अधिकतर हमारा डर बेबुनियाद होता है। उनका आधार आशंका और कल्पना होता है। अनिष्ठ की आशंका और अनेक कल्पनाओं के चलते अनायास ही ऐसी घटनाओं का डर हम अपने मन में बसा लेते हैं जो कभी अपने जीवन में हमें अनुभव करनी ही नहीं पड़ती।

करीब पाँच सौ वर्ष पहले, माइकल डी मोन्टेन ने कहा था – "मेरा जीवन भयानक अनिष्ठ (की आशंका) से भर गया है, जिनमें से अधिकांश आशंकायें निर्मूल साबित हुईं और जैसा डर था वैसा कभी हुआ ही नहीं"।

सांख्यिकीय शोध के द्वारा विद्वानों ने इस बात को साबित किया है कि 85% ऐसे अनिष्ठ की आशंका, जिससे हम डरते हैं कि भविष्य में हमारे साथ हो सकता है, वो कभी होता ही नहीं है। बचे हुए 15% डराने वाली परिस्थितियों में से अधिकतर को अपने साहस, सूझ-बूझ तथा समझदारी से हल किया जा सकता है। इस प्रकार से यह माना जा सकता है कि हमारे जीवन का 95-98% डर निराधार होता है, इसलिये हमें डरने का ज़रूरत नहीं है।

यह भी सच है कि डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है परंतु खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है (2 तीमुथियुस 1:7) इसलिये मेरा विश्वास है कि डर पर जय पाई जा सकती है। जिन बातों से हमें डर लगता है उसके विषय में यदि हमारी जानकारी ठोस हो तो काफी हद तक इस पर विजय पाई जा सकती है। इसके अलावा प्रार्थना करके परमेश्वर का हाथ उसकी संतान के रूप में थाम लेने से भी हमारा डर दूर होता है। भयमुक्त जीवन की तस्वीर पेश करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

कानूनी बातें बताने से पहले मैं आपको दो-तीन घटनायें उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ।

जॉन बुनयन ने एक बड़ी प्रख्यात पुस्तक लिखी है – 'द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस'। यह बाइबल के बाद सबसे ज्यादा भाषाओं में (करीब 200) अनुवाद की गई पुस्तक है। यह पुस्तक 15वीं-16वीं शताब्दी में लिखी गयी थी और आज तक इस किताब को पढ़ा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि परमेश्वर की सेवा करने के कारण जॉन बुनयन को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था और लगभग 17 साल उनको जेल में गुजारने पड़े लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी।

ऐसा ही एक और वाकया मैंने चीनी प्रचारक वॉचमैन नी (Watchman Nee) के बारे में पढ़ा जो कि चीन में परमेश्वर के दास और एक बाइबल प्रचारक थे। कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) देश नास्तिक विचारधारा का पालन करते है। कम्यूनिस्ट सोच के अनुसार कोई भी ईश्वर नहीं है इसलिये ऐसे देशों में परमेश्वर का प्रचार करना मना है और आप किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं।

वॉचमैन नी बाइबल के परमेश्वर का प्रचार-प्रसार करते थे इसलिये पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया तो उन्होंने जेल में से ही पुस्तकों को लिखना व प्रभु यीशु की शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया।

इनके अलावा मैंने एक और परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ा था जिन्हें बाइबल का प्रचार करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। प्रभु के वह दास इस बात से बिलकुल भी परेशान नहीं हुए बल्कि उन्होंने जेल में ही साथी कैदियों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया।

जेल अधिकारियों ने जब यह देखा कि बहुत से लोग उनकी बातें सुनकर ईश्वर में आस्था रखने लगे हैं और कलीसियाई झुंड जेल में बढ़ने लगा है तो उन्होंने इसका यह हल निकाला कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर परमेश्वर के उस दास को दिन के समय में काल कोठरी में डाल दिया गया। रात में जब सब लोग सो रहे होते थे तब उन्हें जेल की सफाई करने का काम करने का काम दिया गया ताकि वे किसी को प्रचार न कर सकें।

इतने पर भी वह भाई कुड़कुड़ाये नहीं परंतु वो रात के समय में प्रभु के गीत गा-गाकर जेल की सफाई किया करते थे। लोग उनकी आवाज सुनकर जाग जाते थे और कहते थे कि भाई तुम जेल में हो फिर भी गीत गा रहे हो। इस पर वो रात को भी अपने आत्मिक आनंद और परमेश्वर के प्रेम के विषय में लोगों को बताने लगे। इस प्रकार रात के समय में संगति शुरू हो गयी।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION ADV BRIJESH CHOPRA

जब जेल के अधिकारियों ने देखा कि ये तो किसी प्रकार से रुक नहीं रहा तो उन्होंने उसे जेल से बाहर निकालने का निर्णय लिया। उनको डर था कि ऐसे तो वह पूरी जेल को ही यीशु मसीह का विश्वासी बना देता। उस सेवक को तुरंत प्रभाव से जेल से बाहर निकाला गया। जब वह बाहर आ गया तो वह आज़ाद हो गया और फिर वह सब जगह प्रचार करने लग गया। परमेश्वर का दास समर्पित हो तो प्रभु की इच्छा को पूरा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता।

इस घटना के विषय में मुझे अच्छे से यह बात नहीं मालूम की यह कितनी सत्य घटना है या यह बात सच है भी या नहीं क्योंकि इसे मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था। लेकिन फिर भी इस घटना से एक दृष्टांत के तौर पर हम यह तो सीख ही सकते हैं कि प्रचार करने के लिए हमें बस एक कमरा, एक बाइबल और कुछ लोग ही चाहिए। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और उसका वचन हमारी आत्मा में है तब हम कहीं भी प्रचार कर सकते हैं - फिर चाहे हम जेल के अंदर हो या बाहर, सेवा तो फिर भी की ही जा सकती है। हम में किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए।

मेरे दुबई प्रवास के समय की एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक प्रिय सिंधी भाई हैं - संजय, जो अब एक अच्छे विश्वासी हैं। अपनी गवाही के दौरान वो बताते थे कि जब वो विश्वासी नहीं थे और अपने व्यापार की चरम सीमा पर थे उस समय वे अपने तरीके से ईश्वर को मानते थे और संसार के सभी व्यसनों में भी लिप्त थे। कुछ सालों के बाद, किसी कारण से अचानक उनका व्यापार एकदम खराब हो गया। इस कारण उनके चैक बाउन्स हो गये और उनको जेल जाना पड़ा। उस समय वो अपने दुख को मिटाने के लिए गीता पढ़ा करते थे। जेल में ही, एक बार उन्हें एक और सिंधी भाई मिले तो उनको तसल्ली मिली और उन्होंने उस भाई से मित्रता कर ली। वो सिंधी भाई एक लाल रंग की किताब पढ़ा करते थे। संजय भाई ने उस भाई से पूछा – "भाई ये तुम लाल रंग की कौन सी किताब पढ़ते हो"?, इस पर उस भाई ने बताया कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ।

संजय भाई ने यह सुना तो वह नाराज हो गये और कहा – "तुम तो हिन्दू हो फिर भी बाइबल पढ़ते हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया इसलिये मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा"। इसके बाद उन्होंने सच में उस सिंधी भाई से बात करना बंद कर दिया।

फिर, एक बार संजय भाई बीमार पड़ गये तो जेल में वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे थे। ऐसे में वो सिंधी भाई संजय भाई से बार-बार आकर मुलाकात किया करते थे। संजय भाई ने उससे पूछा –" मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की और तुमसे दुर्व्यवहार किया फिर भी तुम मेरे पास में क्यों आते हो"? उस भाई ने कहा, "यीशु मसीह ने मुझे प्रेम करना सिखाया है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ"। इस तरह वे दोनों फिर से मित्र बन गये और संजय भाई बाइबल की बातें सुनने लग गये। वो गीता के साथ-साथ बाइबल भी पढ़ने लगे।

DO NOT COPY OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

एक दिन उन्होंने उस विश्वासी सिंधी भाई से सवाल किया कि यदि जब तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है तो फिर तुम्हारे जीवन में ये दुख कैसे आया और तुम जेल में कैसे आ गये? उस भाई ने जवाब दिया - यदि मैं जेल में नहीं होता, तो तुमको प्रभु का वचन कौन सुनाता? शायद तुमको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी योजना व परिस्थितियाँ मेरे जीवन में बनायी कि मैं जेल आऊँ।

इस गवाही से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की योजना यदि आपको अपनी महिमा के लिये इस्तेमाल करने की है तो वह आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा – फिर चाहे वो जगह जेल हो, घर हो, कब्रिस्तान हो, गाँव हो या शहर हो - इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के दास हैं तो जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, डर किस बात का है? डर से मुक्त हो जाइये।

विदेश प्रवास के दौरान शारजाह में हमारी कलीसिया के पास्टर साहब अर्नेस्ट विक्टर कहा करते थे – संसार की सबसे सुकून भरी, सुरक्षित और आशीषमय जगह वह है जहाँ आप परमेश्वर की इच्छा के केन्द्र में रहते हैं। यदि आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है तो फिर आप विश्वास करते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा बल्कि उसे आपके खातिर मरने के लिये भेज दिया, वो आपसे और कोई भी आशीष छुपा कर नहीं रखेगा (रोमियों 8:32), वही आपकी सुरक्षा भी करेगा।

प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाते हुए कहा था कि उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं बल्कि उस परमेश्वर से डरो जिसको आत्मा व शरीर दोनों को घात करने का अधिकार है। प्रभु यीशु ने जगत के अंत तक हमारे साथ रहने का वायदा किया है।

यदि हम परमेश्वर के वचन और वायदों पर भरोसा रखते हैं तो हम बड़ी आज़ादी के साथ, बिना किसी डर के, आनंदपूर्वक तरीके से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION - ANU BRIJESH CHOPRA

2

बाइबल, धर्म परिवर्तन तथा भारतीय संविधान

टी वी में समाचार देखने पर और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आपने यह पाया होगा कि मसीही प्रचारकों पर चरमपंथी हिंदुत्ववादी संगठन व उनके अंधभक्त समर्थक जबरन धर्म परिवर्तन, या अंधविश्वास फैलाकर धोखे से धर्म-परिवर्तन अथवा लालच देकर धर्म-परिवर्तन करने का दोषारोपण करते हैं। अनेक राइट विंग (धार्मिक राष्ट्रवाद की समर्थक) मीडिया भी ऐसी ही पूर्वाग्रहित खबरें प्रसारित करते हैं जिससे जनमानस के मन में धर्म-परिवर्तन और ईसाईयों के प्रति घृणा का भाव पैदा होता है।

जो मसीही विश्वास का विरोध करते हैं, वे आत्मिक चमत्कारों को पाखंड, परमेश्वर के प्रेम व बाइबल में दी गई ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को लालच व गरीब लाचारों को सुसमाचार प्रचार के द्वारा विश्वास में आने की प्रेरणा को जबरन धर्म-परिवर्तन का नाम देते हैं।

संपूर्ण मसीहीयत को आज एक अलग आस्था के रूप में देखने के बजाय धोखाधड़ी करने का प्रयास बताया जा रहा है। एक ऐसा निर्मूल डर जिसका कोई आधार नहीं है, उससे डराया जा रहा है कि 3-5% मसीही लोग बाकी के 95% हिंदुस्तानियों को ईसाई बना डालेंगे।

जहाँ यह बात सच है कि 800 साल के मुस्लिम शासन काल में भारत इस्लामिक देश नहीं बना और अंग्रेजों के 200 साल के शासन में भी हिंदुस्तान एक ईसाई देश नहीं बना, वहीं एकाएक यह विमर्श (विचार) फैला दिया गया है और सांप्रदायिक ज़हर देश के लोगों में भर दिया गया है कि हिंदू धर्म खतरे में है। इस के फलस्वरूप एक अंधभक्त वर्ग क्रोध में अंधा हो गया है और दूसरा वर्ग जो पढ़े-लिखे हिंदुओं का है उसमें भी एक भयमिश्रित गुस्सा भर गया है। अतिवादी जहाँ मसीही संस्थाओं को तहस-नहस करते हैं, पढ़ा-लिखा वर्ग उसे मौन स्वीकृति देता है – कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिये। कुछ आवाजें उठती हैं जो इस अतिवाद और धार्मिक-आतंकवाद को गलत बतातीं हैं परंतु उनकी संख्या इतनी कम है कि उनका होना या न होना ज्यादा अंतर पैदा नहीं करता।

क्या यह सत्य है कि बाइबल धर्म-परिवर्तन करने की शिक्षा देती है? नहीं!

यह एक कोरी कल्पना है। मूर्खता की बात यह भी है कि ऐसे कट्टरपंथी सोचते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और मसीही धर्म सिर्फ 2000 साल पुराना है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु के जन्म से 4000 साल पहले, सृष्टि के आरंभ से शुरू हुई मनुष्य की उत्पत्ति, उसके पतन व उसके उद्धार की परमेश्वर की योजना बाइबल की पूरी कहानी है। वैज्ञानिक रूप से भी जिस मनुष्य को हम आज देखते हैं उसका 6000 साल से पुराना कोई सामाजिक इतिहास नहीं मिलता है। इस बात को समझ लेने से यह समझना भी आसान हो जाता है कि मसीही विश्वास पुरातन और सनातन पंथ है, जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ समानांतर रूप से चलता है।

यह बात सतही तौर सच हो सकती है कि विज्ञान के अनेक तथ्य बाइबल से मेल खाते प्रतीत नहीं होते; जैसे - थ्योरी ऑफ इवॉल्यूशन या प्राकृतिक चयन एवं जैविक विकास का सिद्धांत) जिसके अनुसार मनुष्य का जन्म दूसरे प्राणियों के विकास का प्रतिफल है जबकि बाइबल बताती है कि मनुष्य का जन्म सीधे आदम और हव्वा अर्थात इंसान के रूप में ही हुआ। हालाकि अलग अलग समय के वैज्ञानिकों में आपस में ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर मतभेद होता रहता है और इसे वैज्ञानिक (प्रायोगिक) रूप से स्वीकृत नहीं माना गया है परंतु बहुत से वैज्ञानिक व नास्तिक प्रवृत्ति के लोग इस पर वैसी ही आस्था रखते हैं जैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाले भक्तजन। विज्ञान और बाइबल के इस अंतर पर विवाद करना या इस पर विचार करना इस पुस्तक की विषयवस्तु नहीं है।

बहरहाल, विज्ञान इस बात पर विवाद नहीं करता कि जिस जैविक प्राणी को विज्ञान होमो-सेपियन कहता है और हम जिसे इंसान कहते हैं ऐसे विकसित मनुष्य का जैविक इतिहास पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर लाखों साल पुराना बताया जाता हो तो भी उसका पूरा सामाजिक इतिहास 6000 वर्षों से अधिक का नहीं है जो कि बाइबल में दिये गये मानव-इतिहास से मेल खाता है।

इसी प्रकार प्रचलित भ्राँतियों के विपरीत बाइबल की 66 किताबों में से किसी भी पुस्तक में 'धर्म-परिवर्तन' शब्द या इससे जुड़ी शिक्षा का ज़िक्र नहीं है। बाइबल में जहाँ भी 'धर्म' शब्द का उपयोग हुआ है वो धार्मिकता के स्थान पर हुआ है जिसका अर्थ पवित्रता समझा जाना चाहिये। प्रभु यीशु ने या उनके चेलों में से किसी ने भी धर्म-परिवर्तन की अगुवाई या पैरवी नहीं की है। प्रभु यीशु ने आत्मिक सत्य का प्रचार करने और समस्त मनुष्य जाति के उद्धार के मार्ग की घोषणा पूरे संसार में करने की जिम्मेदारी अवश्य अपने चेलों को दी है।

हालांकि धर्म-परिवर्तन अपने आप में असंवैधानिक या गैरकानूनी नहीं है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से धर्म-परिवर्तन के खिलाफ हूँ। मेरे विचार में ज्यादातर वर्तमान मसीही सेवक

भी धर्म-परिवर्तन की पैरवी नहीं करेंगे। शायद कुछ ऐसे पारम्परिक ईसाई हों जिन्होंने प्रभु यीशु की बाइबल में वर्णित शिक्षाओं को एक धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर ही समझा हो और प्रभु यीशु के महान आदेश को धर्म-परिवर्तन करने की आज्ञा समझा हो, परंतु मेरा व अधिकतर बाइबल को पढ़ने वाले विश्वासियों का विचार उनसे भिन्न है।

मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूँ और अपनी विधिसम्मत (कानूनन) पहचान में कोई परिवर्तन करने का इच्छुक नहीं हूँ। मैंने अपने जन्मजात धर्म का त्याग नहीं किया है और न ही किसी नये धर्म को अपनाया है – मेरी आस्था आत्मिक है इसलिये धर्म-परिवर्तन जैसा कोई कार्य करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रभु यीशु में मेरा विश्वास मेरे अंतःकरण की आस्था है जो कि मेरा संवैधानिक अधिकार है और जीवन-पर्यंत मैं अपने विश्वास और प्रभु यीशु की आज्ञाओं का, जो कि बाइबल में वर्णित हैं, उनका पालन करता रहूँगा ताकि अनंत जीवन को प्राप्त करूँ।

परंतु अब सवाल है कि यदि सभी मसीही संस्थायें और मसीही प्रचारक धर्म-परिवर्तन के इच्छुक नहीं हैं तो फिर मीडिया और कट्टरपंथी इसे धर्म-परिवर्तन का नाम क्यों देते हैं। इसका जवाब है – राजनीतिक फायदा। अपने राजनीतिक फायदे के लिये कुछ राजनीतिज्ञों ने यह विमर्श खड़ा किया है और जनमानस के पटल पर 'धर्म-परिवर्तन' जैसा विचार गढ़ दिया है। इसी कारण भारत जैसे अंहिसा व सहिष्णुता का पालन करने व सभी धर्मों का आदर करने वाले देश में आज अहिंसक व शांति-प्रिय मसीही प्रचारकों का विरोध हिंसा और कानून का दुरूपयोग करके किया जाता है।

हाँ, यह सच हो सकता है कि बाइबल को धर्म के चश्में से देखने वाले कुछ लोग जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने, चेला बनाने व बपतिस्मा देने की आज्ञा को अपने मानवीय व्याख्या के कारण धर्म-परिवर्तन समझते हों और त्रुटिवश या किसी और लालच के कारण ऐसा करते भी हों, परंतु उनके ऐसा करने से बाइबल की शिक्षा को धर्म-परिवर्तन की पोषक समझना एक भूल होगी। बाइबल की सच्ची शिक्षा भारतीय संविधान की मूल-भावना के अनुरूप है।

अब हम संक्षेप में भारत के संविधान का सार समझने की कोशिश करते हैं।

भारत के संविधान में धर्म की व्याख्या

संविधान की प्रस्तावना हमें हमारे देश का निर्माण करने वालों के मन में झाँकने का मौका देती है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारे देश में न किसी धर्म-विशेष को

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

ऊँचा किया जा सकता है और न किसी अन्य धर्म को नीचा। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं"।

हमारे संविधान के अनुसार हम सब बराबर हैं इसलिये यदि कोई अपराध न करे तो उसमें और किसी उच्च अधिकारी में कानून के समक्ष कोई अंतर नहीं है और यदि अपराध करें तो एक अमीर व्यक्ति का भी परिवाद न्यायालय में उस ही व्यवस्था के अधीन सुना जायेगा जिसमें गरीब का सुना जायेगा। जाति, धर्म, पद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति (अमीर या गरीब, अधिकारी या गैर अधिकारी) कानून से ऊपर नहीं होगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति हत्या का अपराध करे और सरकारी अधिकारी वही अपराध करे तो दोनों के ऊपर समान तरीके से मुकदमा चलेगा और सजा का प्रावधान भी समान होगा। देश का कानून दोनों पर समान रूप से लागू होगा और सरकारी अफसर होने से कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। इसे विधि के समक्ष समता कहा जाता है।

समान परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जायेगा। निरपराध होने की दशा में जितना कानूनी संरक्षण धनी व्यक्ति को प्राप्त होगा उतना ही गरीब को भी होगा, हिंदू को भी होगा और मुस्लिम या ईसाई को भी होगा।

धनी व्यक्ति कोर्ट में अपने पैसे के कारण अच्छा वकील रख सकता है तो समता के लिए गरीब व्यक्ति के लिये, जो अपने लिये वकील की फीस का इंतज़ाम ही नहीं कर सकता, उसको कोर्ट ही सरकारी वकील की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाएगी ताकि अमीर और गरीब दोनों

व्यक्ति कोर्ट में या सरकारी दफ्तर में समान तरीके से अपना काम करवा सकें व न्याय प्राप्त कर सकें।

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदू-राष्ट्र की कल्पना निराधार है और गैरकानूनी है। हमारे देश में कानून का दर्जा सबसे ऊँचा है और कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा भाईचारा हमारे देश की मूलभावना का प्रतीक है। यदि देश के संविधान की उपरोक्त मूलभावना के अनुरूप आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं इसलिये आप परमेश्वर-भक्त के साथ देशभक्त भी हैं।

एक विश्वासी को देशभक्त होना ही चाहिये और अपने अधिकारियों के लिये प्रार्थना करनी चाहिये ताकि भक्त जन शांतिपूर्वक भक्तिपूर्ण जीवन बिता सकें (1 तीमुथियुस 2:2)। मैं इस बात को रोमियो 13:1-4 के अनुसार मानता हूँ कि वर्तमान सरकार भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है और जिस प्रकार परमेश्वर के सामने बलवा करने वाले इस्रायलियों पर परमेश्वर उनके विरोधियों (अम्मोनियों, अमालेकियों आदि) को प्रबल होने देता था ताकि वे अपनी गलती का एहसास करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के मार्ग में आयें, उसी प्रकार वर्तमान समय में परमेश्वर विश्वासियों से एक बार फिर से इस बात की उम्मीद करता है कि हम अपने बुरे कामों से, समझौते भरी मसीहियत से और स्वार्थी बातों से मन फिरायें और सच्ची मसीहियत को अपने देश में लाने के लिये अपने आपको तैयार करें। जब तक हम मनफिराव व पश्चाताप कर अपने आपको नम्र नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे विरोधियों को हम पर प्रबल होने देगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानकर उस इच्छा को पूरा करना शुरू कर देंगे और अपने देश के लिये प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर ही (जल्द ही) हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे व मसीहियों पर शांति को बहाल करेंगे (2 इतिहास 7:14)।

मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूँ कि आज हमारे देश के नेता कितना भी बोलें कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार मैं समझता हूँ कि हम अंत समय में जीवन बिता रहे हैं इसलिये संसार के अच्छे दिन अब कभी नहीं आयेंगे बल्कि जल्दी ही हमारे प्रभु यीशु का आगमन बादलों पर होगा ताकि प्रभु के ईमानदार विश्वासी व परमेश्वर की कलीसिया अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने को उठा ली जाये।

बाइबल के अनुसार अच्छे दिन नहीं बल्कि कठिन दिन आयेंगे। विश्वासी जन पवित्र आत्मा की सहायता से इस समय में आत्मिक जीवन बिता पायेंगे और प्रभु यीशु के आगमन तक अपने आपको शुद्ध रख पायेंगे। इस तरीके से समझें तो अच्छे दिन सिर्फ प्रभु यीशु के विश्वासियों और उसके सेवकों के लिये आयेंगे जो नम्रता, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता व विश्वास का जीवन जीते हैं और जो प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा विश्वास के साथ करते हैं।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

यदि आप कानूनी रूप से अपने देश की विधि-व्यवस्था का पालन करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से आपको हियाव मिलना चाहिये कि आप को मसीही जीवन जीने और प्रचार-कार्य करने की आज़ादी है। कानून के समक्ष सब बराबर हैं इसलिये आप के साथ भेदभाव नहीं हो सकता।

संविधान के अनुसार हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है इसलिये आप बाइबल की शिक्षा के अनुसार भाईचारे, प्रेम, एकता व समता की भावना के साथ हरेक जाति, धर्म तथा श्रेणी के लोगों के साथ सेवाकार्य व आत्मिक संगति कर सकते हैं।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

3

धर्म-परिवर्तन व भारतीय इतिहास

विधिक ज्ञान की कमी के कारण ही हमें कानून का डर लगता है। जब हमें कानून की जानकारी होगी तो फिर कानून का डर नहीं लगेगा। धर्म-परिवर्तन असल में कहीं भी ठीक से परिभाषित नहीं है और अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं कि धर्म-परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है परंतु राजनीतिज्ञों व अवसरवादियों द्वारा बरगलाये जाने पर भोले-भाले लोग आवेश में भरकर अकारण ही मसीहियों से घृणा करने लगते हैं और उन पर हमले भी करते हैं।

क्या मेरे हाथ में बाइबल को देखने से आप मुझे ईसाई कह देंगे तो फिर यदि मैं कल गीता को भी अपने हाथ में ले लूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं बाइबल को पढ़ता हूँ इसलिये मान लेंगे कि मेरा धर्म बदल गया तो कल को मैं तुलनात्मक अध्ययन के लिये गीता भी पढ़ूँगा तो आप मुझे क्या समझेंगे? यदि चर्च जाने के कारण आप मुझे कनवर्ट कहते हैं तो कल को मैं किसी हिंदू धार्मिक स्थान में चला गया तो आप मुझे क्या रिकनवर्ट कहेंगे? यदि बपतिस्मा लेने के कारण आप मान लेते हैं कि मेरा धर्म बदल गया है तो कल यदि मैं गंगा नदी में डुबकी लगा लूँगा या उसमें तैरूँगा तो क्या आप मान लेंगे कि अब मेरी घर वापसी हो गई है? और जिसने गंगाजी में ही बपतिस्मा लिया हो उस व्यक्ति को आप क्या मानेंगे?

धर्म तो व्यक्तिगत आत्मिक आस्था का विषय है, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से विवाद करना और धर्म-परिवर्तन आदि के विमर्श में पड़ना निरी मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है।

क्या धर्म-परिवर्तन गैर-कानूनी है?

सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि हालांकि न तो बाइबल धर्म-परिवर्तन सिखाती है और न मसीही सेवक इस बारे में किसी को बाध्य करते हैं फिर भी व्यक्तिगत रूप से हरेक भारतीय को किसी भी धर्म को मानने, ग्रहण करने व स्वैच्छिक धर्म-परिवर्तन करने का

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV. BRIJESH CHOROTIA

संवैधानिक अधिकार है। धर्म-परिवर्तन अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है। अपना धर्म बदलने के इच्छुक व्यक्ति के लिये इसका एक विधि-सम्मत तरीका है।

संविधान निर्माता बाबा साहब डा. भीमराव आम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करने और देश के कानून मंत्री रहने के बाद 1956 में राज्यसभा के संवैधानिक पद पर रहते हुए स्वयं अपने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को सार्वजनिक तौर पर अपनाया था और उनका अनुसरण करके बड़े पैमाने पर करीब करीब 5 लाख दलितों ने भी अपना धर्म-परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। आज के असहिष्णु समय में संभवतया बाबा साहब पर भी धर्म-परिवर्तन के कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाता और उन्हें जेल में भेजने का प्रयास अंधभक्त धर्मोन्मादी अवश्य ही करते।

बाबा साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। छूआछूत व जातिगत भेदभाव के दंश को सहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर वंचित समाज को मुख्यधारा में लाने के लिये जो उन्होंने किया उसके लिये हम उनका आदर और नमन करते हैं। अल्पसंख्यकों व महिलाओं के उत्थान के लिये भी उनका कार्य अति सराहनीय है।

डा. आम्बेडकर मसीही धर्म व बाइबल की शिक्षाओं से अच्छी तरह से परिचित थे। इंग्लैंड और अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने चर्च में भी जाकर प्रार्थना की (करवाई) - इसका उल्लेख उनकी लेखनी में मिलता है। उन्होंने मसीही विश्वास को क्यों नहीं अपनाया यह अपने आप में एक अलग विषय है जिस पर विस्तार से बात की जा सकती है परंतु संक्षेप में कुछेक बातें मैं कह सकता हूँ।

जन्म के बाद से, होश संभालने के साथ ही जातिगत भेदभाव से भीमराव आम्बेडकर का सामना हुआ जिससे उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति अलगाव की भावना पनपने लगी थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में इस बात का निर्णय लिया था कि छुआछूत की इस सामाजिक कुरीति के कारण वे हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। उन्होंने कहा था कि – मैं पैदा हिंदू ज़रूर हुआ हूँ परंतु मैं हिंदू मरूँगा नहीं। इस प्रकार हम जानते हैं कि बाबा साहब को धर्म-परिवर्तन करने की प्रेरणा आत्मिक नहीं परंतु सामाजिक कारणों से मिली थी और बौद्ध धर्म स्वीकार करने से बहुत पहले ही उन्होंने यह निर्णय ले लिया था।

बाबा साहब दलितों के उद्धार के आंदोलन के प्रणेता व नायक थे। जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा किया था कि वे धर्म-परिवर्तन करना चाहते हैं तो अनेक धर्मों के नेताओं ने आकर उनसे मुलाकात की थी। बाबा साहब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रभावित थे परंतु वो एक सामाजिक क्रांति के नायक भी थे। अपनी समझ में, विदेशी धर्म को अपनाकर वे अपनी सामाजिक क्रांति को निष्प्रभावी नहीं कर सकते थे।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR PERMISSION. ADV BRIJESH CHOROSIA

ऐसा करने पर बहुत से लोग उनकी क्रांति से किनारा कर सकते थे। साथ ही, उनका धर्म-परिवर्तन का उद्देश्य पापों से मन फिराकर आत्मिक मन-परिवर्तन करना नहीं था बल्कि सामाजिक रूप से सवर्ण हिंदुओं को एक ठोस संदेश देना था। इसलिये उन्होंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया बल्कि उनके समता व नास्तिकता के विचारों से मेल खाने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जिसका उद्गम भारत में हुआ था।

मैं बाबा साहब का बहुत आदर करता हूँ और उनके सामाजिक कार्यों, दलितोद्धार के कामों और संविधान को रचकर उसमें समानता का अधिकार हमेशा के लिये सुरक्षित करने के लिये मैं उनको सतत नमन करता हूँ। फिर भी, आत्मिक बातों में मेरा विचार भिन्न है, और मैं सोचता हूँ कि अपने व्यक्तिगत कारणों से या सामाजिक क्रांति के लिये यदि वे इसे ज़रूरी मानते और ईसाई धर्म को भी अपना लेते तो भी यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता और इसका बाइबल की शिक्षा से कोई संबंध न होता।

बहरहाल, बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं धर्म बदल कर यह साबित कर दिया कि धर्म-परिवर्तन अपने आप में गैर-कानूनी या देशविरोधी नहीं है और भारत के संविधान के निर्माण के समय इस बात की आजादी सभी नागरिकों को भी दी।

DO NOT COPY. FOR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

महात्मा गाँधी भी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय में ईसाई गिरजाघरों में गये व प्रार्थना-सभाओं में शामिल हुए। उन्होंने बाइबल की शिक्षा को ग्रहण किया। बाइबल के नये नियम की पुस्तक लूका 6:29 में वर्णित यीशु मसीह की एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले के सामने अपना दूसरा गाल करने की बात को सीखकर गाँधीजी ने अहिंसा का पाठ पूरे संसार को पढ़ाया।

गाँधी जी ने अपनी जीवनी में इस बात का उल्लेख किया कि वे मसीह को और उनकी शिक्षाओं को पसंद करते थे परंतु मसीहियों को नहीं (क्योंकि तात्कालिक मसीहियों का जीवन-चरित्र बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता था) और इसलिये कभी उन्होंने इस मत को सार्वजनिक रूप से अपनाने में कोई रूचि नहीं दिखाई बल्कि बाइबल की शिक्षाओं पर चलकर एक महात्मा के रूप में अपनी अलग छवि बनाई। मेरे विचार में उन्होंने बाइबल में कभी इस बात की बाध्यता को नहीं देखा होगा कि बाइबल धर्म-परिवर्तन को ज़रूरी मानती हो – क्योंकि यदि ऐसा होता तो कहीं न कहीं वे ज़रूर इस बात का ज़िक्र अपने व्याख्यानों या लेखनी में कर देते।

इन बातों के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रमुख नायक जिन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया वे भी मसीही विश्वास से अनभिज्ञ नहीं थे। हालाँकि गाँधीजी के विचार

अंग्रेज मिशनरी व उनके प्रचार-कार्य के प्रति काफी उग्र व विरोधी थे फिर भी दोनों उपरोक्त उदाहरणों से हम देख सकते हैं जबकि बाइबल को जानने वाले दो महानायकों ने धर्म-परिवर्तन के बारे में भिन्न दृष्टिकोण रखा पर कहीं भी बाइबल की शिक्षा को उससे जोड़ कर नहीं देखा।

व्यक्तिगत रूप से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना भारतीय नागरिक का अधिकार है और यदि किसी कारणवश कोई ऐसा करना चाहता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है – परंतु बाइबल ऐसी कोई शिक्षा या बाध्यता प्रस्तुत नहीं करती है।

ब्रिटिश भारत की सामाजिक व धार्मिक संरचना का इतिहास

जहाँ एक ओर हिंदू कट्टरपंथी यह दोष अंग्रेजों के शासन और ब्रिटिश सरकार पर लगाते हैं कि उनके समय में धर्म-परिवर्तन हुए - मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ब्रिटिश समय में मिशनरियों को सुसमाचार प्रचार की बड़ी आजादी थी। यह भी सच नहीं है कि प्रभु यीशु के सेवक अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में बड़ी सरलता से परमेश्वर की सेवा खुल्लमखुल्ला कर सकते थे। जबकि सच्चाई तो ये है कि अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आये थे।

किसी व्यापारी के व्यापार में यदि कोई रूकावट डाले तो वो उसे पसन्द नहीं आता। जैसे कि जब आप किसी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो दुकानदार आकर कहता है कि भाई मेरे दुकान का रास्ता बंद हो रहा है तो आप गाड़ी आगे से हटा लो क्योंकि मेरे दुकान में ग्राहक नहीं आयेगे; इसी प्रकार से मिशनरी जब भारत में आते थे तो ब्रिटिश सरकार उन्हें रोकती थी ताकि भारत के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस न लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में किसी तरह से अड़चन न आये।

1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का नियम पास किया जिसके द्वारा वे भारतीयों को अपनी भाषा का ज्ञान देकर प्रशासनिक कार्यों में शरीक करना चाहते थे। इस बात को अनेक इतिहासकारों ने समझा है कि ब्रिटिश सरकार ने धर्म-परिवर्तन करने की मंशा से मिशनरियों के लिये इस एक्ट के द्वारा मार्ग खोला – यह विचार पक्षपाती व एकपक्षीय सोच का परिणाम है। सच यह है कि परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को भारतीय लोगों से बाँटने के लिये अनेक मिशनरी अपने देश की सुख-सुविधाओं को त्याग कर अंग्रेज शिक्षक के रूप में भारत में आये और यहाँ बाइबल की सच्चाइयों का बखान किया व भारत की स्थानीय भाषाओं के सीखकर उन भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

ब्रिटिश सरकार सुसमाचार प्रचार के पक्ष में नहीं थी बल्कि अपने दिल में आत्मिक बोझ लिये हुए मिशनरी अलग-अलग तरीकों से भारत में आते थे। उन प्रचारकों का उद्देश्य भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करना नहीं था बल्कि यीशु मसीह के प्रेम, क्षमा तथा मोक्ष का प्रचार करना था। उनके आने के लिए रास्ते आसान नहीं थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने प्रेम तथा सेवा से लोगों के मनों में पैठ जमाई।

बाबा साहब अंबेडकर ने मसीही धर्म की भी विवेचना की और अपने एक लेख में मसीही धर्म के भारत में ना फैल पाने के कारण बताते हुए लिखा है कि मसीही धर्म के प्रचारकों ने शुरू में ऊँची जाति के लोगों को मसीही विश्वास में लाने की कोशिश की ताकि उनके प्रभाव में रहने वाली नीची जातियाँ स्वतः ही यीशु मसीह को ग्रहण करें परंतु सवर्ण हिन्दुओं ने मिशन स्कूल में दी जाने वाली उच्च कोटि की शिक्षा को तो ग्रहण किया परंतु मसीही विश्वास को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा इस मानवीय मनोवैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करता, और परमेश्वर की सामर्थ व अगुवाई के बिना किया गया यह शुरुआती प्रयास असफल रहा।

धीरे धीरे प्रचारकों ने भारत में प्रचलित सामाजिक संरचना व आस्थाओं को समझा तथा परमेश्वर की संसार के मूर्खों, दलितों व शोषितों को प्राथमिकता देने के स्वभाव को समझा और फिर सभी जातियों में समान रूप से सुसमाचार पहुंचाया तो हर जाति तथा समाज के लोग पाप तथा आत्मिक-अज्ञानता के बंधनों से आज़ाद होने लगे।

जहाँ ब्राह्मण व कुलीन वर्ग के लोग मसीह की आत्मिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही सुसमाचार को ग्रहण करते थे, दलित और शूद्रों ने मसीही विश्वास का स्वागत इसलिये भी किया क्योंकि यह पंथ उन्हें जात-पात की अमानवीय बेड़ियों से आज़ाद कर देता था और समानता का अधिकार देता था व जातिगत ऊँच-नीच को मिटाकर उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाता था। पाप-क्षमा प्राप्त करने के साथ साथ वे अब अपनी जाति के अनुसार नहीं परंतु अपनी योग्यता के अनुसार अपना रोजगार चुनने के लिये भी आज़ाद थे।

प्रभु यीशु ने लूका 4:18 में अपना मेनिफेस्टो अर्थात धरती पर आने का प्रयोजन स्पष्ट किया था कि वे दबे कुचलों का उत्थान करने आये थे और उन्हें जो बंधुआई में थे उनको स्वतंत्र कराने आये थे। धार्मिक ज्ञान से वंचित बहुजन समाज अपने दबे कुचले होने के दर्द से वाकिफ थे। छूआछूत के बंधनों से जकड़े हुए वंचित समाज को मसीही शिक्षायें तथा आचरण बड़ा प्रभावित करती थीं और उनको इस बंधन से आज़ाद होने का निमंत्रण देती थी। इस निमंत्रण को अनेक लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया।

उस समय के कुछ बुद्धिजीवी सवर्णों तथा अंग्रेजों ने भी समाज की दमनकारी जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा जो भी समाज में समानता का सपना देखते थे – उन्होंने मसीही विश्वास के साथ कदम मिलाया। राजा राममोहन राय, पंडिता रमाबाई आदि कई भारतीय

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

समाज सुधारक हुए जिन्होंने मसीही सेवकों के साथ मिलकर काम किया और समाज को नई दिशा दी। समाज में बदलते जातिगत समीकरण व सकारात्मक बदलाव को देखते हुए तब की ब्रिटिश सरकार ने नये विश्वासियों के हितों की रक्षा के लिये आने वाले समय में कुछ नियम-कानून भी बनाये (कास्ट डिसेबिलीटी रिमूवल एक्ट 1850) और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया।

धीरे धीरे लोगों ने प्रभु यीशु की शिक्षाओं में देखा कि प्रेम तथा समानता इसका सार है इसलिये इस मत को ग्रहण करना शुरू किया। जब भारतीय समाज की विषमता मसीही विश्वास के कारण घटने लगी। सवर्ण समाज ने इसे पसंद नहीं किया और व्यापारी अंग्रेजों ने भी, इसलिये आजादी से पहले ही कई जगहों पर धर्म-परिवर्तन विरोधी नियम बनाये गये थे।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHANDRA

4

धर्म-परिवर्तन संबंधित कानूनों का इतिहास

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर धर्म-परिवर्तन विरोधी (anti-conversion law) या धर्म-स्वतंत्रता से जुड़ा कोई भी कानून नहीं है। कई बार केन्द्र सरकारों ने ये कोशिश की कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून लाया जाये लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति पर लागू किया जा सके। कानून व व्यवस्था राज्य के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिये कुछ राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर धर्म-स्वातंत्र्य कानून लागू किये हैं।

बहुत बार हमें लग सकता है कि साल 2014 से केंद्र में आई वर्तमान सरकार हिंदू हित की संरक्षक है और यह हिन्दूवादी सरकार है जो कि मसीह-धर्म की घोर विरोधी है। भावनात्मक रूप से ऐसा सोचने की हमें स्वतंत्रता है – परंतु प्रचलित विचार के विपरीत सच्चाई यह है कि भारत में सबसे पहले जो धर्म परिवर्तन संबंधी कानून बने थे वो ब्रिटिश काल में बने थे। सच्चाई से अनभिज्ञ हिंदू चरमपंथी सोचते हैं कि अंग्रेज भारत में सुसमाचार प्रचार कर लोगों का धर्म बदलने आये थे जबकि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने व धीरे धीरे उसके सहारे अपना औपनिवेशिक आधिपत्य जमाने आई थी। सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य से आने वाले अंग्रेज सेवकों का यह कंपनी विरोध करती थी और अनेक सूबों के राजाओं की माँग पर भारत में धर्म-परिवर्तन संबंधी कानून भी उन्हीं ने लागू किये।

आज़ादी से पहले भारत राज्यों में विभाजित नहीं था बल्कि सूबों, इलाकों व छोटी-छोटी इकाईयों में बँटा हुआ था। उस समय आज का राजस्थान, राजपुताना के रूप में एक बड़े क्षेत्र के रूप में पहचाना तो जाता था परंतु एक राज्य नहीं था बल्कि अनेक रजवाड़ों में बँटा हुआ था। रायगढ़ में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून 1936 में आ गया था। आज़ादी से पहले जितना इलाका उदयपुर की सीमाओं में था वहाँ पहला धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून 1946 में आया था जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया व लागू किया था।

आज़ादी के बाद, भारत में इंडियन कन्वर्जन नामक बिल 1954 में आया था। 1960 में एक रिलिजियस प्रोटेक्शन बिल (धार्मिक सुरक्षा अधिनियम) आया था। बैकवर्ड कम्यूनिटीज (उस समय की पिछड़ी जातियों) के लिए और 1979 में धर्म की स्वतंत्रता का एक बिल आया था ताकि धर्म-परिवर्तन को रोका जा सके।

अंग्रेज सरकार से लेकर कॉंग्रेस सरकार तक, कोई भी सरकार क्यों ना हो, उन्होंने अलग-अलग समय पर अलग-अलग कानूनों को बनाया ताकि भारत में धर्म परिवर्तन का विरोध किया जाये और मसीही प्रचार को रोका जा सके।

भारत में ऐसे बहुत से राज्य है जिन्होंने एंटी कन्वर्जन (धर्म-परिवर्तन विरोधी) नियम बना दिए। ऐसे राज्यों के नाम हैं- अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात , हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर-प्रदेश आदि हैं। इन जगहों पर काफी समय से धार्मिक सुरक्षा के नियम व कानून है।

राजस्थान में 2006 में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून को बनाने की कोशिश की वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा की गई थी लेकिन उस समय तात्कालीन राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इसे असंवैधानिक कह कर वापस कर दिया था। 2008 में यह कानून बना दिया गया जिसके अनुसार जोर जबरदस्ती से, लालच से या धोखे से किसी का जब आप धर्म परिवर्तन करते है तो वो कानूनी अपराध माना जाना था। साल 2017 में इस कानून को वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि ये भारत के संविधान के विरूद्ध है और इसलिये इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता।

राजस्थान में इस समय धर्म परिवर्तन के विरोध में कोई भी कानून नहीं है परंतु चिराग सिंघवी बनाम राजस्थान प्रदेश के केस में 2017 में उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश दिये हैं जो बाकि राज्यों के धर्म-स्वातंत्र्य कानून के समकक्ष हैं। यह दिशानिर्देश तब तक कायम रहेंगे जब तक कि धर्मपरिवर्तन संबंधी कोई अन्य अधिनियम राजस्थान राज्य नहीं बनाता है।

साल 2021 तक आते आते अनेक राज्यों में धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिये कानून बन चुके हैं और कुछ राज्यों ने अपने पुराने धर्म-स्वातंत्र्य कानूनों में संशोधन कर नये कानून बनाये हैं जिसमें लव-जिहाद जैसी राजनीतिक सोच का भी कानूनी बिंदू के रूप में समावेश किया है। विवाह करने मात्र के उद्देश्य से धर्म-परिवर्तन करने वालों की रोकथाम करने के लिये विवाह (निकाह) को भी एक पैमाना बना दिया गया है जिसके कारण किसी का धर्म-परिवर्तन कराने वाले या धर्म-परिवर्तन के लिये उकसाने वाले पर सजा का प्रावधान किया गया है।

DOWNLOAD COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR PERMISSION ADV BRIJESH CHROTIA

#	राज्य	कानून पारित करने का वर्ष	संशोधित नये कानून का वर्ष
1	उड़ीसा (ओडिशा)	1967	2021*
2	मध्य प्रदेश	1968	
3	अरुणाचल प्रदेश	1978	
4	छत्तीसगढ़	2000	
5	गुजरात	2003	2021*
6	हिमाचल प्रदेश	2006	2019*
7	झारखंड	2017	
8	उत्तराखंड	2018	
9	उत्तर प्रदेश		2021*

तारा (*) लगे सभी कानूनों में विवाह संबंधी कारक को भी रखा गया है

बहरहाल जहाँ इन कानूनों का दुरुपयोग मसीही विश्वासियों को डराने व कानूनी उलझनों में फँसाने के लिये किया जाता है. ये कानून असल में ईमानदार मसीही सेवकों के लिये कोई चुनौती या खतरा नहीं है। जब तक कोई सेवक प्रभु यीशु व बाइबल की शिक्षाओं से अलग जाकर कोई अनावश्यक व गैरकानूनी काम न करे तब तक ये कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सुसमाचार प्रचार, प्रार्थना व समाज-सेवा के परोपकारी कार्यों पर ये कानून कोई रोक नहीं लगाते हैं।

UNAUTHORIZED COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

परमेश्वर की सामर्थ के आगे कानून बेअसर हैं

परमेश्वर के राज्य के विरोध में कोई भी सरकार खड़ी नहीं हो सकती है। अरूणाचल प्रदेश में एंटी कन्वर्जन नियम 1978 में ही लागू कर दिया था।

इस विषय पर शोध करके मैंने पाया कि 1972 में अरूणाचल प्रदेश पहली बार एक केन्द्र शासित प्रदेश बना था तथा इसे यह नाम दिया गया। इससे पहले अरूणाचल प्रदेश का नाम उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश (NEFA) था। 1966 से केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस केन्द्र शासित प्रदेश का शासन परोक्ष रूप से केंद्र की कॉंग्रेस सरकार के हाथ में था।

1978 में जब एंटी कन्वर्जन कानून को अरुणाचल प्रदेश में जनता पार्टी की राज्य सरकार ने बनाया तो उसको पास करने वाली केंद्र-सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। इस प्रकार किसी

हिंदूत्ववादी सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार ने 1978 में धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून को लागू किया था।

परंतु परमेश्वर की सामर्थ इस बात में नज़र आती है कि जब यह धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून बनाया गया था उस समय अरूणाचल प्रदेश में मसीही विश्वासी व ईसाई लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी। जबकि आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश में बहुसंख्यक हैं। यह एक छोटा सा राज्य है लेकिन आज यहाँ ज्यादातर अधिकारी, नेता व मंत्री गण भी मसीही विश्वासी मिलेंगे।

एक और बहुत ही ताजा बात है - जून 2018 को एक खबर आई थी कि भाजपा सरकार अरूणाचल प्रदेश में एंटी कन्वर्जन कानून को हटाना चाहती है। ध्यान दीजिये कि जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत इस धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून को कांग्रेस सरकार ने बनाया था और उसे हटाने की बात बीजेपी सरकार ने किया है।

इन बातों से हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है बल्कि परमेश्वर जो चाहते है वो ही होता है। इसलिए इस बात से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि केन्द्र में किस की सरकार है और हमारे राज्य में किस की सरकार है। राजनीति हमारी सुरक्षा को तय नहीं करती है। हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर में है। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है (रोमियों 8:31)।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION ADV BRIJESH CHHOROTIA

5

धर्म-परिवर्तन कानूनों के तीन मुख्य कारक

भारत के अनेक राज्यों में जितने भी धर्म-परिवर्तन निरोधक (एंटी कन्वर्जन) कानून हैं उन सभी में तीन मुख्य कारक लिखे हुए हैं –

- जबरन (बलपूर्वक) किसी का धर्म बदलना,
- किसी को लालच देकर उसका धर्म बदलना, या फिर
- धोखे से उसका धर्म बदल देना

नये कानूनों में असम्यक असर (undue influence), दुर्व्यपदेशन अर्थात गलत पहचान (misrepresentation) व प्रपीड़न (coercion) व विवाह (marriage) को भी कारक बनाया गया है जो अन्ततः इस पुस्तक कि विषयवस्तु के लिये उपरोक्त तीन कारकों का ही हिस्सा माने जा सकते हैं।

ऊपर बताये गये किसी भी काम को करने वाले पर उस राज्य में लागू धर्म परिवर्तन कानून के अनुसार मुकदमा किया जा सकता है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सजा निर्धारित की गई हैं। यदि आपके राज्य में ऐसा कानून बनाया गया है तो उसकी जानकारी रखना आपके लिये अच्छा है। परंतु अगर आप उस राज्य स्तरीय अधिनियम के बारे में नहीं जानते हैं तो भी इस पुस्तक में दी गई व्यवहारिक जानकारी के आधार पर आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।

आइये, अब इन कारकों पर विस्तार से चर्चा करें ताकि हम स्पष्ट रूप से समझ सकें कि वो कौन से गैर-कानूनी काम हैं जिनसे मसीही सेवक को देश के अच्छे नागरिक के रूप में दूर रहना चाहिये।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

ज़ोर ज़बरदस्ती व प्रपीड़न (धमकी या बल प्रयोग)
Force and Coercion

बाइबल किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की शिक्षा नहीं देती है। बाइबल में हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर ने लूसीफर के विचारों को स्वतंत्रता दी थी इसीलिये वह यह विचार कर सका कि वह अपना सिंहासन परमप्रधान से ऊपर लगाये (यशायाह 14:13)।

परमेश्वर ने पहले इंसानी जोड़े, आदम और हव्वा को स्वेच्छा से चुनाव करने की आज़ादी न दी होती व उनको रोबोट या चाभी वाले खिलौने के समान बनाया होता तो क्या सच में मनुष्य परमेश्वर से प्रेम कर सकता था? नहीं, जबरन कराया गया प्रेम किसी भी सूरत में प्रेम नहीं हो सकता है बल्कि वह तो कठपुतली के खेल जैसा बन कर रह जायेगा। ऐसे ही किसी के साथ ज़ोर जबरदस्ती करके उसे विश्वासी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिये।

स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ादी दी तो प्रभु के दास क्या किसी की आज़ादी का हनन कर सकते हैं? कदापि नहीं।

2011 में हमने हमारे गांव में सत्संग-संगति को शुरू किया और 2012 में नौकरी के सिलसिले में मैं भारत से बाहर दूसरे देश में रहने के लिये चला गया था। विदेश प्रवास के कारण कुछ समय तक मैं सत्संग के लिये गाँव नही जा सकता था। सत्संग में कोई भी भाई सेवक की जिम्मेदारी उठाने योग्य परिपक्व नहीं हो पाया था इसलिये पास के गाँव में सेवा करने वाले एक सेवक को हमने थोड़े समय के लिए बीच-बीच में आने और लोगों को सिखाने के लिये विनती की। ऐसा करने के पीछे मेरी मंशा यह थी कि हमारी संगति लगातार चलती रहे।

उन भाईसाहब ने जल्दी ही कुछ बातें बोलना शुरू कर दीं जिनसे गाँव में अनावश्यक तनाव व विरोध जैसी परिस्थिति पैदा हो गई - जैसे - बिंदी नहीं लगाना, अपने से बड़ों के पैर नहीं छूना, तुम अब मसीह हो गए हो और अलग कर लिये गए हो तो अपने समाज के लोगों के साथ उठना-बैठना बन्द कर दो, ये ताबीज तोड़ दो, ये काला धागा जो बाँध रखा है इसे तोड़ दो। कलीसिया में पहली - दूसरी बार आने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक बोलने लगे कि सिंदूर लगाना बन्द कर दो, मूर्तिपूजा बंद करो आदि। ऐसा करना ज़ोर-जबरदस्ती के अंतर्गत आता है - यह सब बोलना हमारा काम नहीं है। हमें किसी को भी बलपूर्वक ऐसा कुछ करने के लिये बाध्य नहीं करना बल्कि सत्य का प्रचार करना है ताकि सत्य उनको स्वतंत्र करे और वे स्वयं ही अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेकर अनावश्यक रूढीवादी बंधनों से छूटते जायें।

याद करिये, हमनें उद्धार कैसे पाया था। क्या किसी के बलपूर्वक बोल देने से हमारा पापमय स्वभाव हट गया था? नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा ने हमारे मन को अन्दर से कायल किया था जिसके कारण हमने मन फिराया था। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि जब पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मेरी आत्मा में दिया था तब मैंने अपने पापों से मन फिरा कर परमेश्वर पर विश्वास किया था।

परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर ही हम सबने अपने पापों को छोड़ा था और अपने अधंविश्वासों से दूर हुए थे। पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा में काम किया था तब हमने अपने पापी-स्वभाव को छोड़ा था तो हम किसी के साथ बल-प्रयोग या जोर-जबरदस्ती करने वाले कौन हैं ?

यह बात सच है कि मसीही विश्वासी या प्रचारक, हिंसा या शारीरिक बल-प्रयोग से किसी का धर्म बदलने के लिये बाध्य नहीं करते परंतु वैचारिक बाध्यता भी बल-प्रयोग के दायरे में आती है।

हालाँकि विश्व इतिहास में ऐसे वाकये मिलते हैं जब 10वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान, यूरोपीय देशों में राजाओं और नाइट्स के दौर में हिंसा और बल-प्रयोग हुआ था। राजाओं के जमाने में सैन्य-शक्ति और धर्म का प्रयोग अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये हुआ करता था, परंतु आज के युग में हिंदुस्तान में ऐसा होने के प्रमाण नगण्य हैं। विरोधी लोग जब बल-प्रयोग का हवाला देते हैं तो वे हिंसा के बल पर धर्म-परिवर्तन की बात नहीं करते हैं बल्कि उनका आरोप यह रहता है कि गरीब व दलितों की अशिक्षा का लाभ उठाकर वैचारिक बाध्यता पेश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है।

जहाँ यह बात गलत है कि बाइबल ऐसी शिक्षा देती है, यह बात भी सच हो सकती है कि बहुत से प्रचारक आज भी अज्ञानतावश यह गलती करते हैं और अनजाने में बाइबल पर आधारित आचरण करने के लिये मानसिक दबाव बनाते हैं, जबकि शिक्षा देने के बाद उसके आचरण की जिम्मेदारी सुननेवाले पर छोड़ देनी चाहिये।

कोई व्यक्ति, जो आपकी कलीसिया में आया और आपने उसके साथ ऐसा किया, यदि वह जाकर पुलिस में यह शिकायत कर दे कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती कर के मेरे धर्म को बदलने की नियत से ऐसा काम किया है तो आप पर धर्म परिवर्तन का कानून लागू हो जायेगा।

याद रखिये, हमारा काम जोर जबरदस्ती करना नहीं है बल्कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है बस उतना सिखाना हमारा काम है। उसके बाद पवित्र आत्मा को काम करने दें। हमें किसी का जीवन नहीं बदलना और हम किसी का जीवन बदल भी नहीं सकते बल्कि परमेश्वर का वचन ही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन को बदलता है।

DO NOT COPY AND/OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

संक्षेप में कहें तो किसी भी व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना अर्थात ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर उसे धर्म-परिवर्तन करने को प्रेरित करना या किसी भी ऐसे काम को करना या बात को कहना जो व्यक्ति के मन में डर व दबाव को उत्पन्न करे ताकि वो धर्म-परिवर्तन करने के लिये बाध्य महसूस करे, यह सब गलत व गैरकानूनी है। सिर्फ बाइबल में कही गई बातों और शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप से सिखाना चाहिये और उसके बाद उस व्यक्ति की चेतना व आस्था के आधार पर उस शिक्षा को मानने, आचरण करने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता उसे दे देनी चाहिये।

अपने मन से जोड़ कर कुछ कहना आपके लिये मुसीबत का कारण बन सकता है इसलिये मनगढ़ंत बातों का सहारा न लें व अपने मन से ऐसी कोई घोषणा न करें जो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है (यहेजकेल 13:2-7, 17-23)। अपने मन से किसी को शत-प्रतिशत चंगाई, नौकरी मिल जाने, संतान हो जाने का आश्वासन देना सही नहीं है। नर्क के डर को अपना आधार बनाने के बजाय परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना चाहिये ताकि सुनने वाला प्रेम से अभिभूत होकर परमेश्वर से रिश्ता बनाये न कि नर्क के डर के कारण कुछ नये रीतिरिवाजों को अपना ले।

लालच (प्रलोभन) - Allurement

बाइबल लालच देने के पक्ष में नहीं है। मत्ती 19:21 और लूका 18:22 को पढ़ने से हमें देखने को मिलता है कि एक धनी युवक प्रभु के पीछे आना चाहता था परंतु प्रभु यीशु ने पूछा था कि क्या अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे आ सकते हो। अपना सब कुछ बेचकर यीशु के पीछे चलने की बात से वह जवान हतोत्साहित हो गया और वापस चला गया।

अपने चेलों को प्रभु यीशु ने उनके पीछे आत्मिक राह पर चलने की शर्त बताई थी कि अपने आप (इच्छाओं) का इंकार करना और अपना क्रूस (दुख) उठाकर प्रभु के साथ चलना है (मत्ती 16:24, लूका 9:23)। शारीरिक इच्छाओं का तिरस्कार और कष्ट उठाने के लिये कहना लालच देने वाली बातें नहीं हैं। प्रभु ने यह भी कहा था कि संसार में कष्ट और सताव आयेंगे (यूहन्ना 16:33) और कहीं भी मसीहियत को फूलों की सेज नहीं बताया।

इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें लालच जैसी कोई बात दिखाई दे बल्कि सच तो यह है कि बाइबल सच्चाई को पेश करके प्रभु यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर से संबंध बनाने

या यीशु का और उसकी शिक्षाओं का तिरस्कार करने के बीच चुनाव करने की आजादी देती है।

पारम्परिक ईसाई समाज के कुछ लोग बाइबल की शिक्षाओं से गहराई से परिचित न होने के कारण अपने आचरण में कुछ ऐसा कर बैठे हों जो कानूनी रूप से गलत हो (लालच, बल आदि), ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतिहास में ऐसा हुआ हो सकता है परंतु आधुनिक मसीहीयत में ऐसी बातें अपवाद हैं। पुराने समय में यदि ऐसा कुछ हुआ भी हो तो उसी चश्में से आज की मसीहीयत को देखना गलत है।

सच्ची मसीहियत से अलग, लालच के वशीभूत होकर अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ती करने के लिये बाइबल के वचनों का व यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने वाले दुकानदार प्रचारकों को मैं ईमानदार सेवकों की श्रेणी में नहीं रखता और वो जो कुछ करते हैं उसे मैं सीधे-सीधे अपराध ही मानता हूँ। वे अपने लालच के चलते विदेशी संस्थाओं से चंदा प्राप्त करते हों या अपनी कलीसिया के भोले-भाले विश्वासियों का शोषण कर व उन्हें लालच देकर बपतिस्मा आदि देते हों तो वो सब बाइबल की शिक्षा के कारण नहीं बै बल्कि बाइबल का गलत दोहन है, ऐसे स्वंयभू लालची ठगों पर कानूनी कार्यवाही हो, तो ठीक ही होगा।

सच्चे मसीही सेवक धन, नौकरी आदि का लालच किसी को नहीं देते हैं। लेकिन किसी चमत्कार या ईश्वरीय प्रबंध का वादा करना भी लालच की श्रेणी में आ सकता है। बाइबल में लिखी बातों के आधार पर शिक्षा देना तो सही है परंतु अपनी मर्जी से किसी भी ईश्वरीय दान का वायदा कर देना कानूनी रूप से लालच कहा जा सकता है।

बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हो जायेगा। फिर भी, अनेक बाइबल प्रचारक अपनी कलीसिया या सेवकाई की संख्या बढ़ाने के लिये ऐसी बात बताते हैं जो कि बाइबल की शिक्षा नहीं है। ऐसा न करें, याद रखें कि जो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं वे वचन व प्रतिज्ञायें मानवीय कल्पना से या शैतान की ओर से हैं। आप परमेश्वर के सेवक हैं और ज्योति की संतान हैं, शैतान की व अंधकार की संतान नहीं जो झूठ का पिता है। परमेश्वर के सेवक सिर्फ उसी सच को बोलें जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बोलता है।

इब्रानियों की किताब के ग्यारहवें अध्याय तथा पहले वचन में विश्वास की परिभाषा लिखी है – विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इस परिभाषा के कारण यह सिखाया जाता है कि जो चाहे माँग लो और अपनी आशा की हुई व प्रार्थना की गई अनदेखी वस्तु को भी ऐसे मान लो कि देख लिया और मिल गया है, तो वह सब आपको मिल जायेगा।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

परंतु इसी अध्याय में आगे (इब्रानियों 11:7-12 में) लिखा है कि अब्राहम, नूह, साराह और बहुत सारे बड़े बड़े विश्वास-नायकों के बारे में अच्छी गवाही (report) आयत 39 में दी गई है लेकिन उन्होंने आशा की हुई वस्तु नहीं पाई बल्कि उसे दूर ही से देखा। सांसारिक वस्तुओं को पा लेना भर हमारे विश्वास का प्रतिफल नहीं है बल्कि हमारे विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार है (1 पतरस 1:9)।

कुलुस्सियों की पत्री में परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु आत्मिक या स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ – 3:2

जब परमेश्वर का वचन ही ऐसा नहीं बताता कि जो चाहे सांसारिक वस्तुएं माँगते रहें और पाते रहें, बल्कि पश्चाताप, मसीही स्वभाव, आत्मिक जीवन, क्षमा, आत्मिक प्रेम व दीनता के आत्मिक फल व आत्मिक उद्धार को पहला स्थान देता है तो हम कौन हैं कि किसी को लालच दें और ये बतायें कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जायेगा।

किसी व्यक्ति को यदि हम कहते हैं कि बस यीशु मसीह में विश्वास कर लो तो तुम्हारी बीमारी ज़रूर ठीक हो ही जायेगी तो क्या हम ईश्वर हैं जो ऐसा कह सकते हैं? और नहीं हैं तो क्या हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि यह तो परमेश्वर ही जानता है कि कौन चंगा होगा और कौन नहीं। बाद में ऐसी भविष्यवाणी पूरी न होने पर ये झूठे भविष्यवक्ता विश्वास करने वाले पर ही दोष मढ़ देते हैं कि तुम्हारे विश्वास में ही कोई कमी होगी या तुम्हारे जीवन में ही कोई पाप होगा। हाँ, यह बात सच है कि पाप जीवन में रहने से परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता मगर बाइबल में हम अलग-अलग उदाहरण देखते हैं जो चंगाई के विषय में परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट करते हैं। एक ओर हम जानते हैं कि पौलुस के प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया बल्कि उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिये काफी है (2 कुरिन्थियों 12:9)। वहीं दूसरी ओर कई बीमारों को छूकर तुरंत चंगा किया जिनमें अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी आदि शामिल हैं (मत्ती 4:23-24)।

आज, बीमारी किसी के पाप का सबूत नहीं है और शत-प्रतिशत चंगाई बाइबल की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर के राज्य की मुनादी के लिये प्रभु यीशु ने चंगाई व स्वर्ग-राज्य का प्रचार साथ-साथ किया। परमेश्वर युगानयुग एकसमान है इसलिये आज भी लोगों को चंगा कर सकता है परंतु कलीसिया में आने वाले हरेक विश्वासी के लिये परमेश्वर की यही मर्ज़ी हो, यह ज़रूरी नहीं है।

परमेश्वर की मर्जी है – जिसे वह चंगा करना चाहे, उसे वह ज़रूर चंगा करते हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारा काम प्रार्थना करने का है। किसी को ऐसी बात का लालच देना जो हमारे अधिकार-क्षेत्र से बाहर है – हमें कानून के दायरे में दोषी ठहरा सकता है।

हमारी जिम्मेदारी है कि बाइबल की पूर्ण शिक्षा का प्रचार करें और फिर पवित्र आत्मा को काम करने दें। किसी का जीवन बदलना या विश्वास में लाना हमारा काम नहीं है। विश्वासयोग्य दास का काम सुसमाचार सुनाना और प्रार्थना करना है। जिस प्रकार किसान भूमि को जोतने के बाद बीज डाल देता है वैसे ही परमेश्वर के वचन का बीज डालना हमारा काम है। उसको फलवंत करना परमेश्वर के हाथ में है। यदि कोई बीज फलवंत होता है अर्थात कोई व्यक्ति जिसे सुसमाचार बताया गया, वह वचन को ग्रहण करता है तो फिर उसको आगे की शिक्षा देकर चेला बनाना चाहिये। इसमें लालच देने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।

यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रूप से आपसे अपने 'रहेमा' वचन के द्वारा बात की है और प्रकट किया है कि उस व्यक्ति की चंगाई प्रभु की मर्जी है तो आप अपने विश्वास के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऐसा दावा ज़रूर कर सकते हैं परंतु किसी भी प्रार्थना के भविष्य में मिलने वाले उत्तर की घोषणा अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिये। पवित्र आत्मा की बात झूठी नहीं हो सकती इसलिये उसको चंगाई अवश्य ही मिलेगी – परंतु यदि आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और लिखित वचन के अनुसार अपनी मर्जी से ही उसे चंगाई का अश्वासन दे दिया और वह व्यक्ति चंगा नहीं हुआ और उसने ईश्वरीय प्रसाद के लालच का हवाला देकर आप पर पुलिस केस कर दिया तो यह आपके लिये परेशानी का सबब बन सकता है।

मेरा आशय परमेश्वर की सामर्थ पर सवाल खड़ा करने का नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं परंतु परमेश्वर की इच्छा जाने बिना बाइबल के लिखित वचन के आधार पर, पवित्र-आत्मा की स्पष्ट मर्ज़ी जाने बिना, कुछ वायदा कर देना लालच की श्रेणी में आ सकता है। यहाँ मेरा उद्देश्य आपको आगाह करना भर है, परंतु यदि आपको अपने सिद्धान्त पर भरोसा है कि यह आपको परमेश्वर के प्रकाशन से मिला है, तो ज़रूर आप उसका प्रचार करें।

याद रखें, कानून इसे इस नजर से देखता है कि आप किसी दैवीय शक्ति के द्वारा एक चीज के मिलने या पूरे हो जाने की बात कहते हैं तो आप लालच देते है। सिर्फ पैसे का लालच ही लालच नहीं है बल्कि इस प्रकार का ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से काम हो जाने का वादा भी लालच की श्रेणी में आ सकता है।

जो बाइबल में लिखा है यदि आप उस बात का प्रचार करते हैं तो आप पर कोई कानूनी दोष नहीं लगता क्योंकि पूछे जाने पर आप यह कह सकते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा ये तो बाइबल में लिखा हुआ है; ऐसे में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन भावनाओं में बहकर आप ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बाइबल में नहीं लिखी हैं और लालच प्रस्तुत करती हैं तो फिर आप पर कानूनन एक अपराध कर बैठते हैं।

इसके अतिरिक्त कई बार हम विश्वासी लोग प्रेम के कारण किसी को पैसों की सहायता कर देते हैं, सोचते हैं कि ये दुख में है, यदि हम इसकी वित्तीय सहायता करेंगे तो प्रभु हम से

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

प्रेम करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी वित्तीय सहायता को मुद्दा बनाकर केस कर दे कि इन्होंने मुझे पैसा इसलिए दिया था क्योंकि ये मेरा धर्म-परिवर्तन करना चाहते थे।

एक कलीसिया के रूप में किसी की वित्तीय सहायता नहीं करना चाहिये। हाँ, यदि आप एक चेरिटेबल संस्था हैं तो बिना किसी भेद के हर जाति-धर्म के ज़रूरतमंद लोगों की मदद आप कर सकते हैं परंतु ऐसी सहायता को फिर किसी धार्मिक शिक्षा को मानने की बाध्यता से नहीं जोड़ना चाहिये अन्यथा वह दान लालच की श्रेणी में गिना जायेगा।

यदि आप अपनी परोपकारी मसीही संस्था के अतर्गत स्कूल या अस्पताल चलाते हैं और सिर्फ मसीही लोगों का ही इलाज मुफ्त में करते हैं तथा अनेक विज्ञापन व बुकलेट तथा ट्रेक्ट के द्वारा मसीही बाँटते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति मसीही बनकर ही मुफ्त ईलाज या शिक्षा की योजना का लाभ उठा सकता है तो यह भी लालच देना साबित करता है।

अल्पसंख्यक संस्थान में कुछ सीटें अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिये रिजर्व करना उनके आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा हो सकता है और यह संवैधानिक अधिकार है परंतु चैरिटेबल अस्पताल में जाति या धर्म के आधार पर भेद करके परोपकार व जनहित के काम करना असंवैधानिक कार्य की श्रेणी में आता है। चैरिटेबल स्कूल या अस्पताल में बिना जाति या धर्म के भेद के परोपकार के कार्य किये जाने चाहिये।

धोखा-धड़ी, दुर्व्यपदेशन (गलत पहचान) व असम्यक असर
Fraudulent Practice, Misrepresentation & Undue Influence

धोखा-धड़ी वह तीसरा कारक है जो कि सभी एटी-कनवर्जन अर्थात धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों में या धर्म-स्वतंत्रता कानूनों में पाया जाता है।

यदि किसी व्यक्ति से आंशिक सच्चाई छुपाकर, झूठ बोलकर या अंधेरे में रखकर आप उसे कोई आत्मिक कदम उठाने के लिये प्रेरित करते हैं तो कानून का शिकंजा आप पर कस सकता है। इसलिये बाइबल, मसीही जीवन तथा परमेश्वर से जुड़े सभी तथ्यों को ठीक से बतायें तथा संपूर्ण सत्य का प्रचार करें। ऐसी कुछ सावधानियाँ बरतने से आप ऐसी किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं।

ज्यादातर मुकदमें जो पास्टर पर या मसीही सेवकों पर बनाये जाते हैं वो बपतिस्मा के बारे में होते हैं। जब आप किसी को बपतिस्मा देते हैं तो आपके विरोधी इसे एक धर्म-परिवर्तन के संस्कार के रूप में समझते हैं झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैला सकते हैं कि जोर

जबरदस्ती करके अनपढ़ व्यक्ति को धोखे में रखकर इसका धर्म परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि बपतिस्मा देना बंद करने की ज़रूरत है बल्कि कुछ सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है ताकि आपके द्वारा किया गया कोई भी विधिसम्मत काम गैर-कानूनी होने की श्रेणी में शामिल न किया जा सके। बपतिस्मा देना प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया महान आदेश है जिसका एक आत्मिक अर्थ है इसलिये इस काम को करना आशीषमय काम है। बपतिस्मा देना अपने आप में गैर-कानूनी या गलत काम नहीं है।

जब आप किसी को बपतिस्मा देते हैं तो सर्वप्रथम तो इस बात को याद रखें कि बिलकुल नये विश्वासी या अन्य कलीसिया से आये हुए अपने आपको पुराना बताने वाले विश्वासी को भी जल्दी से बपतिस्मा न दें। कोशिश करें कि कम से कम तीन से छः महीने तक आप उसको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें।

पाप से मन फेर लेना, अर्थात पश्चाताप करके अपने पापों से दूर हो जाना व भविष्य में पापकर्म या पाप-विचार न करना व नैतिक और आदर्श जीवन जीने का प्रण लेना (और इसे निभा पाना) किसी मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं हो सकता। ऐसा हृदय-परिवर्तन करना परमेश्वर का काम है और यह उसी का अधिकार है। जब कोई सारी सच्चाई जानने के बाद प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपकर उनकी शिक्षाओं में चलने का निर्णय ले लेता है तो उसका मन-परिवर्तन तो वहीं हो चुका होता है और बपतिस्मा तो उस हृदय-परिवर्तन की स्वैच्छिक गवाही मात्र है – बपतिस्मा लेने से या उसके बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है।

जब पवित्र आत्मा आपके वचन सुनाने, प्रार्थना करने व प्रेमपूर्वक अच्छा मसीही स्वभाव दिखाने के द्वारा एक व्यक्ति के मन को कायल करे और वो अपनी इच्छा से यह मान ले कि - अब मैं स्वेच्छा से प्रभु यीशु का अनुयायी हूँ और मैं जिंदा रहूँ या मरूँ, मेरे जीवन में दुख आये या सुख आये मैं तो यीशु मसीह के पीछे ही चलूँगा – तब ही उसके अपने आत्मिक अंगीकार के कारण आप उसे बपतिस्मा दें।

आप चाहें तो दो में से एक काम और कर सकते हैं जो कानूनी रूप से आपकी मदद करेगा – या तो आप बपतिस्मा को पूर्ण रूप से आत्मिक कार्य ही मानें व परमेश्वर के वचन व महान आदेश के अनुसार स्वैच्छिक विश्वासी को चुनिंदा लोगों के बीच बपतिस्मा दें और इसका कतई भी दिखावा न करें क्योंकि यह उस व्यक्ति का व्यक्तिगत (प्राइवेट) मामला है तो आपको कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता ही नहीं है।

DO NOT COPY, PRINT OR DISTRIBUTE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

या फिर आप बपतिस्मा लेने वाले हरेक व्यक्ति से हलफनामा (शपथ-पत्र) बनवा कर रखें। इस बात को समझना ज़रूरी है कि कानून आपकी या आप पर दोष लगाने वाले की भावना को नहीं परंतु कागजात व सबूत को देखता है। जब आप कोई काम कानूनन रूप से सही भी करते हैं और यदि उसके साबित करने के लिये आपके पास कोई कागजात या सबूत न हों तो कानून की दृष्टि में आप गलत माने जायेंगे। इसलिये यदि आप अपने द्वारा दिये गये बपतिस्मा को सार्वजनिक करना चाहते हैं और किसी रिपोर्ट आदि में दर्ज करना चाहते हैं तो फिर इस बाबत बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति का एक शपथ-पत्र आपके पास होना चाहिये जो साबित करे कि कोई लालच, बल-प्रयोग या धोखाधड़ी से नहीं परंतु स्वेच्छा से उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लेकर प्रभु की आज्ञा को पूरा किया है। हालांकि शपथ-पत्र बनाना अपने आप में विश्वासी के मन में अनेक सवाल पैदा कर सकता है – इसलिये यह जितना आसान लगता है उतना व्यवाहारिक तरीका नहीं है।

फिर भी आप शपथ-पत्र लेते हैं तो उसमें आप बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति से लिखवा सकते हैं कि वह स्वेच्छा से यीशु मसीह पर विश्वास करके उनको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा की आज्ञा को पूरा करना चाहता है। उस शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये कि प्रभु यीशु के पीछे चलने का उनका प्रण पूर्ण जानकारी के बाद पूरे होशो-हवास में लिया गया है और इसमें उनके साथ न तो कोई जोर जबरदस्ती की गई है और न ही उन्हें किसी प्रकार का लालच या पैसा दिया गया है और ना ही उनके साथ धोखा किया गया है।

जब आप उनसे यह लिखवाकर रख लेते हैं तो फिर आपकी कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक बार स्टांप-पेपर पर हस्ताक्षर कर देने के बाद वह व्यक्ति अपने कथन से पलट नहीं सकता। यदि वह बाद में अपने कथन से मुकर भी जाये तो भी उसके हस्ताक्षर उसकी बात को झूठी प्रमाणित करने के लिये काफी हैं।

किसी का नाम बदलना, उसके जाति-समाज से दूर करना या सांस्कृतिक बातों से दूर करना भी मसीही काम नहीं है। अनेक बार कई विश्वासी सेवकों द्वारा अनजाने में ही नये विश्वासी पर बपतिस्मा लेने के बाद नाम बदलने की बात सिखाई जाती है जो कि बाइबल की शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिये और कानूनी समस्या में नहीं पड़ना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी काम को करने से दूर रहें। नये नियम में, विश्वासियों के नाम बदलने का कोई आधार बाइबल में नहीं है।

बपतिस्मा के विषय में व्यवहारिक कदम – यह करें

संक्षेप में समझ लेते हैं कि बपतिस्मा देने से होने वाली कानूनी समस्याओं से नजात पाने के लिये हम क्या कर सकते हैं –

1. हलफनामा (शपथ-पत्र): बपतिस्मा के इच्छुक व्यक्ति से उसकी इस इच्छा व निर्णय को दर्ज कराने के लिये उससे 50 रूपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (जो कि उनके नाम से खरीदा गया हो) पर एक शपथ-पत्र बनवाया जा सकता है। आप एक प्रारूप (template) बना कर रख सकते हैं ताकि बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति देखा-देखी लिखकर उस पर दिनांक व हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रकट कर दें। स्टांप पेपर चर्च / संस्था के द्वारा नहीं खरीदा जाये तो अच्छा है क्योंकि ऐसा करने पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाने का झूठा आरोप संस्था या पास्टर पर लगाया जा सकता है, भले ही वे इसको बाद में सिद्ध न कर सकें। इसलिये बपतिस्मा के इच्छुक व्यक्ति से स्टांप पेपर लाने को बोलें तो बेहतर है।
2. इसके अतिरिक्त बिना स्टांप पेपर के साधारण कागज पर भी इस तरह का शपथ-पत्र बपतिस्मा लेने वाले की लेखनी व हस्ताक्षर के साथ बनाया जा सकता है। ऐसे कागज की वैधता थोड़ी कम होती है परंतु फिर भी कुछ नहीं से कुछ भला है। कुछ मसीही सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में व गरीब लोगों के बीच काम करते हैं जहाँ 50 रूपये का मूल्य बहुत होता है और स्टांप पेपर लाना भी आसान नहीं होता है। सब लोग यह खर्च वहन नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते; ऐसे में साधारण कागज पर भी हलफनामा बनाया जा सकता है।
3. बहुत से लोग शपथ-पत्र नहीं बनाना चाहते। ऐसे में सेवक अपनी कलीसिया या सेवा-क्षेत्र में बपतिस्मा से पहले एक परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं जिसमें बपतिस्मा से संबंधित ऐसे सवाल रखें जिनके उत्तर देने से यह स्पष्ट हो जाये कि बपतिस्मा लेने से पहले उस व्यक्ति ने पूरी तरह से समझ लिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। यह प्रश्न विकल्प वाले या विवरणात्मक हो सकते हैं।

उदाहरणार्थ–

अ. प्रभु यीशु के इस संसार में आने का क्या प्रयोजन था?

i. धर्म की स्थापना
ii. पाप क्षमा तथा मुक्ति
iii. चमत्कार करना
iv. न्याय करना

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

आ. बपतिस्मा की प्रक्रिया में क्या करते हैं –

i. कुछ पिलाते हैं

ii. कुछ बांधते हैं

iii. कुछ खिलाते हैं

iv. पानी में डुबोते हैं

इ. आपने इस आज्ञा को पूरा करने का निर्णय लिया है क्योंकि:

i. आपको पैसे मिले हैं

ii. आप पर ज़ोर डाला गया है

iii. आपने प्रभु यीशु पर स्वेच्छा से विश्वास किया है और आज्ञा पूरा करना चाहते हैं

iv. आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं

ई. संक्षेप में बताइये कि आप बपतिस्मा से क्या समझते हैं और इस विधि को करना क्यों ज़रूरी है?

उ. क्या आप अपनी इच्छा से बपतिस्मा ले रहे हैं या आप पर किसी प्रकार का ज़ोर-जबरदस्ती, लालच या धोखा किया गया है?

4. इस प्रश्न पत्र पर नाम, दिनांक व हस्ताक्षर का कॉलम रखें। आप इसे एक शपथ-पत्र के समकक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि धोखा, लालच या जबरन बपतिस्मा नहीं दिया गया है बल्कि पूरी जानकारी देने के बाद ही बपतिस्मा दिया गया है।

5. जो पढ़ और लिख नहीं सकते ऐसे विश्वासियों की एक मीटिंग बुलाकर उनसे अपनी स्वैच्छिक गवाही देने को बोल सकते हैं कि वे बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं। इस पूरी मीटिंग की विडियो (या कम से कम ऑडियो) रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख सकते हैं।

बपतिस्मा के विषय में व्यवहारिक कदम – यह न करें

बहुत बार अपनी रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी कलीसिया की संख्या को बड़ा दिखाने के लिए, या एक भव्य तस्वीर पेश करने के लिए बहुत से सेवक जल्दबाजी में नये विश्वासी को पूरी शिक्षा दिये बिना बपतिस्मा दे देते हैं - यह सही तरीका नहीं है। ऐसा करने पर किसी के बहकावे में आकर वह व्यक्ति पलट सकता है और आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बन सकता है।

यदि कोई व्यक्ति दो-तीन बार ही आपकी कलिसिया में आया और आपने उसे ज्ञान की बातें बता दी - उसने भी जल्दबाजी में जोश दिखाया तो उसके अंगीकार से प्रभावित होकर आप जल्दी से उसे बपतिस्मा दे डालें – ऐसी भूल न करें। यह कानूनी रूप से और आत्मिक

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

रूप से भी नुकसानदायक साबित हो सकता है - इन सब बातों से सावधान रहे। कहीं जल्दबाजी कर हम ऐसे व्यक्ति को नर्क की दुगुनी संतान न बना डालें – इसकी जिम्मेदारी वचन के प्रचारक की है।

बहुत से सेवक भावावेश में अपनी मीटिंग की व बपतिस्मा आदि की बहुत सी फोटो व वीडियो फेसबुक, यूट्यूब व व्हाट्सएप आदि पर डालते हैं जिससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, ऐसा न करें। कई बार बपतिस्मा लेने वाले विश्वासी के परिवार जन को इस बात की जानकारी नहीं होती और फेसबुक आदि पर फोटो देखने से उस परिवार में बखेड़ा खड़ा हो जाता है और उस विश्वासी के लिये अनावश्यक परेशानी हो जाती है। नाराज परिजन अपना गुस्सा आप पर भी निकाल सकते हैं और बल-प्रयोग, लालच या धोखाधड़ी के द्वारा धर्म-परिवर्तन करने का केस आप पर कर सकते हैं। हमारा काम दिखावा करने का नहीं है।

प्रभु यीशु आश्चर्यकर्म करने के बाद भी कह देते थे कि किसी को बताना नहीं है। आपकी सेवा को परमेश्वर हर समय देखते हैं और आपके हृदय को जानते हैं कि आप क्या और क्यों करते हैं, इसलिये मनुष्य को दिखाने के लिये धर्म के काम न करें (मत्ती 6:1), नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पायेंगे।

सारांश

हम मसीही विश्वासियों और सेवकों पर एक अतिरिक्त भार इस बात का भी है कि हम न सिर्फ अपनी आत्मिक गवाही को बनाये रखें बल्कि विधिक रूप से भी अपने देश के कानून के प्रति जिम्मेदार बनें। अपने देश के कानून का पालन करने से हर प्रकार के डर से भी नजात मिलेगी और साथ ही साथ अपनी लापरवाही से हो सकने वाली व्यक्तिगत मानहानि व प्रभु यीशु की नामधराई करने से भी हम बच सकेंगे।

सांसारिक लोग कितने भी गलत काम करें, समझौता करें तो भी कोई शायद उन पर अंगुली न उठाये परंतु जैसे ही एक विश्वासी या मसीही सेवक कोई गलती करता है तो सभी की आँखें उस पर लग जाती है। तुरंत ही लोग उस से पूछने लगते हैं कि क्या बाइबल से उसने यही सीखा है या फिर यीशु मसीह क्या ऐसा ही सिखाते हैं। हमारी गलती न सिर्फ हमारा नाम खराब कर सकती है बल्कि मसीह के नाम पर भी कलंक लगा सकती है।

कल्पना करिये कि एक सेवक से पूछताछ करने या गिरफ्तार करने के लिये पुलिस आये तो आस-पड़ोस के लोग क्या क्या बातें बना डालेंगे। इसका कितना प्रभाव उस सेवक के द्वारा चलने वाली सेवा पर भी पड़ेगा। कभी कभी झूठे आरोप होने पर भी नये विश्वासी डर जाते हैं

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

और संगति में आना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि परिपक्व विश्वासी भी संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं कि कहीं पास्टर साहब ने सच में ऐसा तो नहीं किया है।

सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मैं बहुत से लोगों को कानून का उल्लंघन करते हुए देखता हूँ। कोई लाल-बत्ती पर भी नहीं रुकते तो कोई अपने हेलमेट में फोन फँसाये दुपहिया वाहन चलाते रहते हैं। कुछेक लोग तो हेलमेट पहनने को भी अपनी तौहीन समझते हैं। मेरा शुरू से ऐसा मानना है कि एक विश्वासी को अपनी एक अलग पहचान और गवाही बनानी चाहिये कि अपने देश के कानून का पालन करें ताकि हमारी गाड़ी में चलने वाले अविश्वासी लोग भी हमारी गवाही को देख कर हमारे मसीही चरित्र की एक अच्छी तस्वीर अपने मन में बनायें।

यातायात पुलिसकर्मी को खड़ा देखकर ही यदि आप कार में सीट-बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको परमेश्वर का नहीं परंतु पुलिस का डर है। क्या परमेश्वर के जन को परमेश्वर ही का डर नहीं होना चाहिये?

कई सेवक दूसरों को छू कर प्रार्थना करते हैं और यहाँ तक कि पुरुष सेवक महिलाओं को भी छूकर प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिये। विश्वास का वचन ही परमेश्वर की सामर्थ को कार्यकारी करने के लिये काफी है। विपरीत लिंग के विश्वासी को छूने से अनेक गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं और कलीसिया की नैतिकता पर भी संसार में अनेक सवाल पैदा हो जाते हैं। अनेक पास्टर दुष्टात्मा निकालते हुए उस बंधक मनुष्य के शरीर को भई ज़ख्मी कर डालते हैं, नीचे गिरा कर अनेक तरीकों से शारीरिक चोट पहुँचाते हैं, यह समाज में कलीसिया के प्रति अंधविश्वासी होने का तमगा लगा देते हैं। अनेक लोग पवित्र आत्मा के नाम पर भोले-भाले विश्वासियों को ठगते हैं, यह सब गलत है और कलीसिया की उन्नति में बाधक हैं।

एक विश्वासी और सेवक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमेशा हमें याद रखना है कि हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं (इफिसियों 6:6-8) और साथ ही साथ इंसान का डर मानने वाले लोग नहीं अपितु परमेश्वर का डर मानने वाले लोग हैं (मत्ती 10:28, लूका 12:4)। अपनी गवाही को उत्तम बनाये रखने के लिये देश की कानून व्यवस्था के भी अच्छे पालक बनें (रोमियों 13:1-2)।

6

मसीही विश्वासियों को संवैधानिक सुरक्षा

भारतीय संविधान तथा नियम कानून सभी नागरिकों के लिये बराबर हैं। निरपराध मसीही विश्वासी आश्वस्त रह सकते हैं कि कानून हमारे पक्ष में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हमारे संविधान का सार है, उसमें लिखा हैं कि हमारा देश नागरिकों का ऐसा समाज है जो सार्वभौमिक है, धर्म-निरपेक्ष है और जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला गणराज्य है यानि देश की जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसी भी धर्म-विशेष का नाम नहीं है, न हिन्दू का न मुसलमान का और न ही किसी और धर्म का। साथ ही ध्यान दें कि किसी धर्म विशेष से प्रभावित पार्टी का नाम भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। हर एक राजनैतिक पार्टी हमारे कानून के अधीन है और सरकार बनाने के बाद संविधान के अधीन ही निर्णय लेने के लिये बाध्य है।

हमारे देश का संविधान समाजवादी है - इसमें समाज के सभी तबके के लोग बराबर हैं और सभी जाति-धर्म के लोगों को सारे धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध हैं।

भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य हैं - न्याय, आजादी, समानता, भाईचारा, एकता और अखंडता। चाहे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हों या आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों या फिर आप कोई भी धर्म का प्रचार करते हों या आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों - हमारे साथ में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जा सकता है। हमारे देश का संविधान हमें अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत का संविधान हमारे देश की आत्मा है। सभी सार्वजनिक, सामाजिक व सरकारी कामों के लिये हमारा संविधान एक बाइबल के समान है। हमारे देश को चलाने वाली सभी संस्थायें संविधान के अंतर्गत काम करती हैं और इसकी सीमा से बाहर न तो विधानमंडल या संसद कोई कानून बना सकती है, न कोई महकमा संविधान में निर्धारित कर्तव्यों व अधिकारों

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR PERMISSION - ADV. BRIJESH CHOROTIA

के बाहर जाकर कुछ काम कर सकता है और न ही हमारे देश की न्यायपालिका संविधान के विरूद्ध या उससे बाहर कोई निर्णय दे सकती है।

हमारे देश की सरकार तीन अंगों से मिलकर चलती हैं – विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। भारतीय लोकतंत्र इन सभी अंगों के आपसी तालमेल से चलता है। इन सभी अंगों के बारे में थोड़ी समझ होने से हमारे लिये अपने सेवा-कार्य में तालमेल बिठाना आसान हो जाता है।

भारत में विधायिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कानून बना डाले। 2014 और 2019 में लगातार दो बार पूर्ण बहुमत से चुनकर आई केंद्रीय सरकार के हिंदूवादी नज़रिये के कारण बहुत से मसीही सेवकों में एक डर पैठ गया था कि यह सरकार अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कानून बनाकर अल्पसंख्यकों के लिये मुश्किलें खड़ी कर देगी। वर्तमान सरकार के हिंदुत्ववादियों के प्रति नरम रवैये से इनकार नहीं किया जा सकता। भीड़तंत्र के प्रति उदासीन रुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच से एकसार होने और उनके अनेक मंत्रियों के भड़काऊ बयान कुछ ऐसे साक्ष्य प्रतीत होते हैं जिससे यह लगे कि यह सरकार मसीहियों के विरोध में कुछ कर सकती है। परंतु भारतीय लोकतंत्र में विधायिका द्वारा बनाये गये कानून को अन्ततः कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी – भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृती लेनी पड़ती है। इस प्रकार से बनाये गये कानून पर बाद में न्यायपालिका का भी आंशिक नियंत्रण रहता है। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) विधायिका द्वारा बनाये गये सभी कानूनों की समीक्षा करता है और कोई भी कानून या अधिनियम संविधान की मूल-भावना के विरुद्ध कोई काम करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत निष्प्रभावी कर सकता है।

2021 में गुजरात सरकार द्वारा लाये गये धर्म-स्वातंत्रय विधेयक पर हाई-कोर्ट ने कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि वे संविधान की मूल भावना से अलग हैं। धारा 3,4,4A से 4C तथा 5, 6 व 6A पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया।

ऐसे ही कार्यपालिका द्वारा किये जाने वाले कामों का निर्धारण विधायिका द्वारा किया जाता है परंतु अपना कर्तव्य ठीक से न निभाने पर या भारतीय नागरिक के किसी मौलिक अधिकार के हनन पर न्यायपालिका संज्ञान लेती है और अधिकारों को बहाल करवाती है। दोषी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंडित भी किया जा सकता है।

इन बातों को बताने का आशय यही है कि सरकार के विभिन्न अंग अर्थात संसद, पुलिस, न्यायालय तथा अन्य सभी सरकारी संस्थान संविधान के अंतर्गत ही कोई निर्णय ले सकते हैं या कार्यवाही कर सकते हैं। अपने आप में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेकर तानाशाही रूप से आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता इसलिये आप परमेश्वर की सेवकाई करने और अपने विश्वास तथा आस्था का प्रचार सभ्य तरीकों से करने के लिये स्वतंत्र हैं।

अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर बहुत से लोगों को सड़क रोककर कीर्तन आदि करते, ऊँची आवाज़ में लाउड-स्पीकर आदि बजाते, पूरी रोड पर यातायात बाधित करते हुए अपने धार्मिक झाँकियाँ निकालते हुए हम रोज देखते हैं। जिस प्रकार उन्हें दूसरों की भावना और देश के कानून का कोई लिहाज नहीं है, वैसा स्वभाव यदि मसीही लोग भी दिखायें तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। परंतु हम जीवित परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं इसलिये ज़रूरी है कि हम दूसरों की भावनाओं का व अपने देश के कानून का पालन भी भली प्रकार से करें।

सड़क पर खड़े होकर प्रचार करना, बसों में प्रचार करना, पर्चे बाँटना, बड़े क्रूसेड्स का आयोजन करना, आदि सब कानून-संगत है और आपको ऐसा करने की स्वतंत्रता है। परंतु साथ ही कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यह सब तरीके तब इजाद किये गये थे जब बड़े समूह में लोगों तक सुसमाचार पहुँचाने का और कोई तरीका नहीं था।

आज के समय में सोशल मीडिया की पहुँच हरेक मनुष्य तक है और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में, किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़े बिना लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। अब अपना संदेश पहुँचाने के लिये हमें उन पुराने तरीकों को ही पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं है।

यदि कोई उन तरीकों से ही प्रचार करना चाहे तो उसमें कोई संवैधानिक रुकावट तो नहीं है परंतु देश में पिछले 30 सालों में जिस प्रकार का माहौल मसीही प्रचार कार्य के विषय में बना दिया गया है उसके कारण अतिवादी तथा सामान्य जन भी संकीर्ण विचारधारा रखने लगे हैं। सड़क पर प्रचार करने व पर्चे बाँटने से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है, इस बात का डर ज़रूर है। साथ ही साथ, यदि ऐसा कुछ करने पर भीड़ इकट्ठी होकर आपका विरोध करे और पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाये तो आप पर शांति-भंग व लोक-व्यवस्था खराब करने का आरोप लग सकता है। इसलिये सावधानीपूर्वक व समझदारी से सब काम को करने से प्रभु के राज्य के कामों में आने वाली रुकावट व दूसरे सेवकों पर भी पड़ सकने वाले अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव को टाला जा सकता है।

DO NOT COPY, PRINT OR SELL. REPRODUCTION WITHOUT PERMISSION

NT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

7

भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद

हमारे देश का संविधान समाजवादी है - इसमें समाज के सभी तबके के लोग बराबर हैं और सभी जाति-धर्म के लोगों को सारे धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध हैं।

भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य हैं - न्याय, आजादी, समानता, भाईचारा, एकता और अखंडता। चाहे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हों या आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों या फिर आप कोई भी धर्म का प्रचार करते हों या आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों - हमारे साथ में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जा सकता है। हमारे देश का संविधान हमें अधिकार तथा सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत देश का नागरिक होने के नाते आपको समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है और किसी तरह का भेदभाव कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है।

भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं:

1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

आइये, भारतीय संविधान के कुछ खास अनुच्छेदों पर विचार करें। संविधान के भाग – 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हम विशेष तौर पर अनुच्छेद 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 और 32 पर विचार करते हैं।

अनुच्छेद 14 – विधिवत समान संरक्षण का अधिकार

राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 – भेदभाव से बचाव का अधिकार

राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा

अनुच्छेद 14 व 15 हमें समानता का अधिकार देते हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर है। हमारे भारत देश में कानून का शासन है। चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार या फिर कोई भी दूसरी सरकार – सभी सरकारें कानून के अधीन है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई आपके विरुद्ध कोई अपराध करता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपको किसी भी भारतीय नागरिक के समान कानूनी बचाव का अधिकार मिलता है।

अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति या धर्म के नाम पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सावर्जनिक स्थानों में प्रवेश, राज्य पोषित सस्थानों में सहभागिता व राज्य-संसाधन उपयोग के विषय में किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता।

यदि आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आप निश्चिंत रहें - कानून आपके विरोध में नहीं है, भारत का संविधान आपके साथ है।

इसका अर्थ व्यवहारिक तौर पर यह है कि यदि आप शांतिपूर्वक तरीके से सभी भारतीय कानूनों का पालन करते हुए, अपने पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर, अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, तो सिर्फ आपके अल्पसंख्यक समाज से या किसी धर्म या जाति विशेष से होने के कारण आपसे किसी भी सरकारी कार्यालय और भारतीय न्यायालय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। अपनी धार्मिक भावना के आचरण (चर्च जाने, बाइबल पढने, प्रचार करने आदि) के कारण भी आपसे कोई कानूनी भेदभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 19 – स्वतंत्रता का अधिकार

(1) सभी नागरिकों को--
(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,
(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
(ग) संगम या संघ बनाने का,
(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, [और]
(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

यह अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को सब प्रकार के न्यायसम्मत काम करने की समान आजादी है। कानून जितना हिन्दू का उतना ही मुसलमान का है और जितना मुसलमान का है उतना ही ईसाई का भी है और नास्तिक व्यक्ति का भी।

हमारे देश का संविधान हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम समूह बनायें व शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होकर कोई भी आयोजन करें - **इसका मतलब यह भी है कि ईश्वर की आराधना के लिये कलीसिया के रूप में संगति करने की पूर्ण आजादी हम लोगों को है।** इस संगति में किसी भी जाति या धर्म के लोग स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम किसी भी प्रकार की सभा कर सकते है और हमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गैरकानूनी काम या बात करने के लिये कोई सभा या समागम करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है।

अगर हम समाज में किसी प्रकार की अशांति पैदा करते हैं या किसी प्रकार के दंगे में शामिल हो जाते हैं तब ही हमारी संगति पर शांति-भंग की कानूनी धारा लग सकती है। जब तक हम शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होते है तब तक हमारे भारत देश का कानून व हमारा संविधान हमें संरक्षण देता है।

इसके साथ ही किसी भी प्रकार की कानून-सम्मत कार्यों को करने के लिये संस्था बनाने की आजादी व अभिव्यक्ति की आजादी भी हमें संविधान से प्राप्त होती है। वाक-स्वतंत्रता (बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी) हमारा मौलिक अधिकार है। किसी की धार्मिक भावना को नुकसान पहुँचाये बिना हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या किसी भी और तरीके से प्रसारित कर सकते हैं – इस बात का संरक्षण हमें भारतीय संविधान प्रदान करता है।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

एक सेवक के रूप में आप याद रखें कि अपने धर्म व धार्मिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है परंतु किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का अधिकार आपको नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रता आपको है उतनी ही दूसरे को भी है और आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती है। रेव्ह. स्टेनिसलॉस बनाम मध्यप्रदेश सरकार, 1977 केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको प्रचार का अधिकार है परंतु किसी का धर्म-परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने धर्म को मानना उस व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

यह अनुच्छेद हमको बताता है कि जब तक हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते तब तक कानून हमें किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराता और हमको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता।

कोई भी आपको अपने अहित में कोई बयान देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

किसी भी प्रकार के बल का उपयोग करके अपराध कबूल करवाने का अधिकार भी पुलिस को नहीं है और यदि पुलिस ऐसा करती है तो आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जिसके द्वारा आप उन पुलिसकर्मियों पर भी केस कर सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर बल का प्रयोग किया या आपको अपने विरुद्ध साक्षी देने पर मजबूर किया।

धर्म-परिवर्तन संबंधी किसी निषिद्ध (प्रतिबंधित) गतिविधि में भाग न लें ताकि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको संरक्षण मिले। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया तब तक आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

जैसे ही आपने एक कानून तोड़ा तो सारे कानून आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिये सजग रहें। एक बात को याद रखें कि कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है। "मुझे इस बात का पता नहीं था" या "मुझे पता नहीं था कि यह गैर-कानूनी है" या "मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिये या हम ऐसा नहीं कर सकते", ऐसा कहकर आप कानूनी कार्यवाही से बच नहीं सकते।

आप बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जायें और पकड़े जाने पर कहें कि मैं लेट हो रहा था, या मुझे टिकट कहाँ मिलता है पता नहीं था या कोई भी बहाना बनायें तो आप फाइन से नहीं बच सकते। एक बार फाइन देने के बाद दूसरा टीटी आपसे दोबारा फाइन नहीं ले सकता क्योंकि यह अनुच्छेद बताता है कि एक अपराध के लिये किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी सकती है, यह भी संविधान के इस अनुच्छेद में लिखा है।

आप से यह अपेक्षा की जाती है कि आप कानून को जानें और उसका पालन करें। गलती या अपराध करने के बाद आप यह कहकर बच नहीं सकते कि मुझे इस विषय में पता नहीं था या ऐसे किसी कानून की जानकारी मुझे नहीं थी। अपने कर्तव्यों व अधिकारों को ठीक से जान लें और उनका भरपूर पालन करें ताकि संवैधानिक संरक्षण निरंतर आपके साथ बना रहे।

अनुच्छेद 22- गिरफ्तारी के समय संरक्षण

(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।
(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

इस अनुच्छेद में विदित है कि यदि किसी समय आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको संवैधानिक अधिकार है। अपने परिचित तथा वकील को इस बात की जानकारी देने का भी आपको कानूनी अधिकार है। पुलिस आपको अपने वकील से विचार-विमर्श करने से पहले बयान देने के लिये बाध्य नहीं कर सकती है। आपको

पूरा अधिकार है कि आप अपनी इच्छा के वकील से संपर्क कर सकते हैं और विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस आपको आपकी मर्जी के वकील को छोड़ने या पुलिस के द्वारा बताये गये वकील को ही अपना केस देने के लिये बाध्य नहीं कर सकती है।

बिना कोई धारा लगाये पुलिस आपको लंबे समय तक लॉक-अप में नहीं रख सकती। पुलिस को 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। गिरफ्तारी के समय या पुलिस हिरासत में किसी को आप पर बल-प्रयोग का अधिकार नहीं है।

यदि आप निरपराध हैं और आप पर बल-प्रयोग किया गया है तो ऐसे पुलिसकर्मी पर आप केस कर सकते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिये सरकारी कर्मी हैं और अपराध न करने वाले किसी भी नागरिक को पुलिस से डरने की कोई दरकार नहीं है।

जिनके पास अपनी कोई संस्था है तो अपनी संस्था के कागजात व रिकॉर्ड हमेशा पूरे रखें। सरकार को दिये जाने वाले टैक्स या टैक्स से छूट देने वाले दस्तावेज समय पर जमा करें। यदि आपको आई.टी.आर. फाइल करनी पड़ती है तो समय पर फाइल करें। किसी भी प्रकार से अपने रिकॉर्ड में कोई गलती या धोखधड़ी ना करे। गलत काम नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी होगी ही नहीं।

अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो--
(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है;
(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। विशेषकर अल्पसंख्यकों को इस मौलिक अधिकार का ज्ञान होना अति आवश्यक है ताकि वे जान सकें कि भारत में सभी को समान रूप से अपने

अंतःकरण की आस्था के अनुसार ईश्वर को निराकार या साकार रूप में मानने की स्वतंत्रता है। सभी अपने अपने धर्म या आत्मिक आस्था के अनुसार आचरण कर सकते हैं व साथ ही अपनी आस्था का खुलकर प्रचार-प्रसार भी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 26- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

> लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्नय के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को --
> (क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,
> (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का,
> (ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और
> (घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।

25 और 26 दोनों अनुच्छेद पासबानों तथा मसीह प्रचारकों / सेवकों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं। इसे **धार्मिक स्वतंत्रता** के अधिकार का नाम दिया गया है। इसको सरल रूप से ऐसे समझा जा सकता है कि **संविधान के अनुसार आप पूर्ण आजादी के साथ अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। एक भारतीय नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने या आस्था रखने (या न रखने), उसके अनुसार आचरण करने व उसका प्रचार-प्रसार करने की पूर्ण आजादी है** – इसके लिये आपको किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

हाँ, बड़े पैमाने पर की जाने वाली गोष्ठी (मीटिंग), कन्वेंशन या क्रूसेड आदि के लिये अनुमति की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ऐसी बड़ी मीटिंग के कारण ट्रैफिक बाधित होता है तथा कानून-व्यवस्था बनाये रखने वालों के लिये जटिलता पैदा हो सकती है। जहाँ सरकारी महकमें की मदद की ज़रूरत पड़े, ऐसी मीटिंग के लिये पूर्व-अनुमति लेना ज़रूरी है।

बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्यक्रम के कारण आम जनता को परेशानी न हो, शांति भंग न हो तथा किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन न हो (कोई देश-विरोधी बात या कार्यकलाप न हों), यह ज़िम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की रहती है।

अनुच्छेद 25 के अनुसार भारतीय संविधान हरेक को अपने अंतःकरण की आस्था या धर्म को मानने, उसका आचरण करने व प्रचार-प्रसार करने का अधिकार देता है। परंतु साथ ही, दिग्यदर्शन राजेन्द्र रामदासजी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1969 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किसी के धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसी व्यक्ति के विश्वास को किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित करने या उस विश्वास के सिद्धांतों को उजागर करने

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

(exposition) का अधिकार है परंतु इसमें किसी के धर्म को रूपांतरित करने (religious conversion) का अधिकार शामिल नहीं है।

स्पष्ट रूप से बल-पूर्वक, लालच से या धोखे से धर्म-परिवर्तन के उद्देश्य से की गई कोई कार्यवाही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है।

इसके अतिरिक्त याद रखें कि कोई भी सरकार हो जो कि अपने राजनीतिक हितों के कारण कुछ बातें बोलकर आपको डराये तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हिन्दुत्ववादी सरकार पावर में आ सकती है जो बोलेगी कि हम हिन्दू राष्ट्र बनायेगे परन्तु भारत का कानून और भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता। ऐसा करने के किसी भी राजनीतिक प्रयास को नियंत्रण करके हमारे संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करना देश के सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है।

आप एक सामाजिक संस्था चला सकते है, आप कॉलेज चला सकते है, आप किसी भी प्रकार की चैरिटेबल संगठन (अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि) चला सकते हैं और उसका आतंरिक संचालन व प्रबंधन अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस बात की आजादी संविधान आपको देता है।

ऐसी हरेक संस्था के लिये जो अलग से अधिनियम केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनायें गये हों, उनका पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप एक अनाथालय चलाते हैं तो इसके संबंध में जो सरकारी अनुमति व कागजी कार्यवाही ज़रूरी है – उसको अवश्य पूरा करें। इसी तरह से, यदि आप एक चैरिटेबल अस्पताल खोलते हैं तो अस्पताल खोलने व चलाने से संबंधित कानूनी जिम्मेदारियों का वहन भी आपको करना होगा। दवा, इलाज व साफ-सफाई आदि के विषय में जो मानक सरकार के द्वारा तय किये गये हैं उनकी पालना करना आपका कर्तव्य है।

अनाथालय में छोटी व जवान लड़कियाँ भी हों तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो, विशेषकर यौन शोषण न हो, इस बात को सुनिश्चित करना अनाथालय के संस्थापक व दैनिक प्रबंध करने वाली टीम की ही जिम्मेदारी है।

इस प्रकार की छोटी बड़ी सभी बातों में सावधान रहना जरूरी होता है ताकि कोई भी आपकी साख पर सवालिया निशान न खड़ा कर सके और किसी भी आरोप में आपके फँसा न सके।

ARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

अनुच्छेद 32- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

> (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।
> (2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।
> (3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी।
> (4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा।

'**संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार**' को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित (पुनःबहाली) कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को व अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हरेक राज्य के उच्च-न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (बहाली) के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, परमादेश, निषेधादेश, अधिकारपृच्छा-प्रादेश तथा उत्प्रेषण सहित किसी प्रकार का प्रादेश, निर्देश अथवा आदेश (writs, directions and orders) जारी कर सकता है।

राज्य के उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्देश, आदेश तथा प्रादेश का निर्गम (issuing) केवल संविधानप्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं, अपितु "किसी अन्य उद्देश्य के लिये" भी कर सकता है ताकि नागरिकों के लिये शीघ्र तथा मितव्ययितापूर्ण उपाय प्रदान किया जाये और जिससे ये अधिकार विधायिका (legistature) व कार्यपालिका (executive) के हस्तक्षेप से मुक्त रहें।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

साधारण शब्दों में कहें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 में भारतीय नागरिकों को समान रूप से अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा व हनन होने पर पुनःबहाली करवाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद का संविधान में उतना ही महत्व का होता है, जितने कि मौलिक अधिकार स्वयं क्योंकि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। **मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय आदेश देकर मौलिक अधिकार को बहाल करवाता है।** सर्वोच्च न्यायलय इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि संविधान के मौलिक ढाँचे से कोई छेड़छाड़ न हो और ऐसा कोई भी कानून लागू न हो जिससे हमारे देश का संवैधानिक ताना-बाना छिन्न भिन्न हो। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्त न्यायालय के और यहाँ तक कि अपने ही पुराने निर्णय की भी समीक्षा कर सकता है ताकि संविधान की मूल-भावना से छेड़छाड़ न हो।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति कानून (SC-ST Act) में किये गये बदलाव को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरूण मिश्रा, एम आर शाह तथा बी आर गवई की बेंच ने अक्तूबर 2019 में गैर-संवैधानिक बताकर रिपील कर दिया है अर्थात निष्प्रभावी कर दिया है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ भेदभाव अब तक खत्म नहीं हुआ है इसलिये समानता के अधिकार को बहाल करने के लिये (सिर्फ कुछ लोगों के इस कानून का गलत फायदा उठाने के कारण) इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिये, ऐसा बदलाव संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। यह संविधान के मौलिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ की श्रेणी में आता था इसलिये उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पुराने आदेश को रद्द कर दिया।

देश के संविधान पर विश्वास रखें। मौलिक अधिकार का हनन होने की दशा में आप सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) या हाई-कोर्ट (उच्च न्यायालय) में रिट लगाकर अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण की गुहार लगा सके हैं, जिसे उच्चतम न्यायालय अविलंब सुनता है और उस पर आदेश करता है।

हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान निर्माण समिति व इसका प्रारूप तैयार करने वाले बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की देन है। वे स्वयं एक दलित व उपेक्षित समाज से संबंध रखते थे और असमानता, जातिगत-भेदभाव, छूआछूत व सामाजिक उत्पीड़न के दर्द को समझते थे। उनके द्वारा बनाया गया यह संविधान ऐसे कलंक को मिटाकर हरेक को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसके उल्लंघन पर उपचार का प्रबंध भी करता है। भारत देश में आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें।

8

भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारायें

संविधान के अतिरिक्त संसद में अनेक कानून बनाये जाते हैं जो कि अपने संदर्भ में कर्तव्यों, अधिकारों तथा उल्लंघन होने की दशा में कार्यवाही तथा दंड की जानकारी और अधिक विस्तार से बताते हैं।

जैसे आयकर से जुड़ा कानून आयकर से जुड़े विषयों में अधिकार, कर्तव्यों व कानून के उल्लंघन पर दंड के प्रावधानों के बारे में बताता है तो विवाह अधिनियम विवाह तथा विवाह-विच्छेद के बारे में बताता है। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दलित समाज को सुरक्षा प्रदान करता है तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्चुअल हरेसमेंट कानून महिलाओं को व पोक्सो एक्ट बच्चों के कानूनी अधिकारों के बारे में बताता है।

ऐसे ही अनेक कानूनों में से एक अतिमहत्वपूर्ण अधिनियम है - भारतीय दंड संहिता (IPC – Indian Penal Code)। भारतीय दंड संहिता जिसे संक्षेप में IPC भी कहा जाता है, अपराध और उसके लिये नियुक्त सज़ा का विस्तृत विवरण देती है। पुलिस मुख्यतया इसी अधिनियम के अंतर्गत दी गई धाराओं में शिकायत दर्ज करती है जब तक कि किसी और विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराध न हुआ हो। यदि भारतीय दंड संहिता के अलावा किसी और अधिनियम के अंतर्गत भी वह अपराध आता हो जिसकी शिकायत पुलिस से की जाती है तो ऐसे संज्ञेय अपराध का उल्लेख उस अधिनियम व धारा समेत पुलिस रिकॉर्ड व प्राथमिकी (FIR) में करती है।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

इस पुस्तक में मैं आपको भारतीय दंड संहिता (IPC) की कुछ खास धाराओं के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप जान सकें कि कौन सी धारायें विश्वासियों के पक्ष में काम करती है और कौन सी धारायें मसीही-सेवकों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं।
भारतीय दंड संहिता की कुछ विचारणीय धाराएँ इस प्रकार हैं –

- धारा 295 व 295ए,
- 296,
- 297 व
- 298

जो कि आई.पी.सी.एक्ट 1860 के पंद्रहवें अध्याय में लिखी हुई हैं।

धारा 295- किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना

> जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्द्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

इस धारा में लिखा हुआ है कि आपके धर्म या आस्था के विरोध में आपके विश्वास का अनादर करने या आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए यदि कोई आपके प्रार्थना / आराधना के स्थान को या उससे संबंधित किसी चिन्ह को नष्ट करता है या उसको गंदा करता है (जैसे कोई गंदगी फेंक दी या किसी जगह पर कोई तोड़-फोड़ कर दे) जिससे उस आराधना स्थान का अपमान हो या उसके अनुयाईयों को अपने धर्म का अपमान महसूस हो तो वे उस अपराध करने वाले के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

आपके आराधना-स्थल पर तोड़-फोड़ की गई या आराधना से संबंधित वस्तुओं को नष्ट या अपवित्र किया गया है तो आप धारा 295 के अंतर्गत शिकायत कर उन लोगों पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। एफआईआर लिखवाते समय या प्रार्थना पत्र में भले ही आप धारा

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

का उल्लेख न करें परंतु जिस व्यक्ति के खिलाफ आपको यह बताना ज़रूरी होगा कि उसने आपकी पवित्र मानी गई वस्तु का नुकसान किया है या नष्ट किया है (जैसे बाइबल को फाड़ देना या फेंक देना) या उसे अपवित्र किया है जिसके कारण आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची है व धर्म का अपमान हुआ है।

अपराधी प्रवृत्ति के लोग कानून की जानकारी का फायदा उठाकर खुद ही पहले आराधना-स्थल पर तोड़-फोड़ आदि करते हैं और ऊपर से पुलिस में झूठी शिकायत कर देते है जिससे पुलिस आपको ही गिरफ्तार करने के लिये आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस आपके विरुद्ध की गई शिकायत के आधार पर धारा लगाकर गिरफ्तार करती है। सामान्यतः जब कोई आप पर झूठा या सच्चा केस कर दे तो आपको भी संवैधानिक अधिकार है कि आप भी उनकी शिकायत (काउंटर-एफआईआर) कर सकते हैं।

शिकायत करते समय पुलिस के सामने खुलकर सारी बात बताना चाहिये कि किस प्रकार से आपके आराधना स्थल पर कितने लोगों ने क्या क्या नुकसान किया है। इसके विषय में मैंने पुस्तक के अंत में प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि किन किन बातों का ध्यान रखकर शिकायत लिखनी चाहिये और एक प्रारूप भी दिया है जिससे आपको अपनी शिकायत लिखने में मदद मिलेगी।

यदि इस धारा को नहीं लिखा गया तो फिर से बतायें कि कैसे आपके आराधना-स्थल को खंडित या अपवित्र करके आपके पूरे वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी आपकी शिकायत लिखने से मना कर देता है या विरोधी लोगों से मिल जाता है तो आप पुलिस के उच्च अधिकारी (एसपी) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । फिर भी किसी कारणवश यदि पुलिस आपकी रिपोर्ट (FIR) को नहीं लिखती है तो कोर्ट के द्वारा CrPC 156(3) के अंतर्गत इस्तगासा (न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना-पत्र) से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कोर्ट में जाकर आप एक वकील की सहायता से शिकायत करते हैं तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करते हैं जिसके कारण पुलिस को एफ.आई.आर लिखनी ही पड़ेगी। पुलिस आपकी एफ.आई.आर भी लिखेगी और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को वापस जमा करेगी की हमने इस एफ.आई.आर को लिख लिया है। कोई भी आपकी कम्पलेंट को लिखने के लिए मना नहीं कर सकता है।

एफआईआर लिखे जाने के बाद पुलिसकर्मी उसे पढ़कर आपको सुनाता है ताकि आप पुष्टि कर सकें कि सब कुछ सही लिखा गया है। उसमें धाराओं को भी लिखा जाता है जिस पर आपसे हस्ताक्षर लिया जाता है। जब आप एफ आई आर (FIR) करते हैं तो उसकी एक मुफ्त प्रति आपको प्राप्त करने का अधिकार होता है।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

धारा 295A – विमर्षित व विद्वेषपूर्ण आशय से धार्मिक भावना को आहत करना

> जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के मुताबिक़ जानबूझकर और द्वेष की भावना से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर 3 साल की जेल का प्रावधान है। मसीही विश्वासी को चिढ़ाने और उसकी आस्था को ठेस पहुँचाने के आशय से मसीही विश्वास या बाइबल या प्रभु यीशु के विरुद्ध अनर्गल व अपमानजनक बात बोलकर या लिखकर कोई आपके धार्मिक विश्वास का अपमान करता है तो आप उनके विरुद्ध अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं।

धारा 295 और 295A, दोनों धारायें मसीही सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है कि कोई आपके आराधना के स्थान में तोड़-फोड़ नहीं कर सकता और यदि करे तो उसके लिये सज़ा का प्रावधान है, और न ही कोई आपकी आस्था का अपमान कर आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचा सकता है अन्यथा वह दंड का अधिकारी बनेगा। ज्यादातर मसीही विश्वासी और सेवक प्रभु यीशु द्वारा सिखाये गये क्षमा तथा सह लेने की शिक्षा के कारण अपनी तरफ से कभी पुलिस में शिकायत नहीं करते परंतु अत्याचार, अपमान व अन्याय होने पर भी चुप ही रहते हैं और प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार सह लेते हैं। जब कलीसिया पर कोई असंवैधानिक हमला करे तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पुलिस में मामला दर्ज कराना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है ताकि समाज में शांति बनी रहे।

मसीही सेवकों को चेतावनी

सामान्यतया धारा 295क मसीही विश्वासियों व सेवकों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन दूसरे धर्मों के विरोध में, या उनके धार्मिक शास्त्रों के विरोध में या उनके देवी-देवताओं के विरोध में अनावश्यक व अपमानजनक बातें बोलकर अनेक मसीही सेवक स्वयं भी अपराध कर बैठते हैं और फिर धारा 295A उनके विरोध में भी काम करती है। आप किसी भी शब्द के द्वारा, किसी भी लिखित या बोले हुए शब्दों के द्वारा या अपने इशारे से किसी धर्म की भावना को,

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

किसी जाति समूह की धार्मिक भावना को जानबूझ कर ठेस पहुँचाते है तो आपके ऊपर केस बन सकता है।

हमेशा ध्यान रखे की प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे धर्म थे और देवी-देवता भी थे परन्तु बाइबल के नये नियम की चारों सुसमाचार-पुस्तकों में (मत्ती, मरकुस, लूका और यहून्ना में) कहीं पर भी यीशु मसीह ने ना तो किसी धर्म के विरोध में प्रचार किया और ना ही किसी देवी-देवता का विरोध किया या अपमानसूचक तरीके से कोई नाम लिया। हमारा रोल-मॉडल यीशु मसीह है तो हमें भी ना तो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की जरूरत है और ना ही हमें किसी भी देवी-देवता का नाम लेकर उनका अनादर करने की जरूरत है।
यदि आप गलती करेंगे तो ये धारा आपके विरूद्ध लागू हो जाती है परन्तु यदि कोई आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचा रहा है तो आप इस धारा में उस पर पुलिस-केस कर सकते है।

धारा 296 - धार्मिक जमाव में विघ्न करना

> जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इस धारा के अंतर्गत मसीही सेवकों को अपनी आराधना को सुचारू रूप से चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक तरीके से धार्मिक गतिविधि या पूजा-अर्चना अथवा आराधना-प्रार्थना के लिये इकट्ठे लोगों के बीच आकर उस धार्मिक (आत्मिक) विधि में रूकावट डालने वाले पर 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।

मसीही होने के कारण आप कुछेक बार क्षमा करके ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं परंतु यदि वो आपकी बात न माने और बार-बार संगित में विघ्न डाले तो आपको पूरा अधिकार है कि आप धारा 296 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पर थाने में रिपोर्ट कर करते हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की यह धारा पूर्ण रूप से मसीही सेवकों के पक्ष में काम कर सकती है और इसका सही इस्तेमाल करने से ऐसे समाजकंटकों से छुटकारा पाया जा सकता है जो बार बार आपकी आराधना-संगति में विघ्न डालते हैं।

यह धारा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आत्मिक संगति को बहाल करने की सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय संविधान जहाँ हमें अधिकार देते हैं, यह कानून हमारे उन अधिकारों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध होते हैं।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

धारा 297- आराधना स्थान व कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना

जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की इस धारा में लिखा हुआ है कि किसी मृतक परिजन के अंतिम क्रियाकर्म में आपके धार्मिक स्थान अर्थात कलीसिया या कब्रिस्तान आदि में अंत्येष्टि कार्यक्रम में दखल देने के मकसद से कोई जबरदस्ती आता है और वहाँ पर आकर शोर-शराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है या अशांति फैलाता है तथा क्रियाकर्म में विघ्न डालकर आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाता है तो आप उस पर धारा 297 के अंतर्गत पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। यह धारा कब्रिस्तान आदि में अतिचार करने या शव के साथ छेड़-छाड़ करके आपकी भावना को ठेस पहुँचाने पर भी ऐसे अपराधी पर लागू हो जाती है।

धारा 298- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि

जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 295क के समान यह धारा भी समान परिस्थितियों में लागू होती है परंतु जहाँ 295क पूरे वर्ग की धार्मिक भावना के आहत होने पर लागू होती है, धारा 298 किसी भी व्यक्ति कि व्यक्तिगत आस्था व धार्मिक भावना के आहत होने पर व्यक्तिगत रूप से शिकायत कराने पर लागू होती है।

जब कोई व्यक्ति बोले गये शब्दों से, लिखे गये वचनों से या किसी ईशारेबाजी के द्वारा किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वास को जानबूझकर अपमानित करता है या उसकी धार्मिक भावना को आहत करता है तो आहत व्यक्ति पुलिस में शिकायत कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी मसीही विश्वासी अपने परेशान करने वाले की शिकायत कर उसको ऐसा न करने के लिये पाबंद करवा सकता है।

धारा 295क के समान ही इस धारा में ज्यादातर पास्टर फँस जाते हैं या फँसा दिये जाते हैं। बहुत से मसीही सेवक और जोशीले-विश्वासी अपने जोश में होश खो बैठते हैं और ऐसी बातें अपने मुँह से बोल देते हैं जो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहँचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के बजाय सामने वाले के धर्म को व उनके देवी-देवताओं को छोटा बताने की कोशिश करते है और यहीं वे 295ए और 298 में फंस जाते है।

दो बराबर की लाइनों में एक को छोटा करने के दो तरीके हो सकते हैं - या तो एक लाइन को थोड़ा सा मिटा दीजिए तब वो छोटी हो जायेगी या फिर दूसरी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तब भी पहली लाइन छोटी हो जायेगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को ऊँचा करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है अपने प्रभु यीशु मसीह की इतनी महिमा करिये ताकि दूसरे अपने आप ही गौण हो जायें। दूसरे धर्म के बारे में कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे जो आपके विरोध में काम करें।

कुल मिलाकर आप स्वयं कोई गलती न करें, बलपूर्वक या छल द्वारा या लालच देकर किसी को मसीही विश्वास में लाने का प्रयत्न न करें और न ही किसी धर्म, धार्मिक पुस्तक या देवी-देवताओं के विरोध में कुछ बोलकर किसी को मौका दें कि वो आप पर अपनी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का दोष लगा सके, तो कानून और संविधान आपकी सहायता करेगा।

उपरोक्त धाराओं के अलावा कुछ और भी भारतीय दंड संहिता की धारायें हैं जिनकी जानकारी रखना अच्छा है ताकि जरूरत पड़ने पर उनको भी अपनी FIR में आप समाहित कर सकें। विशेषकर नीचे दी गई संज्ञेय अपराधों में से कोई अपराध आपके विरुद्ध या आपके सामने हुआ है तो आप इस धारा से जुड़ी बातों को समझकर उन बातों का उल्लेख पूरे विस्तार से अपने शिकायत पत्र में करें ताकि पुलिस यह सभी धारायें प्राथमिकी (FIR) में लिखे और एक मजबूत केस अपराधी के खिलाफ बन सके।

NOT FOR SALE OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

धारा 153क **संज्ञेय,** **गैर-जमानती**	**Promoting enmity between groups** धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। जब कोई अपने शब्दों या लिखित वचनों या इशारों द्वारा या कुछ कार्य करने के द्वारा किन्हीं दो वर्गों के बीच शत्रुता व समाज में अशांति पैदा करता है तो उस धारा में केस दर्ज होना चाहिये।
धारा 395 **संज्ञेय,** **गैर-जमानती**	**Punishment for dacoity** चर्च आदि पर हमला करने वाले व्यक्ति यदि उपस्थित लोगों से लूटपाट करें और सामान की छीना-झपटी करें तो डकैती के लिये दंड संहिता की इस धारा में FIR दर्ज होनी चाहिये
धारा 323 **असंज्ञेय,** **जमानती** **धारा 324*** **संज्ञेय,** **जमानती**	**Punishment for voluntarily causing hurt (without weapon)** जब कोई अपनी इच्छा से कलीसिया में या बाहर किसी व्यक्ति पर हमला कर उसे चोट पहुँचाता है तो उस पर इस धारा में शिकायत होनी चाहिये *** Punishment for voluntarily causing hurt using weapon of offence**
धारा 504 **असंज्ञेय,** **जमानती**	**Intentional insult with intent to provoke breach of peace** जान बूझकर जब कोई व्यक्ति अपमानित करता है और लड़ाई-झगड़ा उत्पन्न करता है जिससे लोकशांति भंग होती है तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत शिकायत होती है।
धारा 506 **असंज्ञेय,** **जमानती**	**Punishement for Criminal Intimidation** जब कोई आपराधिक अभिप्राय से किसी को डराता या धमकाने का अपराध करता है और उसके सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त करता है, तो इसे आपराधिक अभित्रास कहा जाता है, यह एक दंडनीय अपराध है। कलीसिया पर हमला कर लोगों को डराने और भविष्य में कलीसिया न आने की धमकी देना भी इसी धारा के अंतर्गत आता है।
धारा 425	**Mischief**

धारा 427 **असंज्ञेय,** **जमानती**	**Mischief causing damage** 50 रूपये या उससे अधिक की हानि पहुँचाने पर 2 साल तक की कैद का दंड होता है। आपराधिक प्रवृत्ति की शरारत कर नुकसान पहुँचाने पर इस धारा में शिकायत करवानी चाहिए। कलीसिया में तोड़फोड़ कर 50 रू से अधिक नुकसान होने पर इस धारा को भी शामिल करना चाहिये।
धारा 120b **धारा 149** **(किये गये अपराध के अनुसार संज्ञेय – गैर-जमानती या असंज्ञेय - जमानती)**	**Punishment for Criminal Conspiracy** **Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object** जब दो या अधिक व्यक्ति किसी भी अवैध काम को करने की योजना बनाते हैं या सहमत होते हैं और फिर उस को अंजाम देते हैं, जैसे कलीसिया पर हमला करने आई भीड़ एक योजना के अंतर्गत एक मन होकर आती है तो यह एक आपराधिक षड़यंत्र की श्रेणी में आता है और इस धारा में भी शिकायत दर्ज होनी चाहिये।
धारा 326 **संज्ञेय,** **गैर-जमानती**	**Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon of offence** किसी भी अस्त्र-शस्त्र या खतरनाक हथियार जिससे जान जा सकती है ऐसे साधन का इस्तेमाल कर घोर उपहति अर्थात गंभीर चोट लगने (जैसे माथा फटना, पेट या सीने में चाकू लगना, लोहे की रॉड आदि से रीढ़ की हड्डी पर चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु भी हो सकती है) पर धारा 323 के बजाय केस इस धारा में दर्ज होना चाहिये।
धारा 354 **संज्ञेय,** **जमानती**	**Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty** कलीसिया में महिलायें भी होती हैं और समाजकंटकों की भीड़ उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। यदि किसी महिला पर हमला होता है तो इस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवानी चाहिये जो कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग की धारा है जिसमें अपराधी को पाँच वर्ष का कारावास हो सकता है।

DONOT COPY. PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

धारा 509	**Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman** यदि महिला पर लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल-प्रयोग नहीं हुआ परंतु सिर्फ शब्दों या इशारों से गाली-गलौच व अभद्रता व लज्जा भंग की गई हो तो इस धारा में केस होना चाहिये परंतु बल-प्रयोग के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ तो 354 के साथ धारा 509 में भी शिकायत दर्ज करवानी चाहिये।
धारा 500 (read with 499) असंज्ञेय, जमानती	**Defamation (मानहानि)** किन्हीं शब्दों के द्वारा (चाहे बोले गये या लिखे गये) जिनके द्वारा कोई जानबूझकर किसी की मानहानि करने और साख गिराने के आपराधिक आशय से अनर्गल लांछन लगाता है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उस पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस द्वारा मना किये जाने पर सीधे कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है।

संज्ञेय का अर्थ है कि अपराध संगीन है और FIR लिखकर तुरंत अनुसंधान होना चाहिये इसलिये बिना वारंट भी गिरफ्तारी हो सकती है। अंज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होती है और आसानी से जमानत मिल सकती है। FIR पर हस्ताक्षर करने से पहले लगाई गई धाराओं व दर्ज की गई शिकायत की जानकारी को देखना चाहिये कि सही लिखी हैं। CrPC 154 के अनुसार आपको प्राथमिकी (FIR) की एक मुफ्त प्रति मिलेगी।

धारा 500 (499 के साथ पढ़े जाए) में मानहानि की सजा का वर्णन हो जो कि फाइन (अर्थदंड) या 2 साल तक का कारावास या दोनों हो सकती है। मानहानि को साबित करने के लिये दो बातें होनी चाहिये – बात झूठी और निराधार हो और उस बात का बोला या लिखा (प्रकाशित) जाना बिना किसी शंका के साबित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सवर्ण हमलावर व्यक्ति के द्वारा जो अनुसूचित जाति या जनजाति का न हो, अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति घटना के समय प्रताड़ित किया गया हो और जिसपर शारीरिक या मानसिक शोषण व अत्याचार हुआ हो तो वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा 10 (स्त्री व पुरुष) व 11 (महिला) के अंतर्गत पुलिस में अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिये पुलिस केस दर्ज करा सकते हैं।

अपराध होते ही जल्द से जल्द इस बात की सूचना पुलिस को देनी चाहिये। निर्भया रेप केस के बाद आई जस्टिस वर्मा कमिटी की सिफारिश पर 'ज़ीरो FIR' का तरीका बनाया गया

है जिसके अनुसार, यदि आपको क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं पता कि कौन से थाने में रिपोर्ट करनी चाहिये तो भी किसी भी थाने में शिकायत कर (जिसे पुलिस ज़ीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करेगी) गंभीर अपराध की सूचना दे सकते हैं और पुलिस थाना स्वतः ही उस शिकायत को सही थाने में स्थानांत्रित कर अनुसंधान बाबत सूचना देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कीर्ती वशिष्ट बनाम राज्य मुकदमे में 2019 में निर्णय दिया कि अपराध की सूचना किसी थाने मे दी जाती है और अपराध किसी और थाने के क्षेत्राधिकार में होता है तो भी उस थाने को ज़ीरो एफआईआर दर्ज कर सूचना व शिकायत अधिकृत थाने में स्थानांत्रित करनी होगी।

भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान व अन्य अधिनियमों की उपरोक्त धाराओं को विस्तार से समझने के बाद आपके मन में ज़रूर यह विश्वास कायम हुआ होगा कि आप पूरी तरह से निरीह और निरूपाय नहीं हैं। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि यदि कोई आप पर धार्मिक स्थान में या आपकी धार्मिक आस्था के कारण अत्याचार करे तो किस प्रकार के समाधान भारतीय कानून में उपलब्ध हैं। साथ ही आपको यह भी पता चला होगा कि आप भी कितनी ही बार अनजाने में ऐसे काम कर जाते होंगे जो किसी जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर ठेस पहुँचाने वाली होती हैं – और अब आप उन बातों में सावधानी बरतेंगे।

याद रखें, कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं और इसलिये यदि आप गलत नहीं है तो कानून आपको सुरक्षा देगा। साथ ही, यदि आप गलती करेंगे तो कानून उनका साथ देगा जो आपके शब्दों या कार्यकलापों के द्वारा प्रताड़ित किये गये हैं।

कुछ धारायें स्पष्ट रूप से मसीही लोगों के पक्ष में प्रतीत होती हैं क्योंकि मसीही लोग वो काम कभी नहीं करते हैं बल्कि उनके विरोधी ही ऐसे कामों में लिप्त होते हैं – जैसे, धार्मिक स्थान में तोड़-फोड़ करना, संगति में व्यवधान डालना, प्रचारक को रोकना आदि। कुछ धारायें दोनों पर लागू होती हैं जहाँ किसी के ईष्ट के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाई जाये – चाहे वो हमारे प्रभु यीशु के विरोध में गलत बातें हो या कोई मसीही व्यक्ति किन्ही देवी-देवताओं के विरोध में बोले।

साथ ही कुछ धारायें मसीही लोगों के विरोध में भी काम कर जाती हैं क्योंकि मसीही लोग अपनी भावना में बहकर बाइबल के अतिरिक्त ऐसी बातें भी बोल जाते हैं या सुसमाचार प्रचार के अपने प्रयास में ईश्वरीय चमत्कार के अनावश्यक वायदे कर जाते हैं या नये लोगों को प्रचलित मसीहीयत के साँचे में बिठाने के चक्कर में ज़ोर-ज़बरदस्ती जैसा कर बैठते हैं। ऐसे वचनों और कामों पर लगाम लगायें और यीशु मसीह के प्रेम, नम्रता, संयम, क्षमा, समानता तथा भाईचारे की भावना को अपने जीवन से दिखायें ताकि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारी आस्था और कर्मों में परिलक्षित हो और हम शांति तथा भक्ति के साथ अपने देश में जीवन-यापन करते हुए अपने प्रभु के आगमन का इंतज़ार आनंद के साथ कर सकें।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

9

कलीसिया के लिये महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातें

DO NOT COPY - PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

यह बात सच है कि हम मसीही लोग हैं और शायद ही हम कभी अपनी मर्ज़ी से किसी पर कानूनी मुकदमा करने के लिये अदालत की शरण में जायें। फिर भी, हमें अपने देश के संविधान तथा कानून की जानकारी होनी चाहिए। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपके अन्दर से सब प्रकार का कानून का डर निकल जाये और यदि कोई आप पर झूठा आरोप लगाये या शिकायत करे तो आप उसका ठीक जवाब दे सकें।

यह बात सच है कि एक बार यदि मामला कोर्ट में चला जाता है तो कानून का ज्ञान होने या न होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर कचहरी की पूरी प्रक्रिया में से होकर गुजरना ही पड़ता है और एक वकील की आवश्यकता पड़ती है। परंतु सभी मामले कोर्ट तक नहीं पहुँचते बल्कि पुलिस और कानून की सहायता से विरोधी लोग सिर्फ परेशान करने की कोशिश करते है। ऐसे में कानून की जानकारी होने से डर को स्थान नहीं मिलता और परिस्थिति को आप बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं।

भारतीय संविधान आपके विरोध में नहीं आपके पक्ष में है – यह जानकारी ही अपने आप में काफी तसल्ली देती है। भारत के कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं तथा किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का व्यक्ति ऊँचा नहीं है सबके साथ में बराबरी का व्यवहार है।

यदि आप कानूनी रूप से गलत काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी शांतिपूर्वक तरीके से संगति या सेवाकार्य करने से नहीं रोक सकता क्योंकि यह आपका वैधानिक अधिकार है। आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते है।

हाँ, यह बात सच है कि प्रभु यीशु ने हमें बता दिया था कि क्लेश और सताव का सामना करना पड़ेगा और उसे आनंद की बात समझना है – ऐसे मौके हमारे जीवन में आ सकते हैं और आयेंगे जब अकारण भीड़ हमारा विरोध करे और कानून की जानकारी के बावजूद हमें ऐसी घटना का सामना करना पड़े।

याद रखें, 1948 में बने सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं जिसके अनुच्छेद 18 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान भारत के हरेक नागरिक को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है।

धार्मिक स्वतंत्रता के विधेयक अनेक राज्यों में पारित किये गये हैं परंतु जब तक आप बल-प्रयोग से, लालच से या धोखाधड़ी करके किसी का धर्म बदलने का अपराध नहीं करते, यह कानून आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते।

हालांकि इन्हीं कानूनों का दुरूपयोग भीड़ और कट्टरपंथी संस्थायें मसीही सेवकों को परेशान करने के लिये करते हैं। फिर भी जब आप कोई गैरकानूनी काम करते ही नहीं हैं तो उन्हें आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। इसलिये आपको दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। इन कानूनों के बनने के बाद से अब तक महज इनके अंतर्गत किसी भी सेवक को अब तक सज़ा नहीं हुई है। परेशान करने व सेवकों को हतोत्साहित करने के लिये ही इन कानूनों का उपयोग होता रहा है। इनके साथ किन्हीं दूसरे अपराधों में लिप्त होने या समय पर संस्था के कागजातों को पूरा ना करने या धन का गलत संग्रहण करने या दुरुपयोग करने पर दूसरे कानूनों के तहत किन्हीं पास्टर व सेवकों को सज़ा हुई हो तो वह इस पुस्तक के दायरे से बाहर का विषय है।

संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त कुछ और व्यवहारिक बातें हैं जिनको एक मसीही सेवक को सीख लेना चाहिये ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके।

1. **आपका अधिकार आपकी नाक तक ही है और सामने वाले की नाक से उसका अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है।** आपका अधिकार सिर्फ आप तक सीमित है। जैसे ही आप किसी हाव-भाव, शब्दों अथवा कार्यकलाप के द्वारा किसी और के अधिकार का हनन करते हैं तो आप कानूनी रूप से दोषी हो जाते हैं। इसलिये इस बात का ध्यान रखें कि अपने प्रचार के दौरान आप किसी भी धर्म, आस्था, मूर्ति आदि के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्रभु यीशु के समय में भी मूर्तिपूजक होते थे परंतु यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म या आस्था की बुराई नहीं की। प्रभु ने सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की महिमा की, पाप-पश्चाताप-क्षमा-आज्ञाकारिता-पवित्रता व स्वर्ग-राज्य का प्रचार किया।

प्रभु यीशु ने धर्म-परिवर्तन की कभी कोई बात नहीं की बल्कि मनुष्य जाति से प्रेम किया। प्रभु यीशु व उनके प्रेरित, जीवन जीने व प्रचार कार्य में हमारा उदाहरण हैं।

2. **कनवर्जन या कनवर्ट आदि शब्दों के उपयोग से बचें।** बहुत बार देखा जाता है कि मसीही सेवकों की सभा में हिंदू-कनवर्ट, कनवर्ट आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। यदि स्वयं आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो इन्हीं लफ़्ज़ों पर आधारित कोई आरोप आप पर लगाता है तो आप उसकी सफाई कैसे देंगे? पंजाब राव बनाम डी पी मेशराम केस में 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्म और धर्म परिवर्तन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है परंतु यदि कोई अपने मुँह से अंगीकार करे कि उसने अपने पुराने धर्म को (किन्हीं भी कारणों से) छोड़ दिया है और नये धर्म को अपना लिया है क्योंकि उसकी शिक्षा बेहतर है, तो बिना किसी विधिवत कार्यवाही के, सिर्फ उसकी मौखिक अंगीकार के कारण भी यह मान लिया जायेगा कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसलिये कलीसिया में आ रहे विश्वासियों को भी सिखायें कि गवाही आदि के दौरान इस बात को न बोलें कि वे पहले हिंदू थे और अब अपने धर्म का त्याग कर वे मसीही या ईसाई बन गये हैं। प्रभु यीशु ने किसी धर्म के त्याग व नये धर्म को ग्रहण करने की बात नहीं सिखाई है (और न कनवर्ट करने की) बल्कि पाप-क्षमा तथा उद्धार की बात सिखाई है जो यहूदी, यूनानी और अन्यजाति के लिये है। इसलिये जो जिस धर्म का है उसमें बने रहते हुए अपने आचरण, अंगीकार व जीवन में मसीही शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। धर्म-परिवर्तन की पुष्टि करने वाले सभी कामों से बचना चाहिये और ऐसी ही शिक्षा कलीसिया को देनी चाहिये।

3. **कलीसिया को सही तरीके से शिक्षित करें।** प्रत्येक इतवार की संगति में कलीसिया को सिखाने का अधिकार व उत्तरदायित्व कलीसिया के पासबान के पास होता है। इस बात को अच्छे से कलीसिया में स्पष्ट करें कि किसी भी प्रकार का लालच या ज़ोर-ज़बरदस्ती उन पर नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करके आपने उससे रिश्ता बनाया है इसलिये आपको परमेश्वर के पीछे चलना है और शिक्षाओं को मानना है। साथ ही बाइबल की सही व पूरी शिक्षा दें ताकि शैतान और कोई विरोधी उन्हें बरगलाने न पायें। शैतान ने परमेश्वर के वचन का उपयोग तोड़-मरोड़कर कर यीशु की परीक्षा करने के लिये किया और कहा "लिखा है" परंतु प्रभु यीशु ने कहा, "यह भी लिखा है"। परमेश्वर के संपूर्ण वचन का ज्ञान कलीसिया को दे देने के बाद धोखा देने का दोष आप पर साबित नहीं हो सकता है।

PERMISSION

4. **अन्य पृष्ठभूमि के विश्वासियों को जानकारी दें।** ईसाई धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले विश्वासियों को यह ज़रूर सिखायें कि अज्ञानतावश अनेक लोग सताव व विरोध करते हैं और कई बार झूठी शिकायत कर देते हैं जिसके कारण पुलिस पूछताछ करती है। ऐसे में अपनी इच्छा से प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण उन विश्वासियों को दृढ़तापूर्वक इस बात को कहना चाहिये कि 'मैंने (अथवा हमने जब ज्यादा लोग हों) धर्म परिवर्तन नहीं किया है बल्कि मैं अपनी इच्छा से बाइबल की शिक्षाओं को मानता/मानती हूँ और स्वेच्छा से कलीसिया आता/आती हूँ। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है और ना ही मुझे कोई लालच या धोखा दिया गया है। मैं सब कुछ जानकर अपनी मर्जी से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता/मानती हूँ। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते यह मेरा अधिकार है"। धर्म-परिवर्तन तब तक साबित नहीं होता है जब तक कि जिसका धर्म-परिवर्तन हुआ हो, वह स्वयं दोष न लगाये। बाहरी व्यक्ति की शिकायत पर प्रशासन एक बार हरकत में आ सकता है परंतु कलीसिया में उपस्थित लोगों की गवाही से वह बात वहीं के वहीं रफा-दफा हो जाती है।
5. **अपने अधिकारों को जानें व सावधान रहें।** अपने संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की जानकारी रखें और जरूरत पड़ने पर सबूत के रूप में पेश करने के लिये, अपने भवन के प्रवेश द्वार आदि पर CCTV द्वारा आप निगरानी रख सकते हैं। गाँव में कार्य करने वाले छोटी संगतियों में मोबाइल द्वारा ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है ताकि यदि आपको परेशान करने के लिये भीड़ आदि आये तो आप कुछ सबूत अपने पास रख सकें जो कि एक साक्ष्य के रूप में गवाही के साथ घटना की जानकारी को पुख्ता करने के लिये इस्तेमाल किये जा सकें। प्रभु यीशु ने हमें अपनी सुरक्षा करने से कहीं भी मना नहीं किया है। कभी कभी सजग न रह कर हम अनायास ही अपने ऊपर दुखों का पहाड़ और सताव को ले लेते हैं, इसमें कोई समझदारी नहीं है। परमेश्वर ने हमें सर्प के समान चतुर व कबूतर की तरह भोले बनने के लिये कहा है।
6. **अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें।** प्रभु यीशु ने बाइबल में हमें सिखाया है कि परमेश्वर से व अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यीशु मसीह ने हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाया है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसलिये जब कई लोग आपके पक्ष या विपक्ष में कोई गवाही देते हैं तो सरकार व कानून उसका संज्ञान लेते हैं। कोई भी अपराध होने की शिकायत होने पर अनुसंधान अधिकारी (इंस्पेकटर) मौका

मुआयना करता है व आस-पास के लोगों से पूछताछ करता है, ऐसे में यदि हमारे पड़ोसी हमारे बारे में अच्छा बोलें तो यह आपके पक्ष में काम करता है।

7. **अपने सभी कागजात ठीक रखें।** ज्यादातर समस्या छोटी बात से शुरू होती है परंतु जब यह कानून की जटिल प्रकिया में जाती है तो जीवन के अनेक क्षेत्र को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिये इस बात पर ध्यान दीजिये कि ताज होटल व रेल्वे स्टेशन पर गोलियाँ चलाने वाले आतंकवादी अजमल कसाब पर जहाँ हत्या आदि संगीन अपराधों के आरोप भी लगे, कानून ने इस बात का आरोप भी उस पर लगाया कि वह बिना प्लेटफॉर्म टिकट रेल्वे स्टेशन पर था। ठीक इसी तरह, एक बात से शुरू होने के बाद जब कानून आपकी संस्था के छोटे छोटे कागजातों को देखना शुरू करता है तो अनियमिततायें पाये जाने पर आपकी जिन्दगी को उलझा देता है। इसलिये अच्छा है कि आप समय पर कर चुकायें, बिल अदा करें, कागजात ऑडिट करायें, रिटर्न फाइल करें, हलफनामें बना कर रखें और पैसे के लेन-देन की सभी जानकारी सही रखें। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम छोटे में विश्वासयोग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ा काम देता है। अपने देश के कानून का पालन करना हमारी मसीही गवाही का भाग है जिसको प्रत्येक विश्वासी, सेवक व कलीसिया एवं मसीही संस्थाओं को पालन करना ही चाहिये।

8. **निरंतर प्रार्थना करें ताकि परीक्षा में न पड़ें।** यदि हम निरंतर इस विषय में प्रार्थना करें तो निश्चय ही चिंतामुक्त रह सकते हैं कि प्रभु हर समय हर बात को संभालेंगे - लूका 22:40। मत्ती 10:29 में प्रभु ने कहा कि हमारा पिता तो संसार के पक्षियों की भी सुधि लेता है, उसकी नज़र में हम बहुत कीमती हैं – हमारी सुरक्षा परमेश्वर करेगा। कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी जब चहुँ ओर मसीहियों पर कहर ढा रहे हों, तब चुप बैठना और प्रार्थना न करना हमारे हक में नहीं है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया के साथ व अपने शहर के पासबानों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना की सहायता से दुर्घटना से बचा जा सकता है और फिर यदि सताव की परीक्षा घड़ी आ ही जाये तो प्रार्थना आपको शक्ति देगी।

9. **परमेश्वर के लिये जान देने के लिये तैयार रहें।** प्रेरितों के काम 21:13 में हम देखते हैं कि पौलुस यरुशलेम को जाने के लिये तैयार हुआ तो उसे बहुतों ने रोकने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पौलुस की जान को खतरा था। परंतु डर का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया। पौलुस ने उन से कहा कि वह प्रभु के लिये न सिर्फ बाँधे जाने के लिये बल्कि जान देने के लिये भी तैयार था। सताव कलीसिया के इतिहास का भाग रहा है और इसे अपने विश्वासी जीवन के साथ ग्रहण करना चाहिये। मुझे याद है कि हमारे गाँव में जब ऐसा

PERMISSION

सताव आया तो हमारी संगति और भी मज़बूत हुई और सब एक-दूसरे व प्रभु के नज़दीक आई। हम डर नहीं सकते, हम डरते भी नहीं है। यह हमारा एकाधिकार और सौभाग्य है कि हम प्रभु के लिये बांधे जायें, जेल में डाल दिये जायें या प्रभु के लिये मार डाले जायें तो भी आनंदित रहें।

10. **कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था या कानूनी सलाहकार के संपर्क में रहें।** बाइबल कहती है कि हो सके तो अपने विरोधी से मार्ग में ही मेल-मिलाप कर लें और अदालत तक न जायें। व्यवहारिक तौर पर भी सलाह यही है कि जहाँ तक हो सके कानूनी पचड़े में पड़ने से बचना अच्छा है क्योंकि भारत में न्याय मिलने में लगने वाला समय बहुत लंबा होता है। कभी कभी व्यक्ति चला जाता है परंतु केस चलता रहता है। हमें कानून के दायरे में रहते हुए कार्य करना चाहिये और एक विधिसम्मत जीवन जीने की गवाही बनाये रखना चाहिये। लेकिन फिर भी कभी ऐसा समय आ सकता है कि सेवा-कार्य के चलते हमें ऐसे किसी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ जाये। ऐसे में कानूनी संस्था या एक कानूनी सलाहकार जो कि इस विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं उनका साथ मसीही सेवक के लिये बड़ी मदद और आशीष का कारण बन सकता है।

कानून की जानकारी होना अलग बात है और उसका सही इस्तेमाल कर पाना अलग बात है। कानून का पालन करने वाले सभ्य नागरिक ज्यादातर कानून के पचड़े में पड़ने से बचते हैं और आप कोई अपवाद नहीं हैं। परंतु अकारण ही विरोधियों द्वारा आपके ऊपर लाये गये सताव व कानूनी केस से बचे रहना आपके हाथ में नहीं है। कानून की जानकारी होने से ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना आसान होता है। पिछले अध्यायों में बताई गई धाराओं को समझने से आपको अपनी शिकायत सही तरीके से दर्ज कराने में मदद मिलेगी। पुस्तक के अंत में परिशिष्ट में आप शिकायत दर्ज कराने के नमूना देख सकते हैं।

जब आपके खिलाफ शिकायत दर्ज़ होती है तो आप एक जवाबदेह स्थिति में होते हैं परंतु जब आप शिकायत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जवाबदेह बनता है, साथ ही अन्याय का रिकॉर्ड भी बनता है। इसलिये क्षमा और सहनशीलता तब तक ठीक है जब तक कि सिर्फ बातों के द्वारा ही आपका विरोध किया जाये – उसे सहकर आप प्रभु में आनंदित रहें और निडर होकर अपनी अंतःकरण की आस्था के अनुसार परमेश्वर के वचन का पालन करें, सेवा करें और शांतिपूर्वक तरीके से संगति को चलाते रहें। परंतु यदि आप को दैहिक चोट पहुँचाई जाये, या आपके भवन मे तोड़-फोड़ कि जाये, या कलीसिया के विश्वासियों को धमकाया जाये व मारपीट की जाये, या चलती हुई संगति को रोककर आपकी धार्मिक आस्था का अपमान

किया जाये और लोकशांति भंग की जाये तो उसकी शिकायत करना ज़रूरी है ताकि आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और मानवाधिकार संगठनों के लिये भी डाटा तैयार हो सके।

सामान्यतया लोग मसीही विश्वासियों से प्रतिकार की उम्मीद नहीं रखते हैं परंतु यदि आप शिकायत करते हैं तो विरोध व सताव करने वाले लोग जवाबदेह ठहराये जाते हैं और काफी हद तक आगे के लिये नियंत्रण में आ जाते हैं। कई बार काउंटर-एफआईआर करने पर दूसरा पक्ष आपसे समझौता करने की कोशिश करता है ताकि आप अपनी शिकायत वापस ले लें – ऐसे में अपनी शर्तों को रखकर आप उनसे राजीनामा कर सकते हैं और शांति को बहाल करवा सकते हैं। यदि वो समझौता का प्रयास न करें तो आपकी शिकायत के कारण अदालत उन्हें पाबंद करेगी।

लोकशांति को बनाये रखने में आपका योगदान वांछित है इसलिये एक देशभक्त होने के नाते आपको कोई भी आपराधिक घटना (जो आप की जानकारी में है) की शिकायत पुलिस में, मानवाधिकार आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में और ऐसी सभी कानून-व्यवस्था व लोकशांति को बनाये रखने के लिये जिम्मेदार सरकारी संस्थाओं में ज़रूर करना चाहिये।

मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक में दी गयी जानकारी भारतीय कानून में आपके विश्वास को बढ़ाने व सेवाकार्य को हियाव से करने में सहायक साबित हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

NT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

निष्कर्ष

प्रिय पाठक, भारतीय संविधान तथा कानून धर्म व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भारत में कानून का शासन है जिसका अर्थ है कि कोई भी अधिकारी, मंत्री, सांसद या किसी भी उच्च पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है तथा कानून की नज़र में सभी जाति, धर्म, रंग, भाषा व आर्थिक दशा के लोग बराबर हैं।

भारतीय संविधान हरेक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। इस प्रकार से आप एक मसीही विश्वासी या सेवक के रूप में इस बात को याद रखें कि आपसे आपके धर्म या विश्वास के कारण कोई आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी भारतीय नागरिकों के सम्मान, अधिकार व समानता की रक्षा करता है। संविधान हमें अपनी इच्छा से किसी भी धर्म व पंथ को मानने व उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार देता है। आपके शांतिपूर्वक तरीके से संगति करने के अधिकार को कोई भी बाधित नहीं कर सकता है और ऐसा करने या आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाले को कानूनी रूप से सजा का प्रावधान है।

साथ ही यह भी याद रखें कि आप भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचायें और किसी भी धर्म, पंथ, गुरू या देवी-देवताओं के बारे में अपमानसूचक शब्दों का इस्तेमाल न करें। जितना आपका अपनी आस्था को मानने व उसका प्रचार करने का अधिकार है उतना ही सामने वाले को भी है और उसके अधिकार का हनन करने का अधिकार आपको भी नहीं है।

परमेश्वर पर विश्वास रखें व याद रखें कि भारतीय संविधान और कानून आपके पक्ष में हैं। किसी भी प्रकार से हीन भावना से या डर से ग्रसित न हों बल्कि बड़ी निडरता व आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रचार करते समय आपको उसकी तुलना किसी भी धर्म या अन्य धर्मों के देवी-देवताओं से करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को तुच्छ बताकर अपनी बात को बड़ा बनाना नकारात्मक तरीका है और यह तरीका परमेश्वर से अभिशिक्त नहीं हो सकता। जीवित परमेश्वर की महिमा को इतना बढ़ायें कि अन्य सभी उस परमसत्य सामने स्वतः ही छोटे जान पड़ें।

आइये प्रार्थना करें -

प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिये आपको धन्यवाद करते हैं। इस पुस्तक से मिली जानकारी के लिये भी आपको धन्यवाद करते हैं। इस जानकारी को बुद्धिमत्ता के साथ अपनी सुरक्षा के लिये व आपके राज्य की बढ़ौतरी की सेवा के लिये इस्तेमाल करने में हमारी सहायता करिये। अपने देश के लिये, संविधान के लिये व भारतीय कानून के लिये आपका धन्यवाद करते हैं। कानून का पालन करने में हमारी सहायता करिये और कोई भी गैर-कानूनी काम करने की परीक्षा से हमें बचाइये। हमारी सुरक्षा आप में है और हमारे देश में आज़ादी के साथ रहने के लिये या कानून भी आपका दिया हुआ है, इसलिये धन्यवाद करते हैं। हमारे देश की सरकार को हमारे पक्ष में काम करने में सहायता करिये और आपके प्रेम का सुसमाचार हर जाति और धर्म के लोगों में फैलाने में हमारी मदद करिये। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन

परिशिष्ट

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

NT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

प्रश्न तथा भ्रांतियाँ

मैं यहां कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब देना चाहता हूँ जो कि उस समय दिमाग में आते हैं जब हमें प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान सताव आता है या हम कानूनी समस्या में फँसते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो सेवकाई की जिम्मेदारियों को निभाने में कानूनी मार्गदर्शन का काम करते हैं ताकि हम कुछ भी ऐसा न करें जो देश के संविधान व कानून की नज़र में गैरकानूनी हों।

परमेश्वर द्वारा मुझे व्यक्तिगत तौर पर सिखाई गई बाइबल की सच्चाइयों, अपनी कानून की पढ़ाई और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ।

इससे पहले कि आप आगे पढ़ना शुरू करें, एक और बात को समझना ज़रूरी है कि आगे लिखे उत्तर सामान्य ज्ञान की तरह ही इस्तेमाल किये जाने चाहिए। मेरे उत्तर किसी भी सूरत में विधिक राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये। यदि आप किसी कानूनी समस्या में पड़ते हैं तो आपको एक पेशेवर वकील की सहायता तुरंत लेनी चाहिये। पवित्र आत्मा की अगुवाई से एकत्रित किये गये ज्ञान के सारांश को, जो परिस्थितियों को समझने में और उसमें सही निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा, मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। हरेक परिस्थिति में ठीक निर्णय लेने के लिए आपको भी परमेश्वर के वचन – बाइबल, अपने विवेक, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की नेतृत्व का ही सहारा लेना होगा। साथ ही परिस्थिति के अनुसार विधिक सहायता की ज़रूरत पड़ने पर उस सहायता को भी उपयोग में लेना होगा।

विश्वासी: मेरा जन्म गैर-मसीही परिवार में हुआ है। मैंने धर्म-परिवर्तन नहीं किया है परंतु मेरी संपूर्ण आस्था प्रभु यीशु मसीह में है। मैं मसीही तरीके से किस तरह से विवाह कर सकता हूँ।
पासबान: मेरी कलीसिया में हिंदू परिवार से संबंध रखने वाले विश्वासी हैं। उनके बीच शादी-विवाह कराने का कानूनी तरीका कौन सा है?

इस सवाल का जवाब देने के लिये हमें कुछ विशेष परस्थितियों पर ध्यान करना होगा – जैसे यदि दोनों या कम से कम एक व्यक्ति मसीही धर्म से हो, जब दोनों ही मसीही धर्म से न हों।

DO NOT COPY, EDIT OR SHARE WITHOUT PERMISSION

जब दोनों या कम से कम एक जन मसीही हों

1872 का भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम भारतीय ईसाइयों के कानूनी विवाह को विनियमित करने के लिये भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह *18* जुलाई, *1872* को लागू किया गया था, और कोचीन, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। अधिनियम के अनुसार, एक विवाह वैध है यदि कम से कम एक पक्ष कानूनी रूप से ईसाई है। भारत के किसी भी चर्च का एक ठहराया हुआ अधिकारी, एक विवाह रजिस्ट्रार या एक विशेष लाइसेंसधारक, नियम के तहत एक जोड़े की शादी करा सकता है। शादी करने वाला शादी का प्रमाणपत्र जारी करता है। यह प्रमाण पत्र विवाह के रजिस्ट्रार (जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है) के साथ दर्ज किया जाता है। जैसा कि अन्य भारतीय विवाह में सामान्य है, दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु *21* वर्ष और दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु *18* वर्ष है। ईसाई विवाह अधिनियम *1872* इस विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

नियम के अनुसार, ईसाई शादी की रस्म सुबह *6* बजे से शाम *7* बजे के बीच होनी चाहिए। विशेष अनुमति के अंतर्गत विवाह चर्च से बाहर भी सम्पन्न किया जा सकता है परंतु सामान्यतया मसीही विवाह एक चर्च में हो सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ पाँच मील के भीतर कोई चर्च नहीं है, एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थान चुना जा सकता है।

विवाह के बाबत सूचना देना आवश्यक है। रजिस्ट्रार के पास या चर्च के नोटिस-बोर्ड पर इस बाबत लिखित नोटिस लगाना चाहिये। अनेक चर्च अपने रविवारीय संगति में इस विषय में गुहार भी लगाते हैं कि अमुक पक्ष में विवाह तय हुआ है और यदि किसी को इस विवाह के विरोध में कुछ कहना हो तो इस एक महीने के दौरान बोलें अन्यथा हमेशा के लिये शांत रहें।

जब दोनों परिवार गैर-मसीही हों

जब दोनों ही परिवार गैर-मसीही हों अर्थात कानूनी रूप से ईसाई न हों, तब शादी ईसाई विवाह अधिनियम के अनुसार नहीं हो सकती है और यदि कोई ऐसा करता है तो कोर्ट ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकती है।

साथ ही साथ, यदि आप विश्वासी हैं और आग के फेरे लेकर हिंदू रितिरिवाज से देवी-देवताओं का आव्हान करके शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आप मसीही विश्वासी हैं और सच्चे-जीवित परमेश्वर के समक्ष प्रार्थनापूर्वक शादी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिये २ चरणों में शादी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

पहले शादी की अर्जी मैरिज रजिस्ट्रार के पास देकर कानूनी रूप से शादी को रजिस्टर करें। इससे आप हरेक प्रकार की विरोधियों की चाल व परेशान करने वालों से बच सकते हैं और साथ ही साथ आपका विवाह कानूनी रूप से मान्य होगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जायेगा जिसे आप देश और विदेश में अपनी शादी के सबूत के रूप में पेश भी कर सकेंगे। विदेशों में अनेक जगहों पर शादी-शुदा होने के सबूत मांगे जाते हैं और यदि आप कभी विदेश-प्रवास करना चाहते हैं तो यह कागज अनिवार्य है।

यह पहला कदम पूरा कर लेने के बाद आप सामाजिक तरीके से अपनी पसंद के रीतिरिवाजों को पूरा करते हुए विवाह की विधि को पूरा करें। इसमें आपके पास आज़ादी होगी कि आप कौन सी सांस्कृतिक व पारिवारिक रीतियों को पूरा करना चाहते हैं। बारात आदि सामाजिक रीति का आनंद लेकर बड़ी खुशी से आप अपनी शादी के काम को करें। आग के फेरे लेने के बजाय मसीही अगुवे की अगुवाई में प्रार्थनापूर्वक विवाह की विधी को संपन्न कर सकते हैं। हिंदू विवाह जहाँ सप्तपदी को अनिवार्य मानता है, अब आपको वो काम करने की बाध्यता नहीं रहेगी क्योंकि कानूनी रूप से आपने मैरिज-रजिस्ट्रार से पहले ही सर्टिफिकेट ले लिया है।

भारत में ज़्यादातर शादियां अलग-अलग धर्मों के क़ानून और 'पर्सनल लॉ' के तहत होती हैं। इसके लिए लड़का और लड़की दोनों का उसी धर्म का होना ज़रूरी है। परंतु दो जन यदि बिना धार्मिक रीति को पूरा किये विवाह में बंधना चाहते हों और उनके धर्म की रूढ़ीवादिता इसमें बाधक न बने, इसलिए संसद ने 1954 में 'स्पेशल मैरिज एक्ट' अर्थात विशेष विवाह अधिनियम पारित किया था जिसके तहत किसी भी धर्म के लड़का और लड़की बिना धर्म बदले क़ानूनन शादी कर सकते हैं। ये क़ानून हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मैरिज एक्ट) और ईसाई विवाह अधिनियम (क्रिश्चन मैरिज एक्ट) के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है।

धार्मिक रीतियों का पालन न करना पड़े इसलिये एक ही धर्म के दो जन भी विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत साधारण कोर्ट मैरिज में दूल्हा और दुल्हन अपने फोटो, पते का सबूत (एड्रेस प्रूफ़), पहचान-पत्र (आईडी प्रूफ़) और गवाह को साथ ले जाएं तो 'मैरिज सर्टिफ़िकेट' उसी दिन मिल जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वर व वधु की उम्र 21 और 18 होनी चाहिये तथा दोनों ही मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिये। इस एक्ट के अंतर्गत कोई धर्मगुरू शामिल नहीं होते हैं बल्कि 3 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पास्टर यदि चाहें तो एक गवाह के रूप में ज़रूर शामिल हो सकते हैं।

'स्पेशल मैरिज एक्ट' में व्रक्त लगता है. इसके तहत की जा रही 'कोर्ट मैरिज' में ज़िले के 'मैरिज अफ़सर' यानी इलाके के एसडीएम को ये सारे दस्तावेज़ जमा किए जाते हैं, जिसके

बाद वो एक नोटिस तैयार करते हैं। इस नोटिस में साफ़-साफ़ लिखा होता है कि फ़लां मर्द, फ़लां औरत से शादी करना चाहते हैं और किसी को इसमें आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर 'मैरिज अफ़सर' को सूचित करें।

इस नोटिस का मक़सद ये है कि शादी करने वाला मर्द या औरत कोई झूठ या फ़रेब के बल पर शादी ना कर पाए और ऐसा कुछ हो तो एक महीने में सामने आ जाए। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नोटिस 30 दिन तक कोर्ट के परिसर में लगा रहता है. 'स्पेशल मैरिज एक्ट' के तहत शादी तभी मुकम्मल मानी जाती है जब 30 दिन के बीच कोई व्यक्ति किसी तरह की शिकायत ना करे।

यदि दोनों पक्ष हिंदू हों तो वे प्रतिबंधित रिश्ते (भाई-बहन, बुआ, मौसी आदि) व सपिंड संबंध (पिता की पाँच पीढ़ी और माँ की तीन पीढ़ी) में नहीं होने चाहिये। अपनी अर्जी के साथ उम्र का हलफनामा देना होता है ताकि आप कानूनी उम्र होने पर ही विवाह करें। नोटिस पीरियड के पश्चात एडीएम के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना होता है। गवाहों के सामने मैरिज रजिस्ट्रार उनसे शपथ दिलवाते हैं और फिर शादी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तत्पश्चात आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कितना भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिये स्वतंत्र हैं।

यदि आप गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और शादी का खर्च नहीं करना चाहते तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही शादी-शुदा रूप से रह सकते हैं। यदि आप चाहें तो छोटा सा कार्यक्रम करके माला पहिना कर समाज के सामने विवाह विधी को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल, कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कानूनी रूप से विवाहित ही कहलायेंगे और आपके विवाहित जीवन जीने के सारे अधिकार हासिल हो जायेंगे।

विशेष विवाह अधिनियम की एक समस्या है कि धारा 19,20 व 21 के अनुसार यदि एक हिंदू (हिंदू, बौद्ध, सिख व जैन) का किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है जो हिंदू (हिंदू, बौद्ध, सिख व जैन) नहीं है तो इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वाले व्यक्ति अविभक्त हिंदू परिवार (कुटुम्ब) से पृथक मान लिया जाता है।

भारतीय मसीही लोगों में विवाह-विच्छेद का कानूनी तरीका क्या है?

सर्वप्रथम तो बाइबल की शिक्षा तलाक के पक्ष में नहीं है। मत्ती 19:6 के अनुसार पति व पत्नी एक तन हैं तथा जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग न करे। एक अच्छे विश्वासी से अपेक्षित है कि एक दूसरे कि सह ले, पति-पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें। इस शिक्षा के बावजूद

बहुधा मसीही पति-पत्नी में भी विवाद इस हद तक पहुँच जाता है कि संबंध-विच्छेद की नौबत आ जाती है।

संगठित धर्म के अंतर्गत हरेक धर्म के लोगों की परंपरा के अनुसार विवाह तथा विवाह-विच्छेद होते आये हैं। भारत में हरेक धर्म के लिये पर्सनल लॉ बनाये गये हैं जिनके अनुसार सामाजिक मामले सुलझाये जाते हैं। विवाह तथा तलाक के लिये कानून बनाये गये हैं।

हिंदू परिवार से मसीही विश्वास में आस्था रखने वाले सभी विश्वासी कानूनी रूप से तब तक हिंदू ही रहते हैं जब तक कि कानूनी प्रकिया के द्वारा वे अपना पूर्व धर्म छोड़कर नया धर्म नहीं अपना लेते – ऐसे में उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है।

हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों में तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत होता है जिसके लिये जिले के पारिवारिक न्यायालय में अर्जी पेश करनी होती है। हिंदू पत्नि व हिंदू पति दोनों को ही विवाह विच्छेद के लिये क्रूरता, व्यभिचार अथवा अभित्यकता (अर्थात 2 साल तक एक दूसरे से अलग रहने) के कारण तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

दोनों पक्ष आपसी सहमति से भी तलाक की अर्जी दे सकते हैं जबकि वे एक साल से अलग रह रहे हों और हर प्रकार का समझाइश से यह स्पष्ट हो गया हो कि दोनों का वैवाहिक संबंध में रहना असंभव हो गया है।

ऐसे ही मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले विश्वासी जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और गुप्त रूप से ही विश्वास करते हैं, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के द्वारा तलाक ले सकते हैं तथा पारसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले विश्वासी पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 द्वारा तलाक ले सकते हैं।

ईसाई परिवार से ताल्लुक रखने वाले सभी मसीही दंपत्ति भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के अंतर्गत अर्जी के द्वारा आपस में तलाक ले सकते हैं।

2017 में आये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किसी धार्मिक समुदाय का पर्सनल लॉ संसद द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता, इस फैसले को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चर्च द्वारा दिए जाने वाले तलाक के आदेश की कोई वैधता नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि ईसाई दंपती का कानूनी रूप से तलाक तभी मान्य होगा जब वह भारतीय कानून के तहत लिया गया हो। कोर्ट ने कहा कि डिवॉर्स एक्ट के बाद क्रिस्चन पर्सनल लॉ के तहत तलाक नहीं हो सकता बल्कि डिवॉर्स एक्ट प्रभावी होगा।

दी डाइवोर्स एक्ट 1869 (भारतीय तलाक अधिनियम) के अंतर्गत निम्न कारणों से ईसाई दंपत्ति तलाक के लिये पारिवारिक न्यायलय में अर्जी दे सकते हैं –

- व्यभिचार
- धर्म-परिवर्तन के द्वारा ईसाई धर्म छोड़ने पर
- 2 वर्ष से अधिक से असाध्य अथवा छूत की बीमारी होने पर
- सात वर्ष से अज्ञात (खो जाने) की दशा में
- स्वेच्छा से पारिवारिक (शारीरिक) संबंध से दूर रखने पर
- 2 साल से अधिक समय से अभित्यक्त रखने पर
- क्रूरता करने पर जिसके कारण साथ रहना असंभव प्रतीत हो

मैं प्रभु यीशु का सेवक हूँ व अन्य-अन्य स्थानों में जाकर प्रचार करता हूँ। मेरे पास एक कलीसिया भी है जहाँ मैं प्रत्येक रविवार को संगति चलाता हूँ। क्या मुझे एक संस्था के रूप में रजिस्टर करना ज़रूरी है? यदि हाँ, तो उसका क्या तरीका है?

सबसे सरल शब्दों में कहा जाये तो प्रभु यीशु की सेवा के लिये न तो किसी शैक्षिक डिग्री की आवश्यकता है और न ही किसी कानूनी संस्था की। परंतु इस सवाल में कई और पहलू जुड़ सकते हैं जिनके कारण इस प्रश्न का उत्तर लंबा हो सकता है।

यह बात सही है कि यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु में आस्था रखते हैं तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी आस्था व विश्वास का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। भारत एक धर्म-निरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष) राष्ट्र है और 42वें संशोधन के द्वारा इस बात पर ज़ोर डाला गया है कि किसी भी धर्म को मानना और उसका प्रचार करना हरेक भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता है।

व्यक्तिगत रूप से स्वयं कहीं जाकर प्रभु यीशु की शिक्षा किसी को देने और अपने घर में संगति करने के लिये आपको किसी और कानून या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शांतिपूर्वक संगति, समागम और संघ आपका संवैधानिक अधिकार है।

लेकिन इस संगति में यदि कुछ और कारक जुड़ते जाते हैं तो फिर आपको कानूनी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिये एक संस्था या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना अच्छा रहता है। जैसे –

- आप संगति में धन इकट्ठा करते हैं जिसे सबकी सहमति से सेवा-कार्य व समाज-कल्याण के करना है,
- एक से ज्यादा लोगों को मिलकर निर्णय करना होता है तथा जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है,
- सामूहिक रूप से आप किसी चल/अचल संपत्ति को खरीदना चाहते हैं जिसे चर्च या प्रार्थना-घर के रूप में उपयोग में लिया जाये
- आपके समूह में अलग-अलग कामों के लिये छोटे-छोटे और भी समूह बनाये गये हैं (जैसे महिलाओं के बीच काम करने वाला समूह, बच्चों के बीच काम करने वाला समूह, सामाजिक कार्य करने वाला समूह आदि) तो इन सबके प्रबंधन के लिये भी कुछ आंतरिक नियम बनाना जरूरी हो जाता है ताकि संगति का कार्य सुचारू रूप से चल सके,
- आप समाज में जाकर कुछ ऐसे कामों को करते हैं जिसमें आपको सरकारी मदद या पुलिस सुरक्षा आदि की आवश्यकता पड़ सकती है

एक संस्था या ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने से आप कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने किसी भी काम को करने के उद्देश्य को सबके सामने दिखा सकते हैं कि आप एक सामाजिक संस्था हैं जो सरकार की जानकारी में हैं और समाज-कल्याण के कामों में, नैतिक व आत्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं। पुलिस और प्रशासन की मदद लेते वक्त भी एक गैर-सरकारी संस्था के होने से आपको प्राथमिकता मिल सकती है।

संस्था या ट्रस्ट कैसे बनाते हैं

भारत में सामाजिक सरोकार के काम करने के लिये दो प्रकार से रजिस्ट्रेशन किये जा सकते हैं – ट्रस्ट या सोसायटी। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिये कम से कम 7 लोगों का कार्यकारी समिति बनानी पड़ती है जबकि प्राइवेट ट्रस्ट 2 जनों के द्वारा बनाया जा सकता है।

यदि आप स्वयं और अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर ही सेवा का कार्य करते रहना चाहते हैं और अपनी अचल संपत्ति को भी परिवार में ही बनाये रखना चाहते हैं तो प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं। नोन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर ट्रस्ट डीड बनाकर उसमें आपको अपने उद्देश्य, नियम, संपत्ति व ट्रस्टी का ब्यौरा देना पड़ता है व साथ में अपनी पहचान के लिये कुछ कागजात जमा करने पड़ते हैं. जैसे पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि), पता,

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

फोटोग्राफ आदि। इसे आप भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत उपरोक्त कागज़ातों के साथ अधिकारी के सामने उपस्थित होकर रजिस्टर करवा सकते हैं। जिस पते पर ट्रस्ट बनाया जा रहा है यदि वो आपके नाम नहीं है तो उस संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेना भी ज़रूरी है।

सामाजिक रूप से काम करने के लिये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ट्रस्ट अखिल भारतीय रूप से काम कर सकते हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य, बोर्ड के मेम्बर की सूची व आंतरिक नियम व कार्य करने की विधि का वर्णन ट्रस्ट डीड में किया जाना आवश्यक है। ट्रस्ट का फंड बनाकर उसमें से काम करने वाले अधिकारियों या कार्यभार संभालने वाले सदस्यों को सैलरी भी देने का प्रावधान किया जा सकता है।

इस प्रकार पास्टर को एक पद देकर उसकी मासिक तनख्वाह का इंतजाम किया जा सकता है। ट्रस्ट द्वारा जो भी काम किये जायेंगे उनका उल्लेख जितना विस्तार से किया जाये उतना ही अच्छा है ताकि भविष्य में ट्रस्ट के किसी भी काम पर सवाल न उठाया जा सके और कोई वाद-विवाद आने की स्थिति में ट्रस्ट डीड में लिखित नियमों के आधार पर ही उन्हें सुलझाया जा सके। सप्लीमेंटरी डीड के द्वारा नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है।

सोसाइटी और ट्रस्ट के कार्य करने के तरीके मे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है परंतु उनकी संरचना में निम्न अंतर हैं –

- ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं जबकि सोसाइटी, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर होती है।
- ट्रस्ट में न्यूनतम सदस्य-संख्या 2 होती है जबकि सोसोइटी में यही संख्या 7 होती है।
- ट्रस्ट अखिल भारतीय स्तर पर काम कर सकते हैं जबकि अखिल भारतीय स्तर पर काम करने के लिये सोसाइटी में अलग-अलग राज्यों से 8 सदस्य होना आवश्यक है।
- ट्रस्ट में एक व्यक्ति निर्णायक हो सकता है जबकि सोसाइटी में सामूहिक रूप में लोकतांत्रिक तरीके से ही निर्णय लिया जा सकता है।
- ट्रस्ट के नियमों में परिवर्तन करना आसान होता है – उसके लिये एक सप्लीमेंटरी डीड बनानी पड़ती है जबकि सोसाइटी के नियमों में परिवर्तन करने का तरीका थोड़ा जटिल है – उसमें मैमोरेंडम ऑफ ऐसोसियेशन व नियमावली में परिवर्तन कर उसे जमा करना पड़ता है।
- ट्रस्ट में मनचाहा नाम आसानी से मिल जाता है परंतु सोसाइटी में मनचाहा नाम प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है।

- ट्रस्ट के बैंक अकाउंट को अकेला व्यक्ति चला सकता है जबकि सोसाइटी में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 (अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष) लोग मिलकर ही बैंक अकाउंट को चला सकते हैं।
- ट्रस्ट में आप अपने पद पर जीवन-पर्यंत रह सकते हैं जबकि सोसाइटी में नियमों में दिये गये समय तक ही आप अपने पद पर रह सकते हैं और फिर चुनाव किया जाना आवश्यक होता है।
- ट्रस्ट में परिवार के सदस्य पदाधिकारी बन सकते हैं जबकि सोसाइटी में एक परिवार के सदस्य पदाधिकारी बनते हैं तो रजिस्ट्रार उस पर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं।

किसी वकील या सी.ए की मदद से यह रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। याद रखें कि यदि आपने अपने संगति या चर्च के लिये ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो अपने कागजातों को हमेशा दुरुस्त रखें। सरकार आपकी गैर-सरकारी संस्था पर ऑडिट कर सकती है और अनियमितता पाये जाने पर आपको दोषी ठहरा सकती है।

पैसे के लेन-देन, चुनाव, मीटिंग मिनट आदि कागजों को ठीक से रखने और समय पर ऑडिट करवाने व रिटर्न भरने पर आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं और अपने सेवा-कार्य को निर्बाध रूप से कर सकते हैं।

विश्वास में आने के बाद क्या नये विश्वासियों को अपना नाम बदलना आवश्यक है?

हालांकि बाइबल में कई ऐसे संदर्भ हैं जिनमें परमेश्वर ने नाम परिवर्तित किये, परन्तु उन सभी जगहों पर परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ नाम बदलना नहीं था अपितु ये कि वो विश्वास के और बोलचाल के नये आयाम सिखाये। उसने ऐसा कई जगहों पर किया (जैसे कि अब्राम का नाम अब्राहम, शमौन का नाम पतरस आदि) परंतु यह सब उसने बाइबल के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को समझाने के लिए किया।

परमेश्वर की रूचि हमारे नाम या धर्म को बदलने में नहीं है बल्कि हमारे पापी मन को नया करने में है ताकि हम भविष्य में पाप न करें। परमेश्वर को यदि ईसाई धर्म से प्रेम होता या उन नामों से ही अच्छा लगता तो सभी को उस धर्म में ही पैदा कर देता। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने के बाद आपको अपनी वैधानिक पहचान बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

फिर भी यदि किसी व्यक्तिगत कारण से आप अपना नाम बदलना चाहें तो भारतीय कानून आपको इस बात की भी स्वतंत्रता देता है और इसके लिये एक निर्धारित कानूनी प्रकिया है जिसके द्वारा आप अपना नाम बदल सकते हैं।

जैसा इस पुस्तक में पहले भी बताया गया है कि परमेश्वर के किसी भी सेवक को किसी व्यक्ति पर नाम व धर्म बदलने का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग, अर्थ-दंड या दैवीय प्रकोप आदि का डर व किसी भी प्रकार का लालच का प्रयोग नहीं करना चाहिये – ऐसा करना धर्म-स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत कानूनी अपराध है।

पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज कराना चाहिये और कैसे पता चलेगा कि हमारी शिकायत दर्ज हुई है?

आप जिस जगह सेवा कार्य करते हैं, या जहाँ आपका चर्च है अथवा आपकी रिहाइश है, उस जगह का थाना आपको पता होना चाहिये ताकि किसी हमले आदि की पूर्व-सूचना पर आप थाने में अपनी सुरक्षा के बाबत याचिका दे सकें। किसी किसी बड़े इलाके में कई थाने हो सकते हैं वहाँ आपका चर्च किस थाने के बीट-क्षेत्र में आता है इस बात की जानकारी रखना अच्छा है ताकि आपके विरुद्ध अपराध होने की दशा में आप वहाँ तुरंत पहुँचकर सूचना दे सकते हैं।

पुलिस थाना एक प्रकार का सरकारी कार्यालय है जिसकी मुख्य ज़िम्मेदारी अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था व लोकशांति को बनाये रखना होता है, इसलिये थाने जाने से डरने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार किसी भी कार्यालय में आप अर्जी (एप्लीकेशन या प्रार्थना-पत्र) लिख कर देते हैं, उसी प्रकार से थाने में भी शिकायत करते समय प्रार्थना-पत्र लिखना होता है। थाने में दी जाने वाली शिकायत में कुछ जानकारियाँ ज़रूरी होती हैं ताकि आप तक पहुँचा जा सके और एक जैसे नाम वाले अनेक व्यक्ति हो सकते हैं ऐसी दशा में ठीक-ठीक आपको पहचाना जा सके।

शिकायत दर्ज करते वक्त अपने प्रार्थना-पत्र में कानूनी धाराओं को लिखना ज़रूरी नहीं है परंतु पूरी घटना को पूरे विवरण के साथ लिखना चाहिये ताकि जो कुछ घटा है उसके अनुसार पुलिस सभी धाराओं का उल्लेख करे। यदि आपको कानून की जानकारी है और आप किसी धारा को आपकी शिकायत के आधार पर हुई प्राथमिकी में नहीं पाते हैं तो आपको उसके लिये बोलना चाहिये और पूरे अपराध की बातों का पूरा उल्लेख होने पर ही प्राथमिकी (एफआईआर) पर हस्ताक्षर करना चाहिये।

उदाहरणार्थ समझिये कि एक महिला अपने ऊपर हुए घरेलू अत्याचार की शिकायत करते समय कई तरीकों से अपनी बात कह सकती है –

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHORS PERMISSION. ALL BIBLES CHOROTIA

- मेरे पति ने मुझे मारा
- मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया
- मेरे पति ने मेरे सिर पर मारा
- मेरे पति ने मुझे हॉकी स्टिक से मारा

- मेरे पति ने हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर मारा और मेरा सिर फोड़ा

इन अलग अलग तरीकों से लिखी शिकायत के आधार पर अलग अलग धाराओं में केस बनता है जिनमें से कुछ में साधारण धारा लगती है जिससे तुरंत जमानत हो सकती है और गिरफ्तारी भी नही होगी और किसी में तुरंत गिरफ्तारी होगी और जमानत भी नहीं होगी। इसलिये सही तरीके से पूरी तफसील (विस्तार) के साथ घटना के हरेक पहलू को ठीक से बताना ज़रूरी होता है।

कुछ विशेष जानकारियाँ आवश्यक तौर पर शिकायत पत्र में लिखनी होती हैं, जैसे –

- प्रार्थी का पूरा नाम व मोबाइल नम्बर (प्रार्थी के पिता का नाम व पूरा पता भी लिखना अच्छा होता है, यदि प्रार्थी स्वयं पीड़ित व्यक्ति है)
- पीड़ित व्यक्ति का नाम व पता (यदि शिकायत करने वाला स्वयं पीड़ित नहीं हो बल्कि कोई मित्र, परिजन या घटना को देखने वाला हो)
- अपराध करने वाले का नाम (यदि पता हो तो, अन्यथा अज्ञात के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं)
- अपराध करने वाले का पीड़ित के साथ संबंध
- घटना का पूरा ब्यौरा –
  - अपराधियों की संख्या व मुख्य अपराधी (यदि आप जानते हों) व उसके सहयोगियों की घटना में क्या क्या भूमिका थी
  - अपराधी यदि अज्ञात थे तो उनका सटीक विवरण
  - घटना (अपराध) का स्थान, दिनांक व समय (जितनी सटीक जानकारी उपलब्ध हो)

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

- कोई हथियार जिसका इस्तेमाल हुआ हो (विशेषकर यदि कोई घातक हथियार का प्रयोग किया गया हो)
- किस प्रकार की चोट या नुकसान पहुँचाया गया
- यदि किसी प्रकार के सामान का नुकसान या लूटपाट हुई (नुकसान या छीने गये सामान का विवरण व कीमत)
- अपराध की घटना करने के पीछे अपराधियों की मंशा (यदि मालूम हो तो)
- यदि भविष्य के लिये कोई धमकी दी गई हो तो उसका शब्दशः उल्लेख करना चाहिये
- अपराधी द्वारा पीछे छोड़े गये सामान का विवरण
- कोई चश्मदीद गवाह उस घटना के समय मौजूद थे तो उनका विवरण (नाम, शक्ल-सूरत)
- अपराध या घटना की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिये इसलिये यदि देरी हुई हो तो देरी से शिकायत का कारण भी बताना चाहिये

हालाँकि उपरोक्त सभी जानकारियाँ शिकायत-पत्र में होनी चाहिये और घटना का पूरा विवरण होना चाहिये परंतु साथ ही ध्यान देना चाहिये कि प्रार्थना-पत्र बहुत लंबा न हो और कानूनी (टेक्नीकल) शब्दों को लिखने से बचना चाहिये परंतु जो धारायें आप जानते हैं उसके आधार पर अपने शब्दों में घटना का सत्य विवरण इस प्रकार से लिखना चाहिये कि पुलिस उन संज्ञेय अपराधों की धाराओं को प्राथमिकी में ज़रूर दर्ज करे।

जो जानकारियाँ आपने दी हैं वे पुलिस की FIR में सही सही दर्ज हुई हैं, इस बात का ध्यान देना आपका काम है। यदि किसी प्रकार की जानकारी हटा दी गई या घटना की तीव्रता कम कर दी गई और कुछेक विशेष शब्द हटा दिये गये तो आपको साइन नहीं करना चाहिये बल्कि अपने लिखे प्रार्थना-पत्र से मिलान करवाकर बताना चाहिये कि कौन सी बातें छूट गई हैं। कई बार त्रुटिवश और कई बार किन्हीं और ही कारणों से एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति आपकी शिकायत में फेरबदल कर सकता है इसलिये सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिये। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद अनुसंधान व पूरी कार्यवाही उसी प्राथमिकी के अनुसार होती है।

याद ऱखें, सिर्फ संज्ञेय अपराध अर्थात गंभीर अपराध के लिये ही पुलिस सीआरपीसी (CrPC) की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर (FIR) दर्ज करती है, जिसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार आपको होता है। घटना की जानकारी के तुरंत बात पुलिस अनुसंधान

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHROTIA

करती है और घटनास्थल पर मौका-मुआयना करने पहुँचती है। अति-गंभीर श्रेणी के अपराध होने पर बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकती है। यदि अपराध साधारण किस्म का है जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत जानकारी अपनी डायरी में नोट करती है व मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट के रूप में पेश करती है। पुलिस ऐसी अंज्ञेय घटना बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अनुसंधान करने का अधिकार नहीं रखती है।

संज्ञेय (गंभीर) अपराध के लिये पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है परंतु यदि पुलिस आपकी शिकायत को दर्ज न करे या साधारण कागज पर लिखने को बोले परंतु अपने पास दर्ज कर उसे पढ़कर न सुनाये और आपके हस्ताक्षर न करवाये – इसका मतलब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। तो आप सीआरपीसी 154(3) के अंतर्गत एसपी के पास अपनी शिकायत ले जा सकते हैं।

अपराध की थाने में सूचना को अभिलिखित करने से इंकार करने से आप व्यथित हैं, तो अपनी शिकायत का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा।

यदि पुलिस तंत्र प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीधे शिकायत दी जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 190 के साथ पठित धारा 156 (3) में प्रावधान है कि एक आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की जा सकती है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस को शिकायत दर्ज करना जरूरी होता है।

इन सबके बावजूद आपकी शिकायत पर कोई कार्यवाही न हो तो आप मानवाधिकार आयोग (राज्य व राष्ट्रीय स्तर) पर भी शिकायत कर सकते हैं। अल्पसंख्यक लोग अल्पसंख्यक आयोग में, महिलायें महिला आयोग में और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग एससी-एसटी कमीशन आदि में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

पुलिस यदि ज़ोर-ज़बरदस्ती से आपसे गलत बयान करवा ले तो भी डरने की बात नहीं है क्योंकि पुलिस के समक्ष दिये इन बयानों को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 व 26) इसलिये आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत के अनुसार सही और सच बयान दे सकते हैं जो मान्य होंगे।

DO NOT COPY / PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

कई बार अपराध करने वाले आपसे पहले आपके खिलाफ झूठी-सच्ची शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है। यदि आप साबित कर सकते हैं कि उसकी शिकायत पूर्ण रूप से बेबुनियाद व झूठी है तो आपके खिलाफ की गई झूठी शिकायत को आप उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत खारिज करवाने की अपील भी कर सकते हैं।

जहाँ अपराध हुआ उससे दूर किसी भी थाने में भी 'ज़ीरो एफआईआर' दर्ज करवाई जा सकती है ताकि अपराध की जानकारी तुरंत दी जाये और अनुसंधान तुरंत शुरू कर सबूत मिटने से बचाया जा सके।

उदाहरण – प्रार्थना पत्र

श्रीमान थानाधिकारी दिनांक
<थाने का नाम>, <पता> ....

विषय : चर्च की आराधना सभा के दौरान हुए हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत

महोदय,
मैं, ... पुत्र श्री ...., उम्र .... वर्ष, निवासी - .... जाति .... उपरोक्त विषयांतर्गत निम्न निवेदन करता हूँ –

xxxxxx पुत्र श्री .... निवासी .... पिछले 1 साल से अकारण ही मुझसे शत्रुता रखता है और अभद्र भाषा में मुझे धमकाया करता है तथा चर्च बंद कराने की धमकी देता रहा है। वह मेरी आस्था के खिलाफ मेरे ईष्ट यीशु मसीह के विषय में जानबूझकर अपमानजनक बातें बोलकर मेरी व्यक्तिगत धार्मिक भावना को आहत करता रहा है। मैं एक शरीफ और सीधा-सादा व्यक्ति हूँ और xxxxxx के ऐसे गुंडा-प्रवृत्ति से डर कर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं की है क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा करने पर वह मुझे और भी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना देगा। मुझे शारीरिक चोट व मार-पीट का तथा अपने परिवार-जनों की सुरक्षा का भी डर था।

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHOROTIA

xxxxxx आते जाते मुझ पर फब्तियाँ कसता रहता है और कॉलोनी के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काता रहा है। xxxxxx लोक शांति को उजाड़ने व आस-पास के लोगों को चर्च के खिलाफ भड़काकर समाज में शत्रुता पैदा करने का काम भी करता रहा है।

दिनांक ..... को सुबह ..... बजे जब ..... पते पर हमारे चर्च में मैं 15 विश्वासी भाई-बहनों के साथ ईश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहा था तब xxxxxx अपने 70-80 साथियों के साथ जय श्री राम व भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जबरन चर्च में घुस आया व ऊँची आवाज में गाली गलौच करते हुए चर्च में बैठे स्त्री व पुरूषों को मारपीट करने व धमकाने लगा। चर्च के गेट से लेकर हॉल तक की रेलिंग को, गमलों, तस्वीर-पोस्टर व हॉल में रखे फर्नीचर को xxxxxx व साथियों ने तोड़ डाला। xxxxxx के साथ आई भीड़ के पास लाठी व लोहे की रॉड, तलवार, चाकू आदि खतरनाकर हथियार थे जबकि हम सब शांतिपूर्वक तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। xxxxxx ने मेरे साथ हाथापाई की और लोहे की रॉड से मुझे मारा जिससे मुझे चोट आई है। बीचबचाव करने आये एक भाई .....(नाम)..... का को xxxxxx व साथियों ने निर्मम तरीके से लाठी व रॉड से मारा जिससे उसका सिर फट गया है और उसे गंभीर चोट आई है।

हमारी आस्था के अनुसार शांतिपूर्वक तरीके से चल रही प्रार्थना-सभा को बीच में रोककर प्रभु यीशु मसीह व बाइबल के विरोध में अनेक अपमानजनक बातें बोलकर xxxxxx व साथियों ने हमारी धार्मिक भावना का अपमान किया है। xxxxxx ने बाइबल को फाड़ दिया व मुझ पर धर्म-परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर मुझे जान से मारने तक की धमकी दी। xxxxxx व उसके साथियों ने मुझ पर मेरी आस्था के अनुसार न चलने का दबाव बनाया और चर्च बंद करने के लिये धमकाया व मेरे संविधान-प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को अवरुद्ध किया है। उनकी बात ना मानने पर मुझको व मेरे परिवार को देख लेने और अनेक झूठे आपराधिक मामलों में फँसाने की ऐलानिया धमकी दी है।

हमले के दौरान xxxxxx व साथियों ने चर्च के सीसीटीवी केमरा को तोड़ दिया व लूट कर अपने साथ ले गये। रिकॉर्डिंग रूम में घुसकर उसके साथियों ने डीवीआर भी चुरा लिया व अपने साथ ले गये। इसके साथ ही प्रार्थना में शामिल 3 बहनों के पर्स व मोबाइल भी छीन लिये जिनके नाम ....., ...और ..... हैं। उनके साथ xxxxxx और साथियों ने छीना-झपटी की व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके कपड़ों को भी फाड़ दिया। चर्च के कम्पाउंड में जबरन घुसकर वहाँ खड़ी गाड़ी संख्या

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION

..... में भी xxxxxx के साथ आई उन्मादी भीड़ ने तोड़-फोड़ की है और बहुत नुकसान पहुँचाया है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि xxxxxx व साथियों को हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल देने से रोका जाये व मुझे तथा मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाये। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र कर लाठी-रॉड व तलवार आदि घातक हथियारों से हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने, चलती हुई प्रार्थना सभा में विघ्न डालने, जानबूझकर द्वेष-भावना से हमारी धार्मिक भावना का अपमान करने, अशांति फैलाने, डाका व लूटपाट करने तथा महिलाओं का शील-भंग करने के गंभीर अपराध के लिये उनके खिलाफ FIR (प्राथमिकी) दर्ज कर उचित कार्यवाही करें तथा उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवायें अन्यथा मुझे मेरी जान का और मेरे परिवार जनों की सुरक्षा का व और भी ज्यादा सामाजिक व आर्थिक हानि होने का डर है।

दिनांक - .....

समय - .....

पीड़ित व प्रार्थी,

<हस्ताक्षर>

<पूरा नाम>

मोबाइल नं - .....

आधार कार्ड नं - .....

DO NOT COPY, PRINT OR SHARE WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION - ADV BRIJESH CHAROLIA